VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामाजिक मुद्दे

Classroom Study Material

April 2022 - December 2022

8468022022, 9019066066

DELHI JAIPUR HYDERABAD BHOPAL GUWAHATI RANCHI LUCKNOW PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH PRAYAGRAJ

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2024
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI 15 मार्च, 1 PM | 10 जनवरी, 9 AM
JAIPUR 5 अप्रैल, 3 PM
LUCKNOW 7 जून, 9 AM
BHOPAL 5 जुलाई

#PrelimsIsComing
ABHYAAS 2023
ALL INDIA PRELIMS
(GS+CSAT) MOCK TEST SERIES
2 APRIL | 23 APRIL | 7 MAY
All India ranking & detailed comparison with other students
Vision IAS Post Test Analysis ™ for corrective measures and continuous performance improvement
Closely aligned to UPSC pattern
Available in ENGLISH/ हिन्दी
OFFLINE* IN 170+ CITIES
*SUBJECT TO GOVERNMENT REGULATIONS AND SAFETY OF THE STUDENTS
Register @ www.visionias.in/abhyaas
AGARTALA | AGRA | AHMADNAGAR | AHMEDABAD | AIZAWL | AJMER | ALIGARH | ALMORA | ALWAR | AMARAVATI (ANDHRA PRADESH) | AMBALA | AMBIKAPUR | AMRAVATI (MAHARASHTRA) | AMRITSAR
ANANTHAPURU | ASANSOL | AURANGABAD (MAHARASHTRA) | AYODHYA | BALLIA | BANDA | BAREILLY | BATHINDA | BEGUSARAI | BENGALURU | BHADOHI | BHAGALPUR | BHAVNAGAR | BHILAI | BHILWARA BHOPAL
BHUBANESWAR | BIKANER | BILASPUR | BOKARO | BULANDSHAHR | CHANDIGARH | CHANDRAPUR | CHENNAI | CHHATARPUR (MP) | CHITTOOR | COIMBATORE | CUTTACK | DAVANAGERE | DEHRADUN
DELHI-MUKHERJEE NAGAR | DELHI-RAJINDER NAGAR | DHANBAD | DHARAMSHALA | DHARWAD | DHULE | DIBRUGARH | DIMAPUR | DURGAPUR | ETAWAH | FARIDABAD | FATEHPUR | GANGTOK | GAYA | GHAZIABAD
GORAKHPUR | GR NOIDA | GUNTUR | GURDASPUR | GURUGRAM (GURGAON) | GUWAHATI | GWALIOR | HALDWANI | HARIDWAR | HAZARIBAGH | HISAR | HOWRAH | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE ITANAGAR
JABALPUR | JAIPUR | JAISALMER | JALANDHAR | JAMMU | JAMNAGAR | JAMSHEDPUR | JAUNPUR | JHAJJAR | JHANSI | JODHPUR | JORHAT | KAKINADA | KALBURGI (GULBARGA) | KANNUR | KANPUR KARIMNAGAR
KARNAL | KASHIPUR | KOCHI | KOHIMA | KOLHAPUR | KOLKATA | KORBA | KOTA | KOTTAYAM | KOZHIKODE (CALICUT) | KURNOOL | KURUKSHETRA | LATUR | LEH | LUCKNOW | LUDHIANA | MADURAI (TAMILNADU)
MANDI | MANGALURU | MATHURA | MEERUT | MIRZAPUR | MORADABAD | MUMBAI | MUNGER | MUZAFFARPUR | MYSURU | NAGPUR | NALANDA | NASIK | NAVI MUMBAI | NELLORE NIZAMABAD | NOIDA | ORAI
PALAKKAD | PANAJI (GOA) | PANIPAT | PATIALA | PATNA | PRAYAGRAJ (ALLAHABAD) | PUDUCHERRY | PUNE | PURNIA | RAIPUR | RAJKOT | RANCHI | RATLAM | REWA | ROHTAK
ROORKEE | ROURKELA | RUDRAPUR | SAGAR | SAMBALPUR | SATARA | SAWAI MADHOPUR | SECUNDERABAD | SHILLONG | SHIMLA | SILIGURI | SIWAN | SOLAPUR | SONIPAT | SRINAGAR | SURAT | THANE
THANJAVUR | THIRUVANANTHAPURAM | THRISSUR | TIRUCHIRAPALLI | TIRUNELVELI | TIRUPATI | UDAIPUR | UJJAIN | VADODRA | VARANASI | VELLORE | VIJAYAWADA | VISAKHAPATNAM | WARANGAL

सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

विषय-सूची

1. महिलाएं एवं बच्चे (Women and Child) 4
1.1. STEM क्षेत्र में महिलाएं (Women in STEM) 4
1.2. लैंगिक वेतन समानता (Gender Pay Parity) 5
1.3. सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 {Surrogacy (Regulation) Rules, 2022} 6
1.4. भारत में गर्भपात कानून (Abortion Law in India) 7
1.5. बाल दत्तक-ग्रहण (Child Adoption) 9
1.5.1. अभिभावकत्व और दत्तक-ग्रहण कानूनों की समीक्षा (Review of Guardianship and Adoption Laws) 9
1.6. वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) 10
1.7. भारत में दहेज प्रथा (Dowry System in India) 11
1.8. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 {Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012} 12
1.9. बाल विवाह (Child Marriage) 13
1.10. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 15
2. अन्य सुभेद्य वर्ग (Other Vulnerable Sections) 18
2.1. मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) 18
2.2. ट्रांसजेंडर के अधिकार (Transgender Rights) 19
2.3. दिव्यांगजन {Persons with Disabilities (PwDs)} 21
2.3.1. सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट (First Global Report on Assistive Technology: GREAT) 22
2.4. गैर-अधिसूचित जनजातियां (Denotified Tribes: DNTs) 24
2.5. शहरी गरीबी (Urban Poverty) 25
2.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 27
3. शिक्षा (Education) 29
3.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 {National Education Policy (NEP), 2020} 29
3.2. नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (National Credit Framework: NCrF) 31
3.3. क्षेत्रीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना (Promotion of Higher Education in Regional Languages) 32
3.4. भारत में स्कूली शिक्षा पर रिपोर्ट (Reports on School Education in India) 33
3.5. प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (National Curriculum Framework for Foundational Stage) 34
3.6. फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी (Foundational Learning Study: FLS) 37
3.7. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) 2021 {National Achievement Survey (NAS) 2021} 38
3.8. शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence in Education: AIED) 39
3.9. लर्निंग पॉवर्टी (Learning Poverty) 40

VISION IAS

3.10. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 42
4. स्वास्थ्य (Health) 45
4.1. आंगनवाड़ी प्रणाली (Anganwadi System) 45
4.2. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 रिपोर्ट {National Family Health Survey-5 (NFHS) Report} 48
4.3. नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 {Sample Registration System (SRS) Statistical Report 2020} 50
4.4. नागरिक पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System: CRS) 50
4.5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान, 2018-19 {National Health Account (NHA) Estimates, 2018-19} 52
4.6. मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) 53
4.7. भारत में ड्रग्स रेगुलेशन इकोसिस्टम (Drugs Regulation Ecosystem in India) 54
4.8. भारत में मादक पदार्थों की तस्करी (Drug Trafficking in India) 56
4.9. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 58
5. पोषण और स्वच्छता (Nutrition and Sanitation) 61
5.1. भारत में पोषण सुरक्षा (Nutritional Security in India) 61
5.1.1. विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति (SOFI) रिपोर्ट, 2022 {The State of Food Security And Nutrition in The World (SOFI) Report, 2022} 62
5.2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {National Food Security Act (NFSA), 2013} 63
5.3. स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 {Swachh Survekshan (SS) 2023} 65
5.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 66
6. विविध (Miscellaneous) 68
6.1. सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा (Universal Social Security) 68
6.2. वैश्विक जनसंख्या वृद्धि (World Population Growth) 69
6.3. भारत में अपराध रिपोर्ट 2021 (Crime in India Report 2021) 70
6.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 71

नोट

प्रिय अभ्यर्थियों,

PT 365 (हिंदी) डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है, ताकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

संक्षेप में इन्फोग्राफिक्स: इन्हें इसलिए जोड़ा गया है ताकि सीखने का सहज अनुभव मिल सके और कंटेंट को बेहतर तरीके से याद रखना सुनिश्चित किया जा सके। उदाहरण के लिए–
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) एक्ट, 1971
- सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021
- दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, 1961
- पॉक्सो एक्ट, 2012

संगठनों से जुड़े इन्फोग्राफिक्स: क्विक रिवीजन को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित आर्टिकल्स के साथ–साथ प्रमुख संगठनों से संबद्ध प्रीलिम्स ओरिएंटेड जानकारी दी गई है।

महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स: इन्हें आकर्षक फॉर्मेट में अलग से प्रस्तुत किया गया है।

क्या आप जानते: इन्हें प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अलग–अलग टॉपिक के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए जोड़ा गया है।

शब्दावली को जानें: इन्हें महत्वपूर्ण अवधारणाओं और शब्दों को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया है।

डॉक्यूमेंट में अलग–अलग रंगों का इस्तेमाल: टॉपिक्स के बेहतर वर्गीकरण और विविध जानकारी उपलब्ध कराने के लिए।

क्विज़: अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

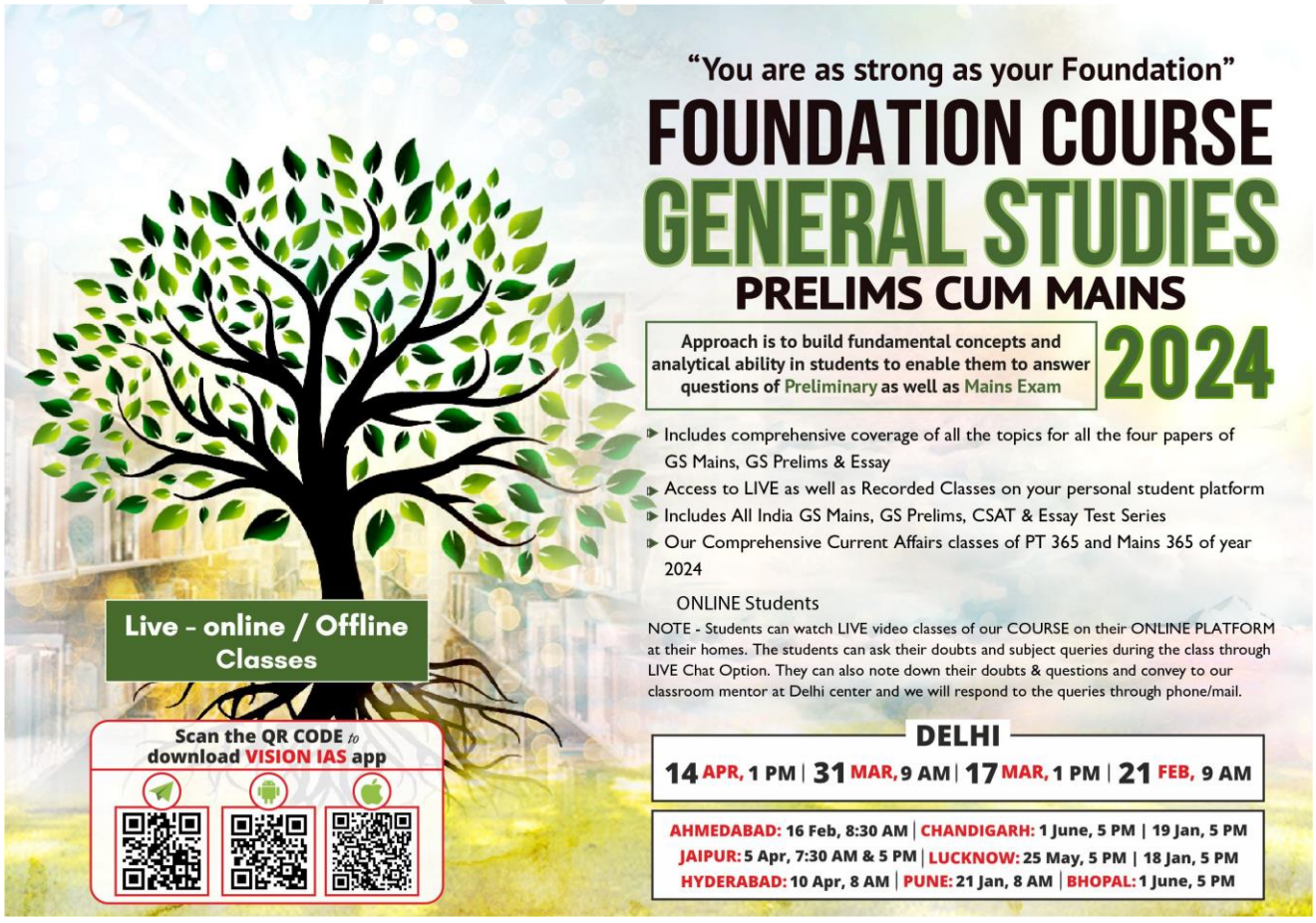

© Vision IAS

1. महिलाएं एवं बच्चे (Women and Child)

1.1. STEM क्षेत्र में महिलाएं (Women in STEM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA)[1] के कार्यालय ने **इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं (WEST)[2]** नामक पहल की शुरूआत की है। इस पहल की शुरूआत STEM[3] क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए की गई है।

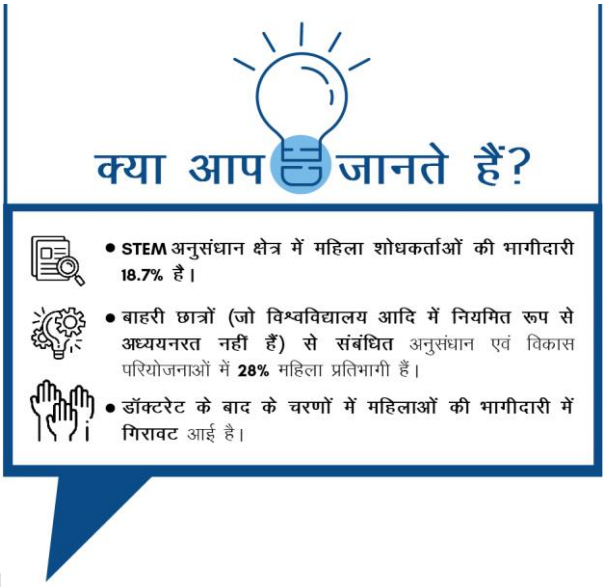

WEST पहल के बारे में

- WEST **एक नई I-STEM पहल** है। **I-STEM** 'भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं के मानचित्र[4]' का संक्षिप्त रूप है। इसका उद्देश्य शोधकर्ताओं को संसाधनों से जोड़ना है।
  - STEM निकटता से जुड़े हुए चार अध्ययन क्षेत्रों को दर्शाता है। ये चार क्षेत्र **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित** हैं।
  - I-STEM **अनुसंधान उपकरण/ सुविधाओं को साझा करने हेतु एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है।** इसके साथ ही, यह शिक्षा और उद्योग जगत में अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देता है।
  - I-STEM प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) द्वारा आरंभ की गई एक पहल है। इसे प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद **(PM-STIAC)[6] मिशन** के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है।

STEM क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु की गई अन्य पहलें

- **विज्ञान ज्योति:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने इस पहल की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य हाई स्कूल में पढने वाली मेधावी छात्राओं को STEM क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने हेतु समान अवसर प्रदान करना है।
- **पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान भागीदारी (KIRAN):** इस पहल की शुरुआत DST द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है।
- **जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (GATI):** यह सभी स्तरों पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणित (STEMM[5]) विषयों में महिलाओं की सुविधा के लिए संस्थागत सुधार लाने का प्रयास करता है।
- **कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस (CURIE):** इसके तहत महिला विश्वविद्यालयों को उनकी R&D सुविधाओं में सुधार करने में सहायता प्रदान की जाती है।
- **बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड री-ओरिएंटेशन प्रोग्राम (BioCARe):** इसे रोजगार/बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों के करियर विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत 45 वर्ष तक की महिला वैज्ञानिकों को पहला बाह्य अनुसंधान अनुदान प्रदान किया जाता है।

[1] Principal Scientific Adviser

[2] Women in Engineering, Science, and Technology

[3] Science, Technology, Engineering and Mathematics/ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित

[4] Indian Science Technology and Engineering facilities Map

[5] Science, Technology, Engineering, Medicine and Mathematics

[6] Prime Minister's Science, Technology, and Innovation Advisory Council

- **उद्देश्य: WEST पहल** के माध्यम से, I-STEM इस क्षेत्र से संबद्ध महिलाओं को एक अलग मंच प्रदान करेगा। यह मंच **विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छुक महिला शोधकर्ताओं,** वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को **विज्ञान और इंजीनियरिंग संबंधी अनुसंधान करने की सुविधा प्रदान** करेगा।
  - यह **कौशल विकास कार्यक्रम** की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही, यह **अनुसंधान एवं विकास (R&D) सुविधाओं और R&D सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म तक पहुंच भी प्रदान करेगा।**
- **लक्ष्य: WEST** पहल के तहत, I-STEM द्वारा **महिला उद्यमियों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित स्टार्ट-अप्स** को प्रदान की जा रही वर्तमान सहायता **को प्रोत्साहन दिया जाएगा।**

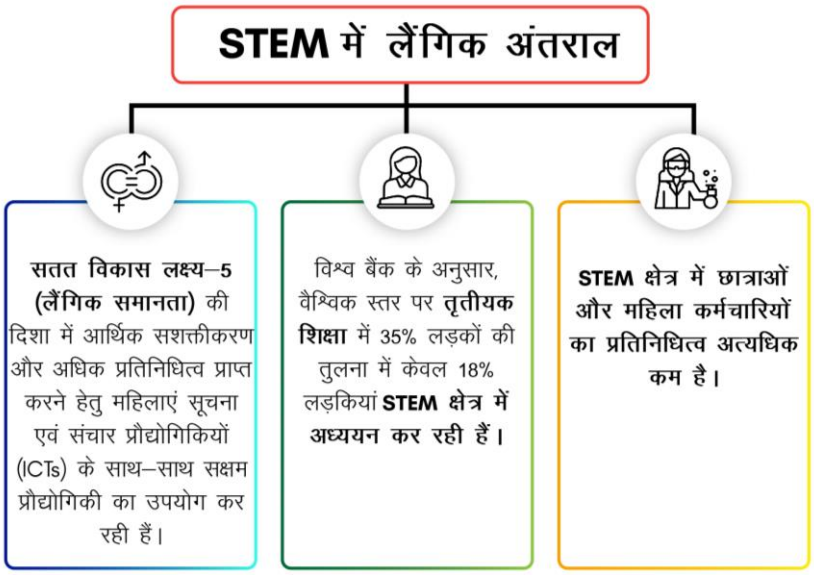

1.2. लैंगिक वेतन समानता (Gender Pay Parity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बोर्ड के साथ अनुबंधित देश की महिला क्रिकेटरों के लिए **'वेतन इक्विटी नीति[7]'** की घोषणा की।

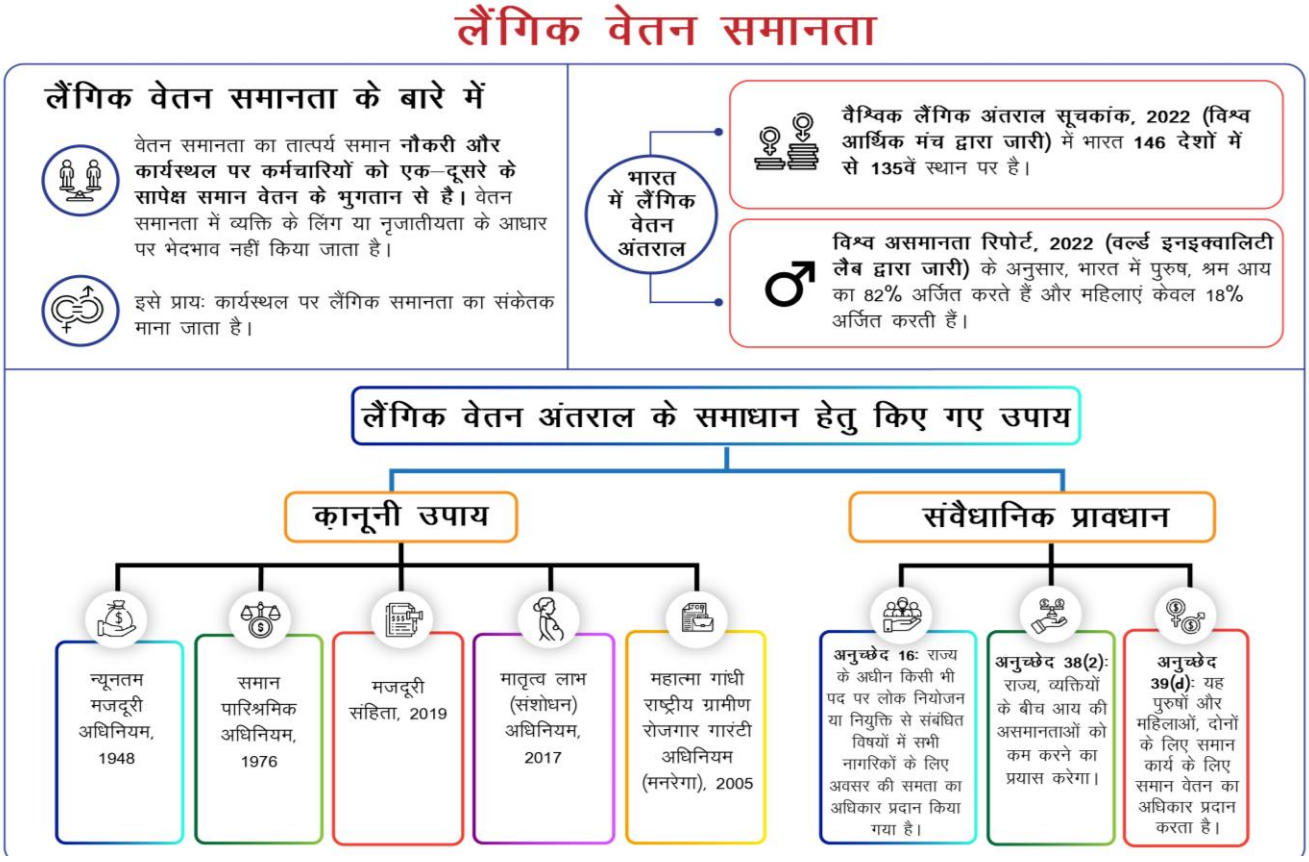

[7] Pay Equity Policy

© Vision IAS

1.3. सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 {Surrogacy (Regulation) Rules, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने **सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021** के तहत **सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022** जारी किए हैं।

सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के बारे में

- ये नियम निम्नलिखित से संबंधित हैं:
  - सरोगेसी क्लीनिक के पंजीकरण के लिए **फॉर्म और रीति,**
  - सरोगेसी क्लीनिक के पंजीकरण के लिए **फीस,**
  - एक **पंजीकृत सरोगेसी क्लीनिक** में नियोजित व्यक्तियों की आवश्यकता व योग्यता आदि।
- **नियमों की प्रमुख विशेषताएं:**
  - **सरोगेट माता**
    - सरोगेट माता पर कोई भी **सरोगेट प्रक्रिया तीन बार से ज़्यादा नहीं** की जा सकती है।
    - **गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971**[8] के अनुसार सरोगेट माता को डॉक्टर के परामर्श से सरोगेसी के दौरान **गर्भपात कराने की अनुमति** है।
    - सरोगेट माता को एक समझौते के माध्यम से **बच्चे पर अपने सारे अधिकार त्यागने की सहमति** देनी होगी। उसे बच्चे/ बच्चों को **इच्छुक दंपति (Intending couple)** को सौंपना होगा।

  - इच्छुक दंपति को सरोगेट माता के लिए 36 माह की अवधि का एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा कवर खरीदना होगा। बीमा राशि पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि **गर्भावस्था और प्रसव के बाद प्रसव** (डिलीवरी के बाद के छः हफ़्ते) संबंधी **सभी जटिलताओं के खर्च** को कवर किया जा सके।

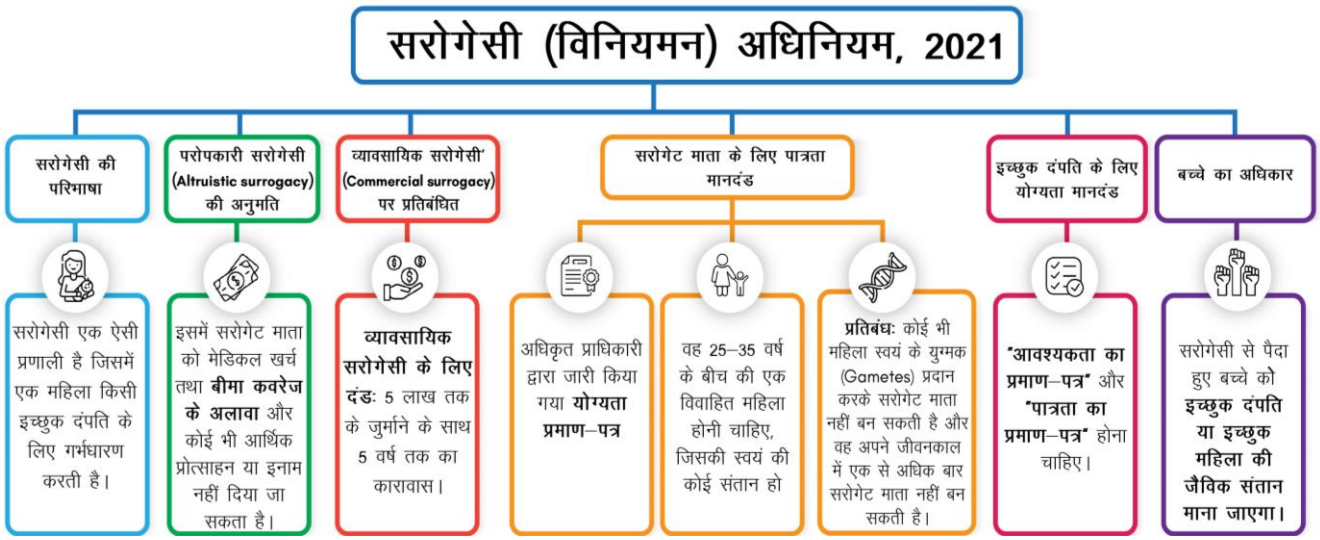

[8] Medical Termination of Pregnancy Act, 1971

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की अन्य विशेषताएं:

- **व्यावसायिक सरोगेसी के लिए दंड:** इसके तहत, अपराधी को पहले अपराध (First Offence) के लिए पांच वर्षों तक की कैद और पाँच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- **राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (NART)[9] और सरोगेसी बोर्ड:**
  - इसका **अध्यक्ष** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होता है।
  - **इसके निम्नलिखित कार्य हैं:**
    - सरोगेसी से संबंधित नीतिगत मामलों पर **केंद्र सरकार को सलाह देना**;
    - अधिनियम के कार्यान्वयन की **समीक्षा और निगरानी** करना,
    - सरोगेसी क्लीनिक्स के लिए **आचार संहिता निर्धारित करना;**
    - सरोगेसी क्लीनिक्स के भौतिक बुनियादी ढांचे, प्रयोगशाला और नैदानिक उपकरण एवं विशेषज्ञ समूहों के लिए **न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना;**
    - **राज्य सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड** के **प्रदर्शन की निगरानी।**
- **नेशनल ART और सरोगेसी रजिस्ट्री:** यह भारत में ART क्लीनिकों/ बैंकों और सरोगेसी क्लीनिकों का एक ऑनलाइन सार्वजनिक रिकॉर्ड सिस्टम है।

1.4. भारत में गर्भपात कानून (Abortion Law in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार** दे दिया है। अब यह अधिकार विवाहित के साथ-साथ अविवाहित महिलाओं को भी प्राप्त होगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का महत्व

- **संवैधानिक अधिकार:** इस निर्णय के अनुसार, वैवाहिक स्थिति के आधार पर महिलाओं के बीच विभेद **अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार** का उल्लंघन है। साथ ही, **अनुच्छेद-21 के तहत प्रजनन स्वायत्तता, गरिमा और निजता का अधिकार** दिया गया है। ये अधिकार किसी अविवाहित महिला को बच्चे को जन्म देने या नहीं देने के विकल्प का अधिकार प्रदान करते हैं।
- **वैवाहिक बलात्कार को संज्ञान में लेना:** इस निर्णय में 'वैवाहिक बलात्कार' को पहली बार विधिक रूप से संज्ञान में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने के कारण किसी विवाहित महिला की गर्भावस्था को MTP अधिनियम के तहत 'बलात्कार' माना जा सकता है।
  - ऐसी स्थिति में **महिलाएं किसी की सहमति के बिना** गर्भपात करा सकती हैं।
- **'महिला' की परिभाषा में विस्तार:** यह निर्णय स्पष्ट करता है कि 'महिला' शब्द के अंतर्गत महिला या सिस-जेंडर वीमेन और अन्य लैंगिक पहचान वाले ऐसे व्यक्ति भी शामिल होंगे, जिन्हें सुरक्षित गर्भपात की आवश्यकता हो सकती है।
- **नाबालिगों की गोपनीयता की रक्षा:** सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग महिलाओं को सहमति से बने यौन संबंध से उत्पन्न गर्भ के गर्भपात की अनुमति दी है। अब वे **पॉक्सो कानून[10], 2012** के तहत पुलिस को अपनी पहचान बताए बिना गर्भपात करवा सकती हैं।

[9] National Assisted Reproductive Technology

[10] Protection Of Children From Sexual Offences (POCSO) / लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण

 © Vision IAS

भारत में गर्भपात कानून (Abortion Laws in India)

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 312 और 313 के तहत, **गर्भपात कराना अवैध है, जब तक कि इसे गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (Medical Termination of Pregnancy Act, 1971: MTP) के तहत निर्धारित तरीके से न किया गया हो।**
- इस अधिनियम में **2021 में संशोधन** किया गया ताकि **MTP को महिलाओं के लिए और उपयोगी बनाया जा सके।**

क्या आप जानते हैं?

- असुरक्षित गर्भपात के कारण भारत में **प्रत्येक दिन लगभग 8 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है।**
- भारत में 2007–2011 की अवधि के दौरान कराए गए लगभग **67% गर्भपात असुक्षित थे।**
- **15–19 वर्ष की आयु** वर्ग की महिलाओं को **गर्भपात से संबंधित जटिलताओं के कारण मृत्यु का सबसे अधिक खतरा होता है।**

गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP) अधिनियम, 1971

इसे कुछ निर्धारित शर्तों के तहत, पंजीकृत चिकित्सक द्वारा प्रेगनेंसी की समाप्ति का प्रावधान करने हेतु लागू किया गया था।

20 सप्ताह तक के गर्भ के लिए MTP

यह **सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध** है तथा इसके लिए **केवल एक डॉक्टर** का परामर्श आवश्यक है

20 से 24 सप्ताह तक की अवधि के गर्भ के लिए MTP

इसके लिए **दो डॉक्टर्स** का परामर्श आवश्यक है तथा यह केवल कानून में **निर्धारित गर्भवती महिलाओं की कुछ विशिष्ट श्रेणियों के लिए ही उपलब्ध** है

इसमें अविवाहित महिलाओं के अतिरिक्त बलात्कार, पारिवारिक व्यभिचार से पीड़ित महिलाएं और अन्य कमजोर महिलाएं (दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग व अन्य) शामिल हैं।

24 सप्ताह तक के गर्भ के लिए MTP के आधार

यदि जन्म लेने वाले **संतान की किसी अत्यधिक गंभीर रोग से ग्रसित** होने की संभावना है।

यदि गर्भवती महिला के जीवन या उसे गंभीर क्षति, या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के समक्ष जोखिम हो।

24 सप्ताह के बाद के गर्भ के लिए MTP

भ्रूण में ठोस विसंगति होने पर, यदि मेडिकल बोर्ड इसके लिए परामर्श दे, तो ही इसकी अनुमति दी जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान **'विवाहित और एकल महिलाओं के बीच कृत्रिम भेद'** पैदा करता है तथा यह 'संवैधानिक रूप से सही नहीं' है।

हालिया निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब अविवाहित महिलाएं भी **सहमति से बनाए गए यौन संबंधों से उत्पन्न** गर्भावस्था को 24 सप्ताह तक समाप्त करने की हकदार होंगी।

1.5. बाल दत्तक-ग्रहण (Child Adoption)

भारत में गोद लेने (दत्तक ग्रहण) की प्रक्रिया

परिभाषा

दत्तक ग्रहण का आशय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से **गोद लिया बच्चा, अपने जैविक माता–पिता से स्थायी रूप से अलग हो जाता है** और जैविक बच्चे से जुड़े सभी **अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं जिम्मेदारियों के साथ अपने दत्तक ग्रहण करने वाले माता–पिता की वैध संतान** बन जाता है।

दत्तक ग्रहण से संबंधित कानून

- **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA)**: यह कानून ऐसे मामले को शासित करता है जहां हिंदू माता–पिता या अभिभावक, अपनी संतान किसी अन्य हिंदू माता–पिता को गोद लेने के लिए दे सकते हैं।
- **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (जे.जे. अधिनियम), 2015; किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016** तथा **दत्तक ग्रहण विनियम, 2017**: ये अनाथ, परित्यक्त या सौंपे गए बच्चों और रिश्तेदारों के बच्चों के देश के बाहर और देश के भीतर दत्तक ग्रहण को शासित करते हैं।

भारत से बच्चों के दत्तक ग्रहण को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांत

- **बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सर्वोपरि** माना जाएगा।
- **बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता** दी जाएगी।
- जहाँ तक संभव हो, बच्चे को **उसके अपने सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश में ही रखा** जाएगा।
- सभी दत्तक ग्रहण को **बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (CARINGS)** के तहत पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही, केयरिंग्स इसकी गोपनीयता को भी बनाए रखेगा।

संस्थागत संरचना

- **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority: CARA)**: यह एक सांविधिक संस्था है। यह जे.जे. अधिनियम के तहत देश के बाहर और देश के भीतर दत्तक ग्रहण के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाले नोडल निकाय के रूप में काम करती है।
- **राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (State Adoption resource Agency: SARA)**: यह CARA के साथ समन्वय में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने और और गैर–संस्थागत देखभाल की निगरानी करने के लिए राज्य का नोडल निकाय है।
- **जिला बाल कल्याण समिति (District Child Welfare Committee)**: राज्यों के लिए प्रत्येक जिले में इनको गठित करना अनिवार्य है। ये देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों को देखती हैं और उन्हें दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करती हैं।
- **जिला बाल संरक्षण इकाई (District Child Protection Unit: DCPU)**: यह इकाई जिले में अनाथ, परित्यक्त और सौंपे गए बच्चों की पहचान करती है और उन्हें बाल देखभाल संस्थानों (CCI) के सुपुर्द करती है।
- **विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (Specialized Adoption Agency: SAA)**: यह बच्चों के दत्तक ग्रहण के उद्देश्य से संबंधित मान्यता प्राप्त निकाय है।
- **अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी (Authorized Foreign Adoption Agency: AFAA)**: ये मान्यता प्राप्त विदेशी सामाजिक या बाल कल्याण एजेंसी हैं। ये अपने–अपने देश के नागरिक द्वारा भारतीय बच्चे के दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी मामलों को देखती है।

1.5.1. अभिभावकत्व और दत्तक-ग्रहण कानूनों की समीक्षा (Review of Guardianship and Adoption Laws)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि तथा न्याय से संबंधित विभागीय स्थायी समिति ने **'अभिभावकत्व और दत्तक-ग्रहण कानूनों की समीक्षा'** विषय पर **118वीं रिपोर्ट** प्रस्तुत की है।

क्षेत्र	टिप्पणियां
दत्तक ग्रहण या गोद लेने से संबंधित कानूनों की समीक्षा	• **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA)** तथा **किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (JJ अधिनियम),** दोनों दत्तक ग्रहण से संबंधित हैं, लेकिन इनमें मानदंड अलग-अलग हैं। ○ HAMA केवल हिंदुओं पर लागू होता है, जबकि किशोर न्याय अधिनियम सभी धर्मों पर लागू होता है। • **HAMA के तहत** बच्चे को गोद लेने वाले माता-पिता को **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण** (CARA) में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। • **गोद लेने के इच्छुक माता-पिता** तो बहुत हैं, लेकिन उतनी संख्या में बच्चे उपलब्ध नहीं हैं। • **गैर-पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान (CCI)** अधिक हैं और उनके खराब संचालन की वजह से 762 बच्चों की मौत हुई है। • दत्तक ग्रहण संबंधी मामले **विधि और न्याय मंत्रालय** तथा **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** द्वारा निपटाए जा रहे हैं।
अभिभावकत्व या गार्जियनशिप संबंधी कानूनों की समीक्षा	• **हिंदू अल्पवयस्कता और अभिभावकत्व अधिनियम में अविवाहित जोड़ों से पैदा हुए बच्चे के लिए 'अधर्मज' (अवैध/ Illegitimate)** शब्द का प्रयोग किया गया है।

1.6. वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 में उपबंधित वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं** पर एक खंडित निर्णय दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **IPC की धारा 375** बलात्कार को परिभाषित करते हुए सहमति की ऐसी कई धारणाओं को सूचीबद्ध करती है जिनके भंग होने की स्थिति को पुरुष द्वारा बलात्कार माना जाता है। हालांकि, ये प्रावधान **दो अपवादों** को भी सम्मिलित करते हैं।
- **IPC की धारा 375 का अपवाद 2, वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से शामिल नहीं करता है।**

वैवाहिक बलात्कार और भारत में इसकी स्थिति

- भारत में, **"वैवाहिक बलात्कार" को परिभाषित करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं हैं।**
- हालांकि, **इसका उल्लेख IPC की धारा 375 में है।**
- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS–5) 2019–2021** के अनुसार,
  - **18–49 आयु वर्ग की 3 में से** लगभग **1 भारतीय महिला को किसी न किसी रूप में जीवनसाथी के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है।**
  - **कर्नाटक में यह प्रतिशत सबसे अधिक था,** इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान है।

वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के संदर्भ में न्यायपालिका का दृष्टिकोण

- **इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद (2017):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने **IPC की धारा 375 के अपवाद 2 के तहत, आयु सीमा को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया।**
- **निमेशभाई भरतभाई देसाई बनाम गुजरात राज्य वाद, 2017:** एक पति अपनी पत्नी की पूर्ण और स्वतंत्र सहमति के बिना यौन क्रिया में शामिल होने के लिए उसे बाध्य करके उसकी गरिमा का उल्लंघन नहीं कर सकता है।
- **2021 में, केरल उच्च न्यायालय** ने माना कि **वैवाहिक बलात्कार तलाक का दावा करने का एक उपयुक्त आधार है।**

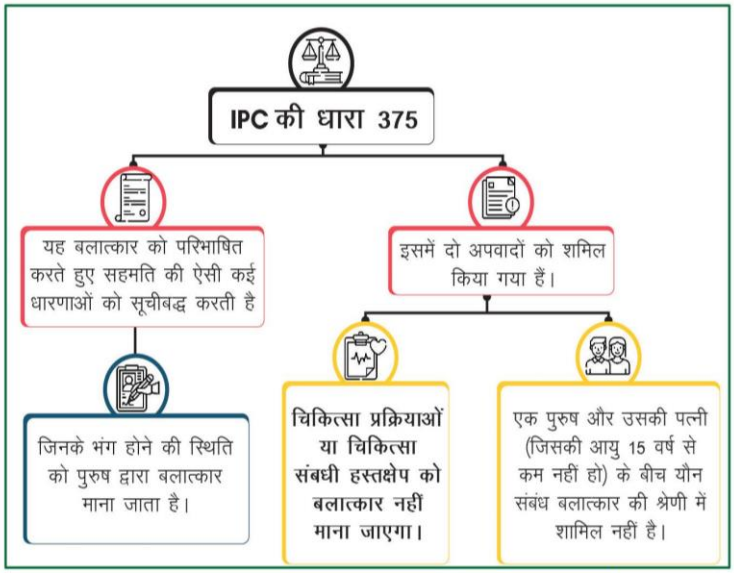

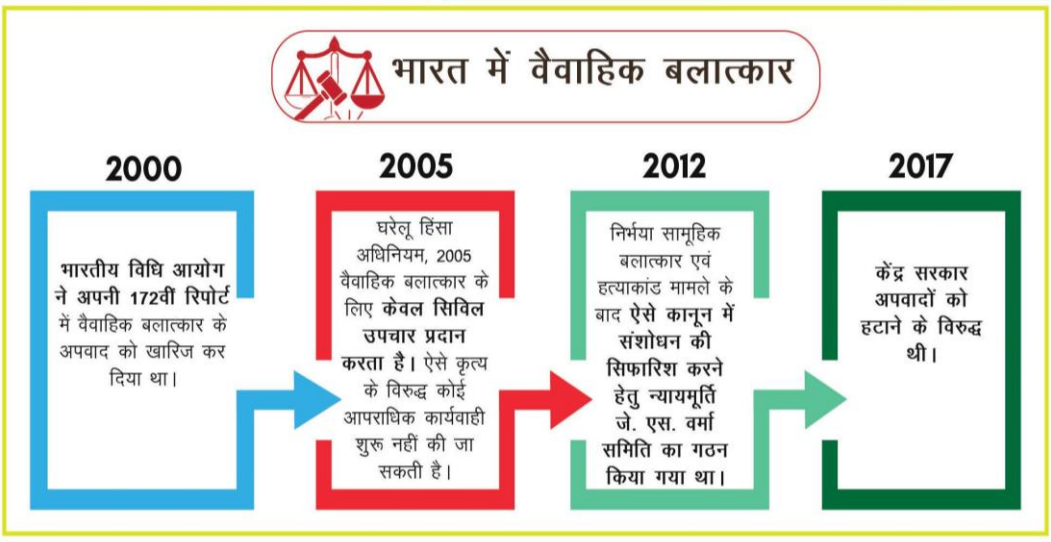

1.7. भारत में दहेज प्रथा (Dowry System in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केरल में कथित दहेज प्रथा से जुड़े मामलों में तीन युवा दुल्हनों की मृत्यु हो गई। इन मौतों ने इस सामाजिक बुराई की ओर फिर से ध्यान खींचा है।

 © Vision IAS

दहेज के बारे में

- **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961** में दहेज को परिभाषित किया गया है।
  - इस अधिनियम के तहत दहेज की परिभाषा में **'वधू-मूल्य (Dower)'** या **मेहर (Mahr)** को शामिल **नहीं** किया गया है। **मेहर** वह धन है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम शादिया़ें में दूल्हा अपनी दुल्हन को देता है।
  - ज्ञातव्य है कि **लड़की के माता-पिता उसके विवाह पर स्त्रीधन** के रूप में उपहार दे सकते हैं, ताकि आपात स्थिति में वह अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सके।
- इसकी विपरीत प्रथा को **'वधू-मूल्य (Dower)'** कहा जाता है, जिसमें दूल्हे की ओर से दुल्हन के माता-पिता को नकद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता है।
  - भारत में कुछ आदिवासी समुदायों, जैसे- **आंध्र प्रदेश के यानाडी और गुजरात के बरिया, पागी व डामोर** पारंपरिक रूप से वधू-मूल्य के रूप में भुगतान करते हैं।

1.8. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 {Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा है कि संसद को 'पॉक्सो (POCSO)' अधिनियम के तहत सहमति की आयु संबंधी मुद्दे की जांच करनी चाहिए।

अन्य संबंधित तथ्य

- पॉक्सो अधिनियम, 2012 की वजह से **किशोरों से जुड़े सहमति-आधारित लैंगिक संबंधों के मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों के समक्ष कठिनाइयां पैदा** हो रही हैं। इसी को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उपर्युक्त अपील की है।
- CJI ने **एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट और यूनिसेफ-इंडिया** द्वारा किए गए अध्ययन का उल्लेख किया है। यह अध्ययन **"रोमैन्टिक" केसेस अंडर द पॉक्सो एक्ट- एन एनालिसिस ऑफ़**

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 बनाम POCSO अधिनियम, 2012

विशेष	धारा 354 IPC	POCSO
पीड़ित की आयु	अपराध के लिए दंड अनिवार्य है चाहे, पीड़िता किसी भी आयु की हो।	बालकों की सुरक्षा हेतु।
पीड़ित का लिंग	महिला	लिंग तटस्थ।
लैंगिक हमले की परिभाषा	परिभाषा **सामान्य** है।	यह अधिनियम पहली बार, "पेनेट्रेटिव यौन हमले", "यौन हमले" और "यौन उत्पीड़न" को परिभाषित करता है।
प्रमाण संबंधी दायित्व	अभियोजन पक्ष पर होता है। **आरोपी 'दोष सिद्ध न होने तक निर्दोष समझा'** जाता है।	आरोपी पर होता है। आरोपी **'निर्दोष सिद्ध न होने तक दोषी माना जाता है।'**
दंड	**न्यूनतम 1 वर्ष।** इसे अर्थदंड के साथ–साथ पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।	**न्यूनतम 3 वर्ष।** इसे अर्थदंड के साथ पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

जजमेंट्स ऑफ़ स्पेशल कोर्ट्स इन असम, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन के अनुसार-

- पॉक्सो अधिनियम के तहत **प्रत्येक चार केस में से एक केस** रोमैन्टिक केस या प्रेम संबंध से जुड़ा होता है।
- **93.8% मामलों में आरोपियों को** निर्दोष पाया गया है।
- 46.6% मामलों में **लड़की की उम्र 16 से 18 साल के बीच** थी।

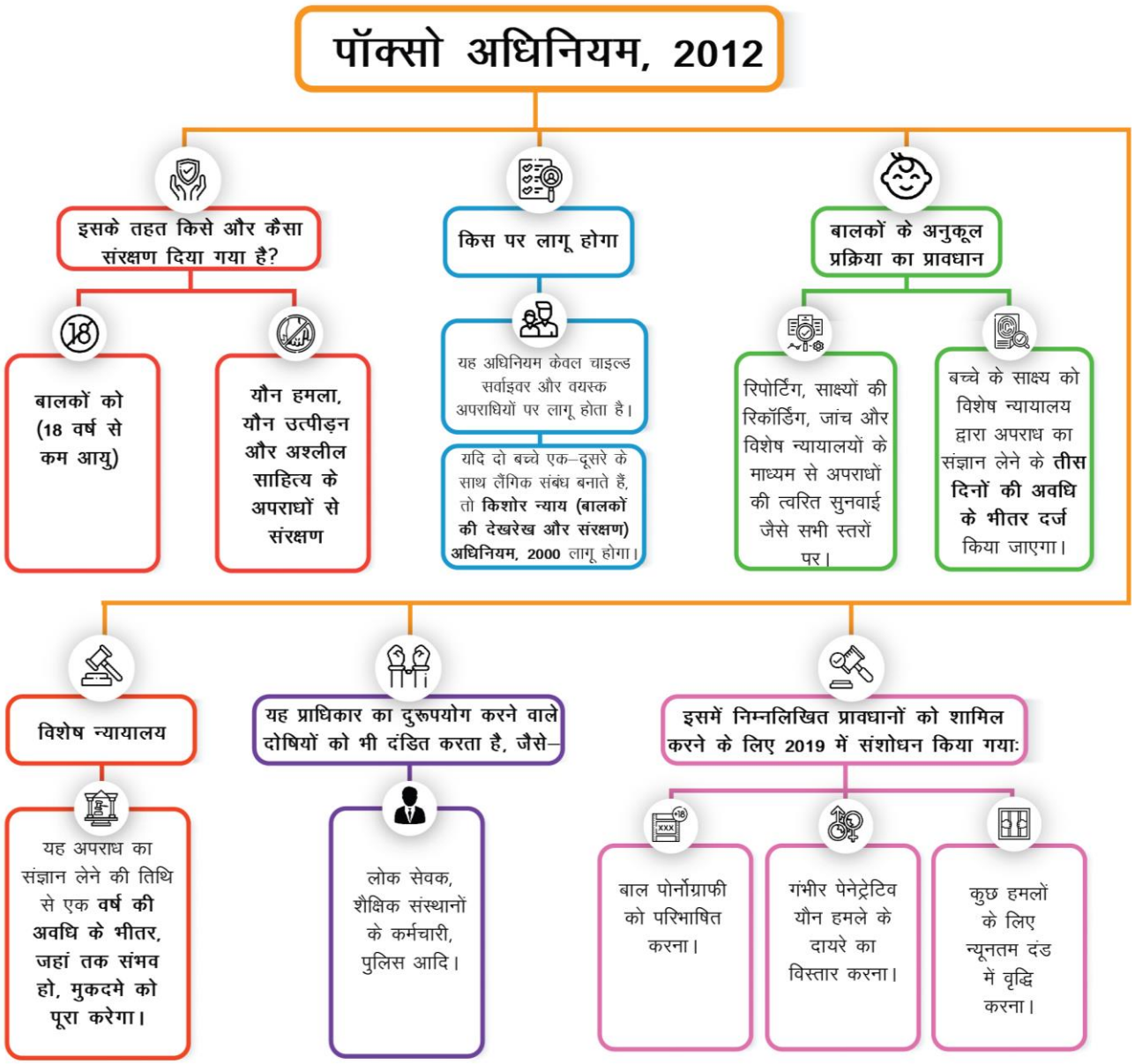

1.9. बाल विवाह (Child Marriage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के पांचवें चरण की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 20 से 24 आयु वर्ग की जिन महिलाओं का सर्वे हुआ, उनमें हर चौथी महिला का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले कर दिया गया था। हालांकि, दोनों के मामले में, कम उम्र में विवाह की प्रवृत्ति में समग्र गिरावट देखी गई है।

© Vision IAS

कानूनी रूप से मान्य उम्र (18 साल) से पहले विवाह करने वाली महिलाएं

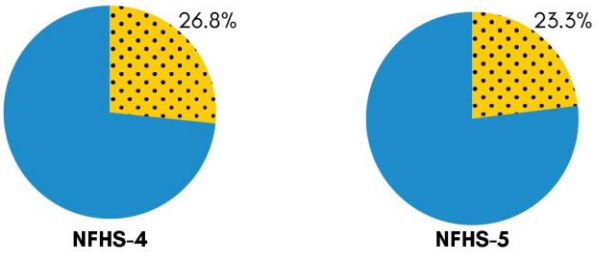

कानूनी रूप से मान्य उम्र (21 साल) से पहले विवाह करने वाले पुरुष

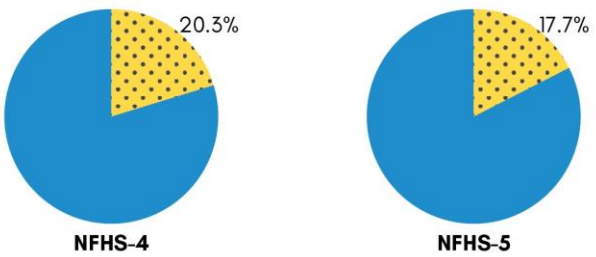

बाल विवाह

- कानूनी रूप से मान्य आयु से पहले विवाह (कम आयु में विवाह की प्रवृत्ति में गिरावट देखी गई है।)
  - 20 से 49 वर्ष की आयु की 38% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की न्यूनतम कानूनी आयु सीमा से पहले हो जाता है।
  - 25 से 49 वर्ष की आयु के 23% पुरुष 21 वर्ष की न्यूनतम कानूनी आयु सीमा से पहले विवाह कर लेते हैं।
- विवाह की औसत आयु
  - 20 से 49 वर्ष की महिलाओं में विवाह की औसत आयु 19.2 वर्ष है। इसके अलावा, 25 से 49 वर्ष के पुरुषों में विवाह की औसत आयु 24.9 वर्ष है।
- राज्य जहां बाल विवाह की दर उच्च है
  - पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक, इसके बाद बिहार का स्थान है।
- किशोरावस्था में गर्भधारण
  - 7% महिलाओं ने 15 से 19 वर्ष की आयु में गर्भधारण किया।
  - यह ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक है।
  - स्कूली शिक्षा के बढ़ते स्तर के साथ किशोरावस्था में गर्भधारण का स्तर कम हो गया है।

बाल विवाह को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के प्रयास

- **बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006**: यह अधिनियम **लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष की आयु को विवाह की न्यूनतम आयु** के रूप में निर्धारित करता है।
  - इससे कम आयु में किए गए विवाह को बाल विवाह माना जाता है। इस प्रकार यह कानून बाल विवाह को प्रतिबंधित, अवैध और दंडनीय अपराध घोषित करता है।
- हाल ही में, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए **'बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021'** को संसद में पेश किया गया था।
- 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' ने इस संबंध में **'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (BBBP)** योजना की शुरुआत की है।
- **चाइल्ड हेल्प लाइन 1098: 24X7 टेलीफोन आपातकालीन आउटरीच सेवा, चाइल्ड हेल्पलाइन** की शुरुआत के साथ पुलिस और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के समन्वय से बाल विवाह की रोकथाम के लिए पहल की है।
- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)**: यह बाल विवाह और संबंधित मामलों के मुद्दे पर **समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों तथा कार्यक्रमों का संचालन** करता है।
  - इसके अलावा, NCPCR ने सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है, कि वे **बाल विवाह को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने और निवारक उपाय करने** के लिए सरपंचों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों सहित सभी को निर्देश जारी करें।

1.10. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

डिजिटल शक्ति 4.0 (Digital Shakti 4.0)	• इसे **साइबरपीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने लॉन्च** किया था। इसका लक्ष्य **महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित साइबरस्पेस बनाना है।** • यह एक अखिल भारतीय परियोजना है। यह **महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल** बनाने पर लक्षित है। साथ ही, यह उन्हें ऑनलाइन **किसी भी अवैध/अनुचित गतिविधि के खिलाफ** विरोध प्रकट करने हेतु जागरूक भी करेगी। ○ इसका उद्देश्य **संपूर्ण भारत में 10 लाख से अधिक महिलाओं** को संवेदनशील बनाना है। • इसका **पहला चरण वर्ष 2018 में शुरू किया गया** था 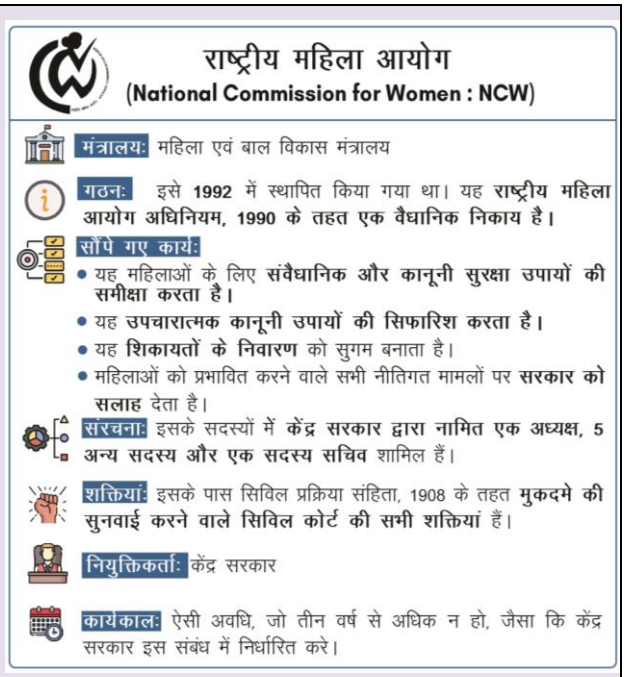
अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ATAL New India Challenge: ANIC)	• अटल नवाचार मिशन (AIM) ने अपने **अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC) कार्यक्रम के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ** किया है। इन चुनौतियों के माध्यम से जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। • ANIC, **नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (AIM) का एक प्रमुख कार्यक्रम है।** ○ इसका उद्देश्य उन प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचारों की **तलाश, चयन, समर्थन और पोषण** करना है, जो राष्ट्रीय महत्व तथा सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रीय चुनौतियों को हल कर सकें। • यह **अनुदान-आधारित तंत्र** के माध्यम से **1 करोड़ रुपये** तक की धनराशि प्रदान करता है। यह निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है: ○ **कंपनी अधिनियम** के तहत निगमित कोई भी **भारतीय कंपनी।** • **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा** मान्यता प्राप्त **स्टार्टअप के रूप में पंजीकृत** कोई भी कंपनी।
तिरुवनंतपुरम घोषणा-पत्र (Thiruvananthapuram Declaration)	• **केरल में प्रथम राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन संपन्न हुआ।** इसमें तिरुवनंतपुरम घोषणा-पत्र को अपनाया गया। • तिरुवनंतपुरम घोषणा-पत्र में कई वर्षों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक (1996 से ही) पर निराशा व्यक्त की गयी। यह विधेयक लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है।

© Vision IAS

ई-बाल निदान पोर्टल का कायाकल्प (Revamped E-Baal Nidan portal)	• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने **ऑनलाइन पोर्टल 'ई-बाल निदान' का कायाकल्प किया है।** • ई-बाल निदान **NCPCR की एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली** है। ○ इसके माध्यम से **कोई भी व्यक्ति या संगठन बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायत ऑनलाइन** दर्ज करा सकता है। • **संशोधित सुविधाओं में शामिल हैं:** ○ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, श्रम, शिक्षा आदि जैसे विषयों के आधार पर **शिकायतों का विभाजन** करना। ○ **शिकायतों को प्रत्येक स्तर** पर अधिक यंत्रीकृत और समयबद्ध तरीके से **ट्रैक करना।** ○ **शिकायतों को NCPCR से संबंधित राज्य आयोग को स्थानांतरित** करने का विकल्प प्रदान करना। 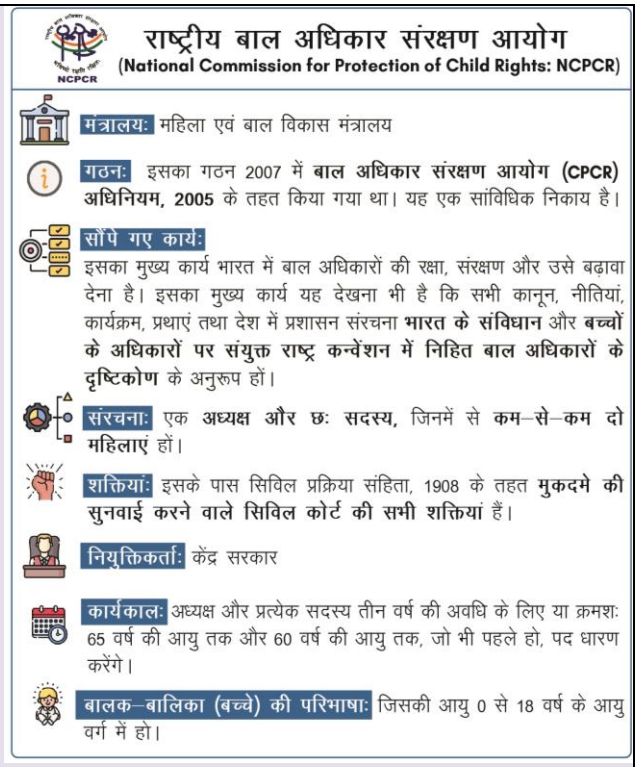
ऑपरेशन मेघ-चक्र (Operation Megh-Chakra)	• **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बाल लैंगिक शोषण सामग्री के ऑनलाइन प्रसार** और साझाकरण के विरुद्ध **"मेघ-चक्र"** नामक एक प्रमुख ऑपरेशन शुरू किया है। ○ CBI ने इसी तरह का एक ऑपरेशन **नवंबर, 2021** में भी संचालित किया था। इसका नाम **"ऑपरेशन कार्बन"** था। • CBI के पास एक **अंतर्राष्ट्रीय बाल लैंगिक शोषण (ICSE) इमेज और विडियो डेटाबेस** है। यह डेटाबेस सदस्य देशों के जांचकर्ताओं को **बाल लैंगिक शोषण के मामलों पर डेटा साझा करने की अनुमति** प्रदान करता है।
सड़क पर रहने वाले बच्चे (Children in Street Situations: CiSS)	• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)[11] ने **CiSS** की पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए **"CiSS एप्लिकेशन"** लॉन्च किया है। इसे **बाल स्वराज पोर्टल** के तहत लॉन्च किया गया है। ○ **बाल स्वराज** NCPCR द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। यह देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की **ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल** तंत्र के माध्यम से उनकी **रियल-टाइम निगरानी** के लिए शुरू किया गया है। ▪ इस पोर्टल के दो कार्य हैं- **कोविड देखभाल** और **CiSS**

[11] National Commission for the Protection of Child Rights

	○ यह पहल **सुप्रीम कोर्ट के निर्देश** के बाद शुरू की गई है। • CiSS एप्लिकेशन का उपयोग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सड़क पर रहने वाले बच्चों का **डेटा प्राप्त करने के लिए** किया जाएगा। इसके तहत उनके **बचाव और पुनर्वास** प्रक्रिया पर भी नजर रखी जाएगी। • यह कार्यक्रम संविधान के **अनुच्छेद 51(A)** के संगत है। यह नागरिकों को सहायता की आवश्यकता वाले किसी भी बच्चे की रिपोर्ट करने और जरूरतमंद बच्चों को हर संभव **सहायता** प्रदान करने के लिए एक **मंच** प्रदान करता है। • **NCPCR, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005** के तहत एक वैधानिक निकाय है।
जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विस्थापित बच्चों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत (Guiding Principles for Children on the Move in the Context of Climate Change)	• **जारीकर्ता:** इसे **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF)** और अन्य संगठनों ने जारी किया है। • यह **नौ सिद्धांतों का एक समूह** है। ये सिद्धांत उन बच्चों की **विशेष सुभेद्यता** को देखते हैं, जो **जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित** हो गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में **आंतरिक के साथ-साथ सीमा-पार प्रवास,** दोनों को शामिल किया गया है। • ये सिद्धांत बाल अधिकारों पर कन्वेंशन से लिए गए हैं और इसलिए ये नए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों का निर्माण नहीं करते हैं। 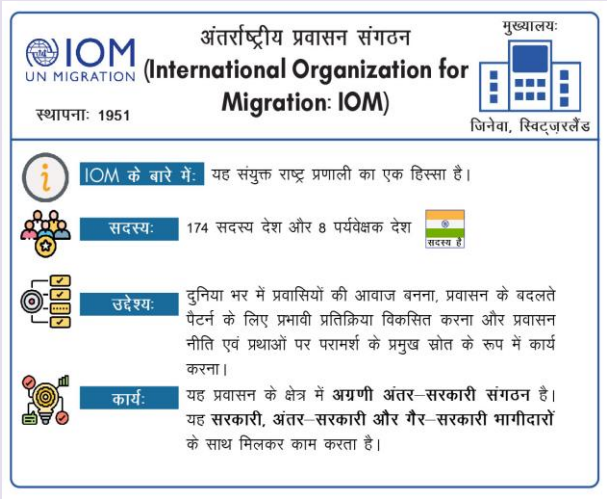

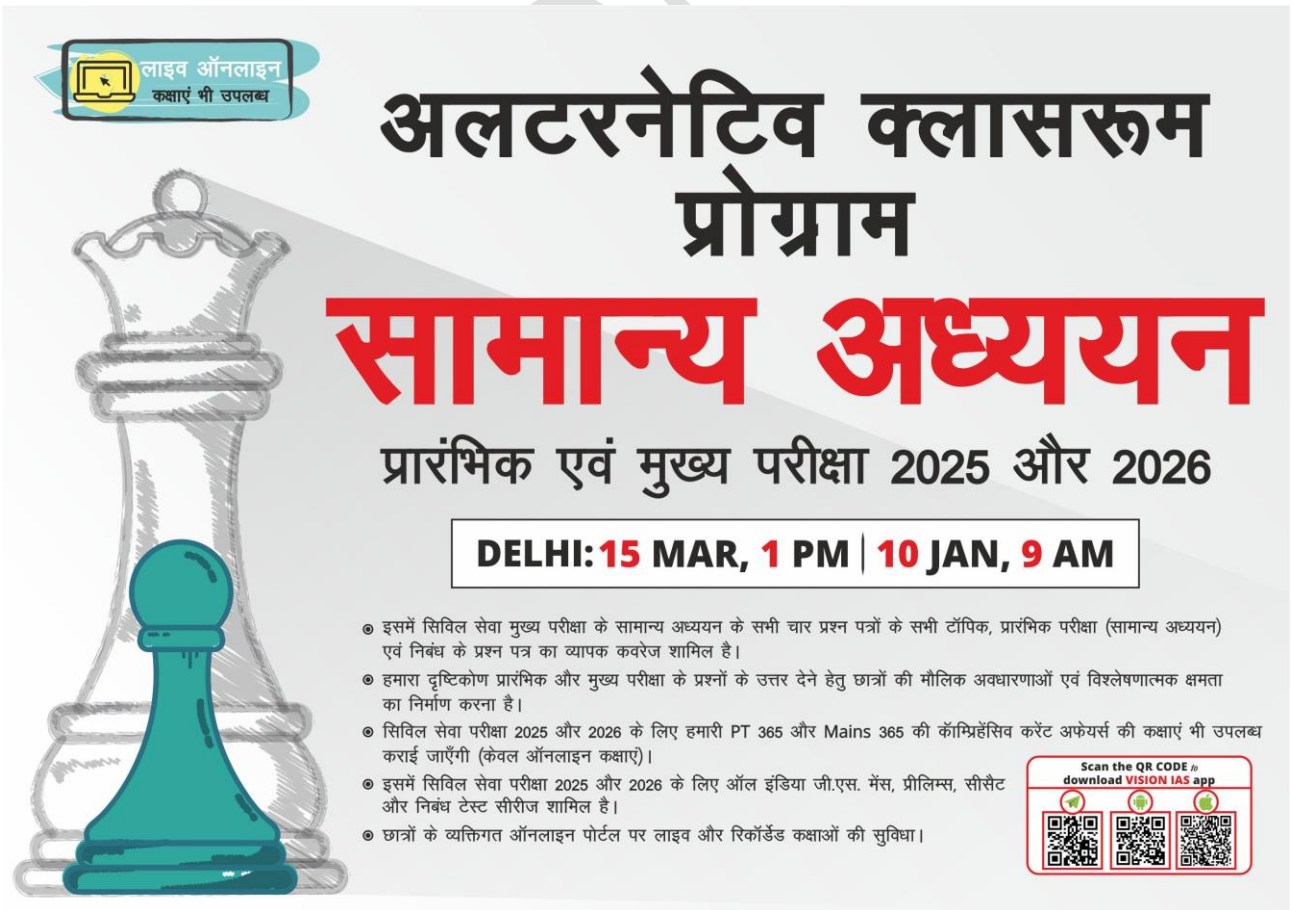

© Vision IAS

2. अन्य सुभेद्य वर्ग (Other Vulnerable Sections)

2.1. मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए **'नमस्ते (NAMASTE)' योजना** तैयार की है।

मशीनीकृत सैनिटेशन परिवेश के लिए राष्ट्रीय योजना (National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem: NAMASTE/ नमस्ते) के बारे में

- इस योजना का उद्देश्य **100% मशीनीकरण को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से** सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई, **नालियों की सफाई, कचरा उठाने, कीचड़ प्रबंधन**, ठोस और चिकित्सीय अपशिष्ट निपटान आदि में।
- यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- यह **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) और आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA)** का एक संयुक्त कार्यक्रम है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC)**[12] 'नमस्ते' योजना के लिए **कार्यान्वयन एजेंसी होगी।**
  - इस योजना के बेहतर समन्वय के लिए राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर **नमस्ते मैनेजमेंट यूनिट्स** स्थापित किए जाएंगे।
- इस योजना में **सीवर/ सेप्टिक टैंक कामगारों (SSWs) की पहचान** करने की परिकल्पना की गई है। इसमें उन **अनौपचारिक श्रमिकों की संख्या पर ध्यान केंद्रित किया गया है** जो सफाई के जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं।
  - चिह्नित किए गए SSWs और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए **आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)** के अंतर्गत कवर किया जाएगा। साथ ही, उन्हें **पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सबवेंशन सहित आजीविका सहायता भी प्रदान की** जाएगी।
  - **NAMASTE योजना के इस चरण के तहत पांच सौ अमृत शहरों** (AMRUT)[13] को शामिल किया जाएगा।

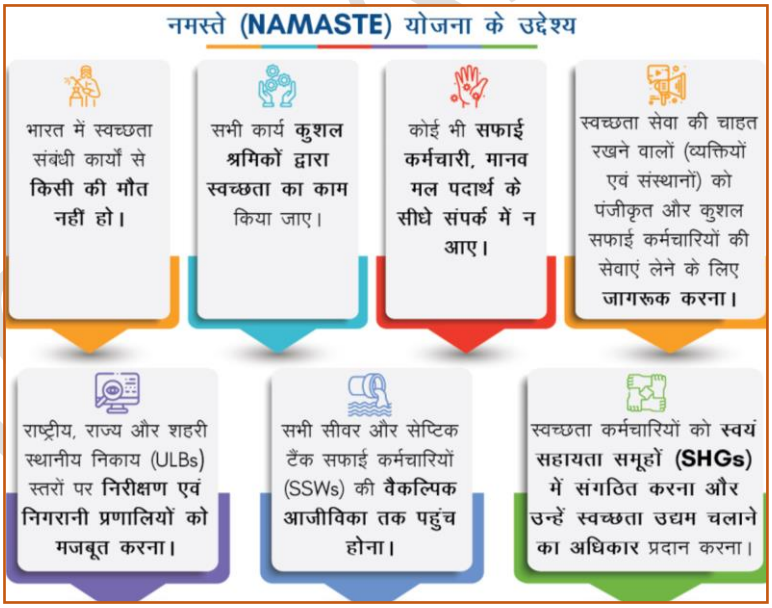

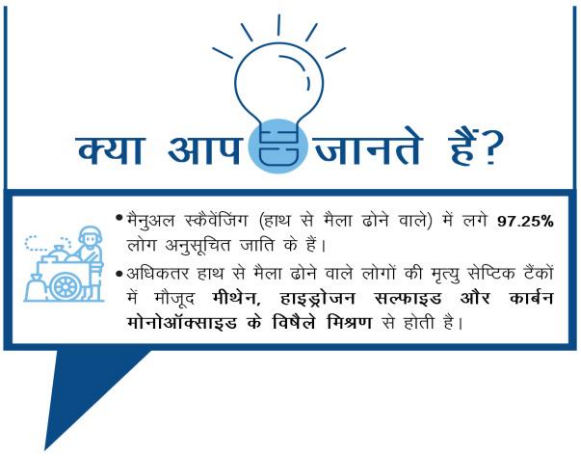

[12] National Safai Karamchari Financial Development Corporation

[13] अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

- **चिह्नित सफाई कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को** विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही **सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।** इन योजनाओं में प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि शामिल हैं।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

'हाथ से मैला ढोने वाले' कौन हैं?	• **अस्वच्छ शौचालय, खुली नाली या गटर एवं सीवर या रेलवे पटरी से अपघटित मानव अपशिष्ट को हटाने/उठाने** हेतु नियोजित किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में परिभाषित किया गया है। • वह व्यक्ति किसी के द्वारा भी नियमित या संविदा के आधार पर नियोजित किया जा सकता है। • **अपवाद**– मानव अपशिष्ट को साफ करने के लिए नियोजित कोई भी व्यक्ति जो उपयुक्त सुरक्षात्मक यंत्रों और उपकरणों की मदद से ऐसे कार्य को संपन्न करता है, तो वह इस कानून के तहत हाथ से मैला ढोने वाला नहीं माना जाएगा। • **'सफाई कर्मचारी'** कहलाने वाले लोगों के एक अन्य समूह को भी कभी–कभी हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रेखांकित किया जाता है। हालांकि, सफाई कर्मचारी शब्द आमतौर पर नगरपालिकाओं, सरकारी या निजी संगठनों में झाड़ू लगाने वाले या सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले लोगों को प्रतिबिंबित करता है।
यह कानून कैसे हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित करता है?	• पहला कदम **'अस्वच्छ शौचालयों' के प्रयोग को समाप्त करना** है। • स्थानीय प्राधिकरणों के लिए कुछ समयबद्ध प्रतिबद्धताओं को लागू किया गया है। • **सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकरणों को सौंपी गई है।** अतः ऐसे शौचालयों को कार्यात्मक और स्वच्छ बनाए रखने हेतु उन्हें आवश्यक प्रयास करने चाहिए।
यह कानून निम्नलिखित को अपराध के रूप में वर्णित करता है:	• अस्वच्छ शौचालयों की सफाई के लिए लोगों को हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में काम पर रखना। • सुरक्षात्मक यंत्रों के बिना सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए लोगों को काम पर रखना। • अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना। • इस अधिनियम के लागू होने की एक निश्चित अवधि के भीतर अस्वच्छ शौचालयों के प्रयोग को समाप्त या परिवर्तित नहीं करना।
हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास	• यह कानून **हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए नियम और प्रक्रिया निर्धारित करता है।** यह पुनर्वास वैकल्पिक रोजगार में प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और संपत्ति खरीदने में सहायता प्रदान करने के माध्यम से किया जाएगा।
हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान का दायित्व	• प्रत्येक **स्थानीय प्राधिकरण** (नगर पालिका या पंचायत), छावनी परिषद या रेलवे प्राधिकरण को हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान करने के लिए अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।

2.2. ट्रांसजेंडर के अधिकार (Transgender Rights)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कर्नाटक** ट्रांसजेंडर लोगों को सभी सरकारी सेवाओं में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में

- **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम[14], 2019** एक ट्रांसजेंडर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, **जिसका लिंग जन्म के समय नियत किए गए लिंग के समान नहीं होता है।**
  - इस अधिनियम के अनुसार, **ट्रांसजेंडर्स व्यक्ति में** ट्रांसमेन (परा-पुरुष) और ट्रांस-विमेन (परा-स्त्री), इंटरसेक्स भिन्नताओं और जेंडर क्वीर आते हैं। इसमें सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति, जैसे- किन्नर, हिंजड़ा, भी शामिल हैं।
- चूंकि ट्रांसजेंडर समुदाय **'पुरुष' या 'महिला'** की **सामान्य श्रेणी में उपयुक्त प्रतीत नहीं** होता है, इसलिए उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण यह उन्हें **देश में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाला समुदाय** बना देता है।

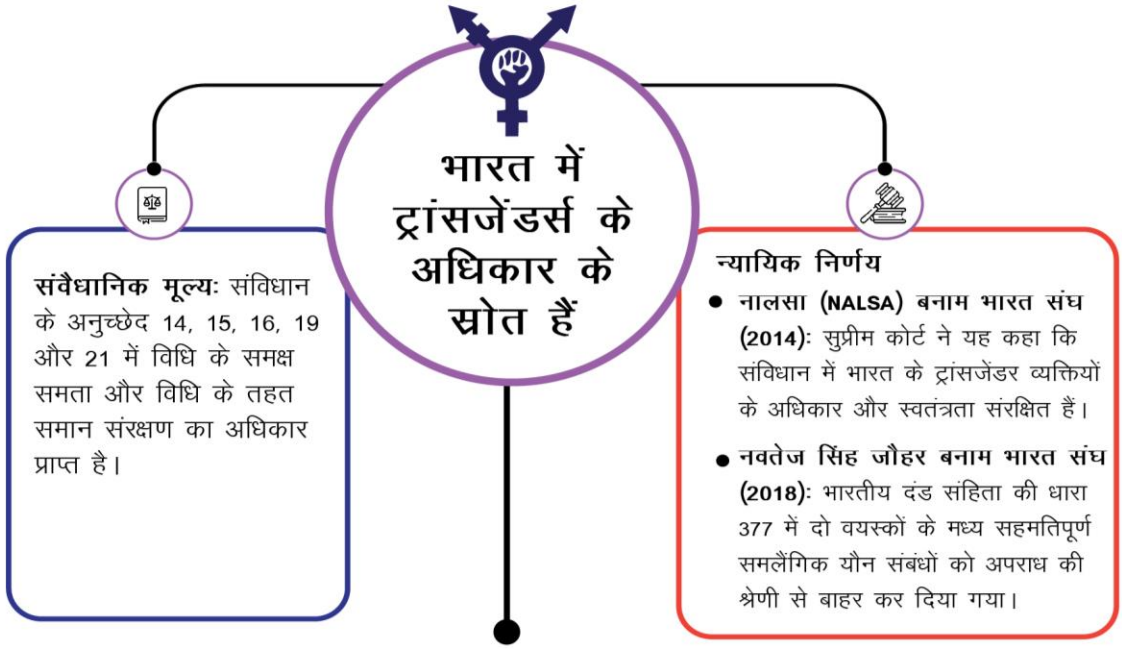

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून, 2019

ट्रांसजेंडर के विरुद्ध भेदभाव को रोकता है: रोज़गार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं में।

स्वतः अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकारः हालांकि, प्रत्येक व्यक्ति को ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए पहचान प्रमाण–पत्र के आधार पर 'ट्रांसजेंडर' के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी।

शिकायत निवारण तंत्रः इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रत्येक संस्थान द्वारा एक व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य है।

आवास का अधिकारः किसी भी बच्चे को ट्रांसजेंडर होने के कारण उसके माँ–बाप या निकटतम परिवार से अलग नहीं किया जाएगा। हालांकि, प्राधिकृत न्यायालय द्वारा बच्चे के हित में ऐसा करने का आदेश दिया जा सकता है।

शिक्षण संस्थानों के दायित्वः सरकारी–वित्त पोषित या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किसी भेद–भाव और समान आधार पर समावेशी शिक्षा, खेल–कूद तथा आनंददायक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए समान अवसर प्रदान करना होगा।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद्: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबद्ध योजनाओं, कार्यक्रम, विधेयक और परियोजनाओं के निर्माण हेतु केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए।

[14] Transgender Persons (Protection of Rights) Act

2.3. दिव्यांगजन {Persons with Disabilities (PwDs)}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** ने **राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति का मसौदा** जारी किया है। इसे सार्वजनिक विचार प्राप्त करने के लिए जारी किया गया है।

प्रस्तावित मसौदा नीति के बारे में

- इसे **नि:शक्तजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 के स्थान पर लागू** किया जाएगा।
- **अनेक कारणों के चलते इस मसौदा नीति की आवश्यकता महसूस की गई है। इनमें शामिल हैं:**
  - भारत द्वारा वर्ष 2007 में **नि:शक्तजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD)**[15] पर हस्ताक्षर किए गए थे।
  - **दिव्यांगजन अधिकार (RPD) अधिनियम, 2016** का लागू होना। इसके तहत दिव्यांगता के विद्यमान प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
  - **"दिव्यांगजनों के लिए एशिया-प्रशांत दशक हेतु इंचियोन रणनीति 2013-2022"** के एक पक्षकार के रूप में भारत का शामिल होना। इसे **एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP)** के तत्वावधान में तैयार किया गया है।
    - इस इंचियोन रणनीति के तहत सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2030 के अनुरूप दिव्यांगजनों के समावेशन और सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए **एशिया-प्रशांत देशों हेतु 10 लक्ष्यों** को चिन्हित किया गया है।

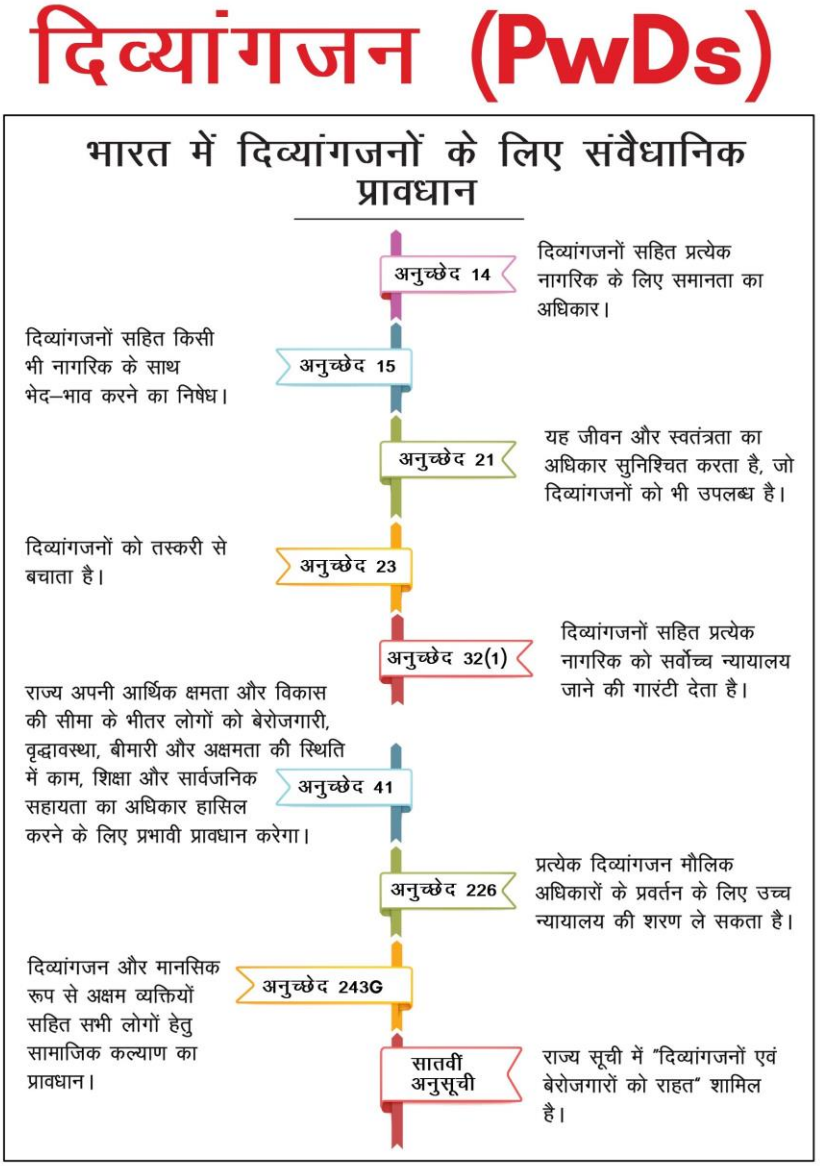

[15] United Nations Convention on Rights of Person with Disabilities

© Vision IAS

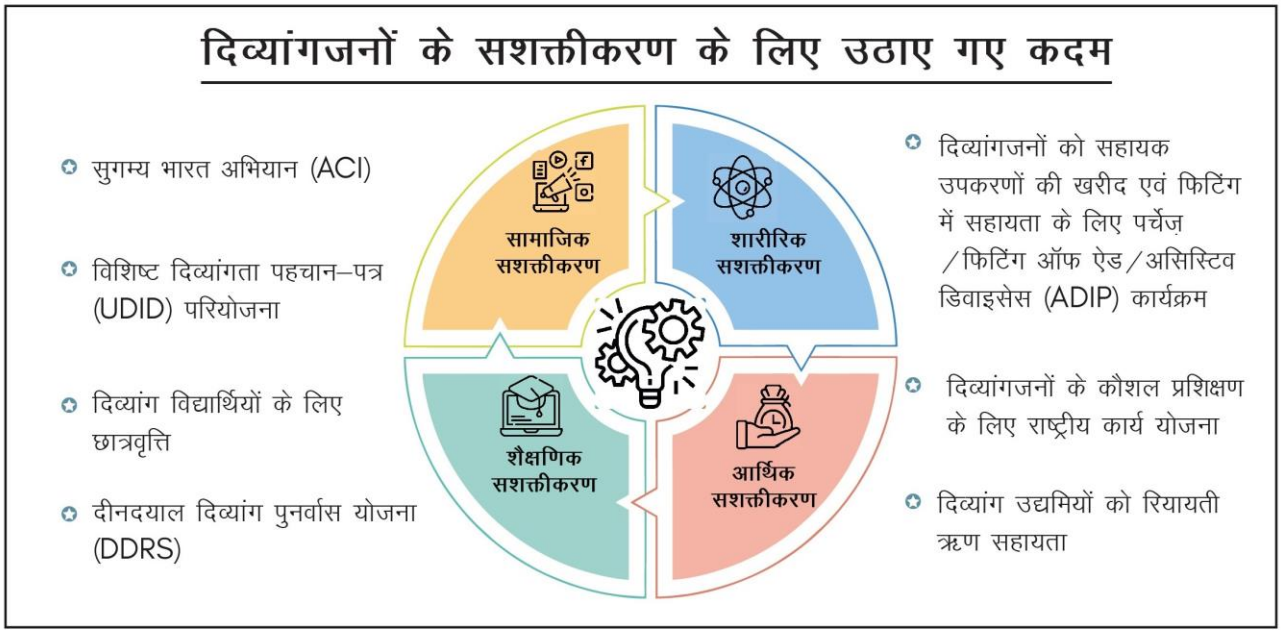

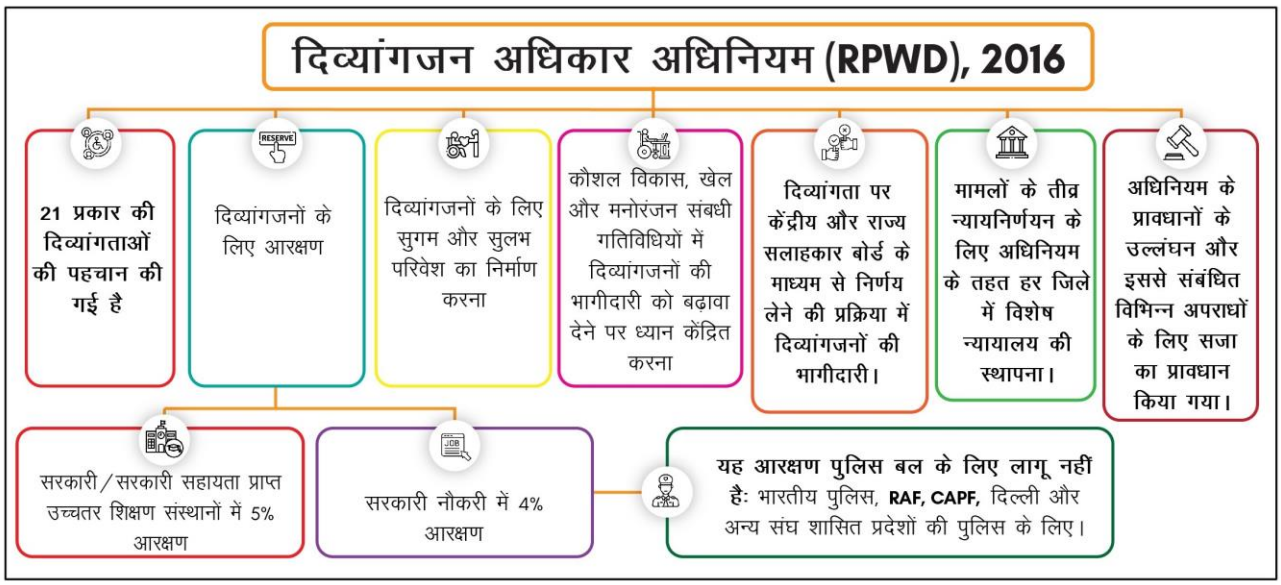

2.3.1. सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट (First Global Report on Assistive Technology: GREAT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)[16] और **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF)**[17] ने संयुक्त रूप से सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट (GReAT)[18] लॉन्च की है।

GReAT के बारे में

- GReAT रिपोर्ट को मई 2018 में अपनाए गए सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार करने के लिए **विश्व स्वास्थ्य सभा के संकल्प WHA71.8 की प्रतिक्रिया में विकसित किया गया है।**

[16] World Health Organisation

[17] United Nations Children's Fund

[18] Global Report on Assistive Technology

- WHO सहायक प्रौद्योगिकी को परिभाषित करता है। उसके अनुसार सहायक प्रौद्योगिकी, **"सिस्टम और सेवाओं सहित सहायक उत्पादों से संबंधित संगठित ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग है।"** सहायक प्रौद्योगिकी **स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का एक सबसेट है।**
- एक **सहायक उत्पाद** में व्हीलचेयर, पावर चेयर, वॉकर, सफेद बेंत, सहायक सुनने वाले उपकरण, माइक्रोफोन, ऑक्सीजन टैंक, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ग्लोबल पोजिशन सिस्टम (GPS) आदि शामिल हैं।

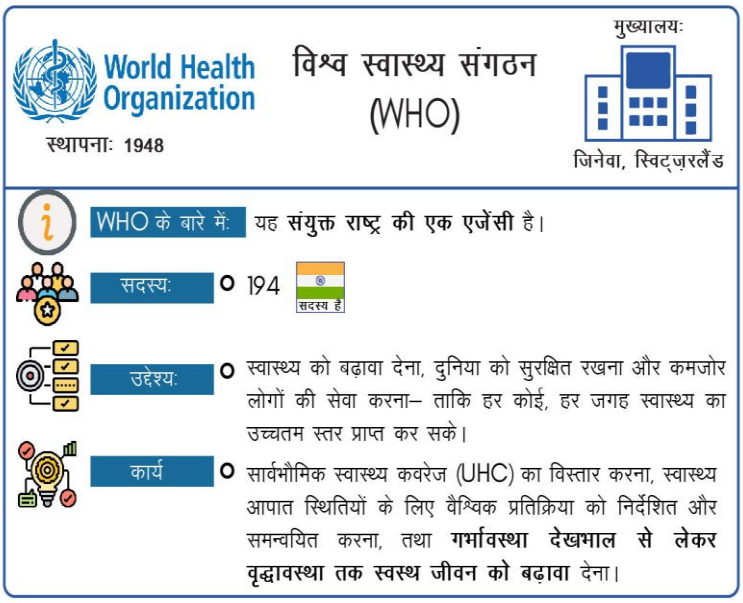

- वैश्विक रिपोर्ट लोगों को उनके मानवाधिकारों को समझने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में **सहायक प्रौद्योगिकी और सक्षमकारी परिवेश को मान्यता देती है।** साथ ही, साक्ष्य-आधारित सर्वोत्तम कार्यों को साझा करती है।
- **GReAT रिपोर्ट का लक्ष्य है:**
  - सहायक प्रौद्योगिकी तक वर्तमान वैश्विक पहुंच का एक **व्यापक डेटासेट और विश्लेषण** प्रस्तुत करना। इसके लिए आवश्यकता की राष्ट्रीय एवं वैश्विक समझ के निर्माण हेतु **जनसंख्या आधारित डेटा** का उपयोग करना। साथ ही, राष्ट्रीय प्रणाली तैयारियों के मापन व सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सुदृढ़ करने हेतु **प्रणाली स्तरीय डेटा** का भी उपयोग करना।
  - **दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय** के कार्यान्वयन का समर्थन करना।
  - **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने,** विशेष रूप से **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)** को समावेशी बनाने में योगदान देना।

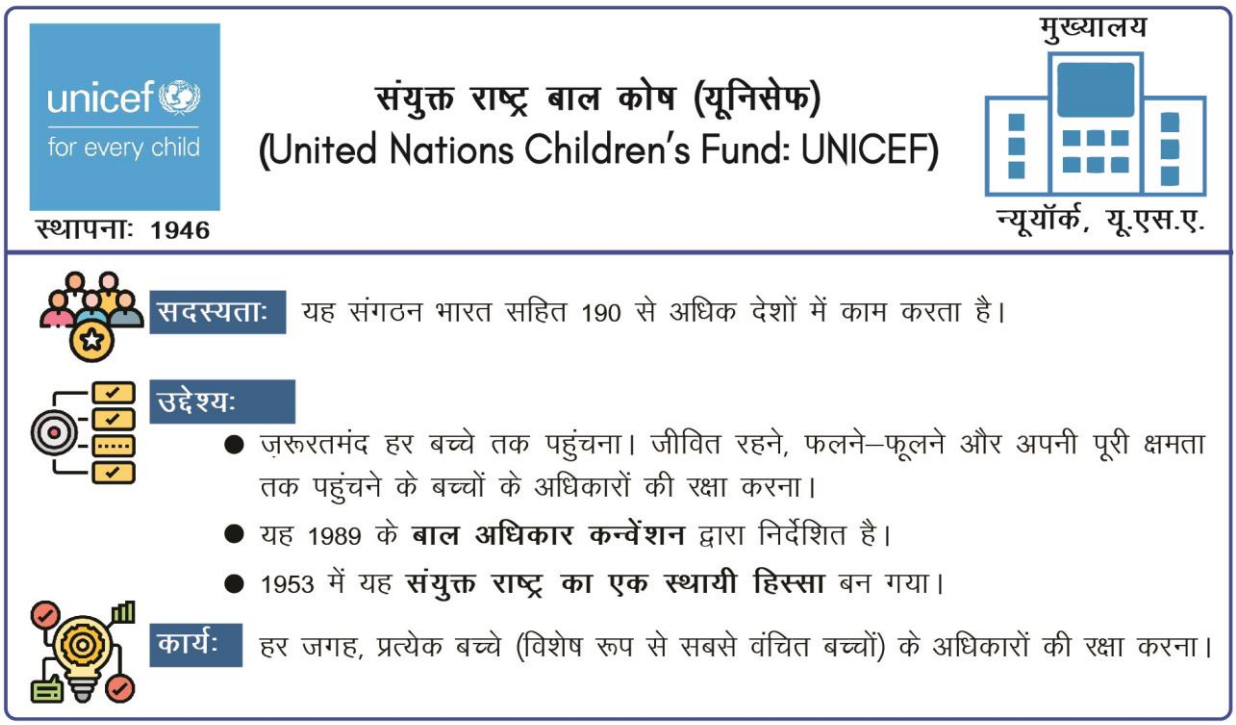

© Vision IAS

भारत में सहायक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आरंभ की गई पहलें

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, **भारत में दिव्यांगजनों की आबादी 26.8 मिलियन है। प्रतिशत के हिसाब से यह 2.21% है।**
- **सहायक प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र (CATI):** CATI पहला सहायक प्रौद्योगिकी केंद्र (ATC) था। इसे **वर्ष 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग (NISH), केरल,** में स्थापित किया गया था।
- **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO)[19]:**
  - यह एक **मिनीरत्न श्रेणी का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम** है। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है। यह **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** के तहत कार्यरत है।
  - यह **भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का 100% स्वामित्व** वाला निगम है। इसने वर्ष 1976 में इस प्रकार का विनिर्माण शुरू किया।
  - इसका उद्देश्य **दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंगों के निर्माण, प्रचार, प्रोत्साहन और विकास तथा पुनर्वास सहायता** द्वारा अधिकतम संभव सीमा तक दिव्यांग व्यक्तियों को लाभान्वित करना है।
- **स्वास्थ्य के लिए निर्बाध किफायती सहायक तकनीक (साथ/SAATH):** यह नेशनल ट्रस्ट का संसाधन केंद्र है। यह भारत (आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बैंगलोर) तथा स्वीडन (केटीएच स्वीडन और गैवले विश्वविद्यालय) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह भारत में दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों हेतु कार्य कर रहा है।

भारत में सहायक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजनाएं

- **दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना (ADIP योजना)।**
  - ADIP योजना **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** द्वारा शुरू की गई है। यह वर्ष **1981 से क्रियान्वित** है।
  - **योजना के तहत आपूर्ति की जानी वाली सहायक तकनीकों और उपकरणों के संदर्भ में उचित प्रमाणीकरण** होना चाहिए।
  - इस योजना में सहायक उपकरण प्रदान करने से पहले, **जहां कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक सर्जरी के संचालन की भी परिकल्पना की गई है।**
- **सुगम्य भारत अभियान:** यह भारत में दिव्यांग लोगों की सेवा के लिए वर्ष 2015 में शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। अभियान का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन के सभी पहलुओं में भाग लेने और सहायक उपकरणों की मदद से स्वतंत्र रूप से जीने के समान अवसर प्रदान करना है।

2.4. गैर-अधिसूचित जनजातियां (Denotified Tribes: DNTs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

31 अगस्त, 2022 को **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871**[20] को निरस्त किए जाने के 70 वर्ष पूरे हो गए।

घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के बारे में

- **सभी घुमंतू जनजातियां (Nomadic tribes: NTs), गैर-अधिसूचित जनजातियां (DNTs) नहीं हैं,** लेकिन **सभी DNTs, घुमंतू जनजातियां (NTs) हैं।**
- घुमंतू और अर्ध-घुमंतू **ऐसे सामाजिक समूह हैं, जो** अपनी आजीविका के लिए **आमतौर पर बदलते मौसम के अनुरूप एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते रहते हैं।**
- तीन प्रकार के घुमंतू समुदाय:
  - पक्षियों और जानवरों के **शिकारी/ ट्रैपर**, आखेटक आदि, जैसे- कोंडा रेड्डी, चेंचस आदि।
  - **देहाती समुदाय,** जैसे- पारदी, गुज्जर, बंजारा, भील, कुरबा, मधुरा, आदि।
  - **फेरीवाले (पेडलर्स)**, भाग्य बताने वाले, कहानीकार, कलाबाज, नर्तक और नाटककारों **के घुमंतू समूह।**

[19] Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India

[20] Criminal Tribes Act, 1871

गैर–अधिसूचित जनजातियां (DNTs)

गैर–अधिसूचित जनजातियों (DNTs) के बारे में

ये सर्वाधिक कमजोर और वंचित समुदाय हैं। इन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान 'आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871' के तहत **'जन्मजात अपराधी' घोषित** किया गया था।

गैर–अधिसूचित जनजातियां एक विषम समूह है, जो विभिन्न व्यवसायों में संलग्न है। इन व्यवसायों में परिवहन, चाबी बनाना, नमक का व्यापार, मनोरंजन (कलाबाज, सपेरा, जादूगर) और पशु चराना आदि शामिल हैं।

आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को **'आदतन (Habitual) अपराधी अधिनियम, 1952'** द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

कई गैर–अधिसूचित जनजातियों को ST, SC और OBC की सूचियों में शामिल किया गया है।

DNTs द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे

- **पहचान:** DNTs को **संविधान में मान्यता नहीं दी गई है।**
- **अलगाव:** DNTs को उनके प्राकृतिक पर्यावास से विस्थापित किया गया है और मानवाधिकारों से भी वंचित रखा गया।
- **आर्थिक रूप से कमजोर:** रेनके समिति के अनुसार **ये आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर हैं, क्योंकि** इनके पास कोई भूमि नहीं है।
- **डेटा का अभाव:** इन समूहों के बारे में विश्वसनीय डेटा का अभाव के कारण इनके लिए प्रभावी योजना बनाना कठिन हो जाता है।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** गैर–अधिसूचित जनजातियों के राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है और उन्हें किसी राष्ट्रीय नेता का संरक्षण भी प्राप्त नहीं है।
- **सामाजिक मुद्दे: शैक्षिक और स्वास्थ्य संस्थानों तक** गैर–अधिसूचित जनजातियों **की पहुंच बहुत कम है।**

SCs, STs तथा OBCs की श्रेणी में किसी जाति (या समुदाय) को शामिल करने के लिए मानदंड

अनुसूचित जाति (SCs)

अस्पृश्यता की परंपरागत प्रथा से उत्पन्न अत्यधिक **सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन।**

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs)

सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक पिछड़ापन तथा केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।

अनुसूचित जनजाति (STs)

आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने में संकोच तथा पिछड़ेपन के संकेत।

वर्तमान स्थिति

- रेनके आयोग, 2008 के अनुसार, भारत में लगभग **1,500 घुमंतू एवं अर्ध–घुमंतू जनजातियां और 198 गैर–अधिसूचित जनजातियां हैं।** इनकी कुल जनसंख्या लगभग 15 करोड़ हैं।
- भारत में गैर–अधिसूचित जनजाति समुदायों द्वारा **31 अगस्त की तिथि को 'विमुक्त जाति दिवस'** के रूप में मनाया जाता है।

DNTs के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **गैर–अधिसूचित (विमुक्त), घुमंतू और अर्ध–घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCDNT):** भारत सरकार ने गैर–अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध–घुमंतू जनजातियों की राज्यवार सूची तैयार करने के लिए इसका गठन किया था। → इसकी **अध्यक्षता बालकृष्ण सिदराम रेनके ने की थी।**
- **गैर–अधिसूचित जनजातियों के छात्र–छात्राओं के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिक–पूर्व और मैट्रिक–पश्चात छात्रवृत्ति: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।** इसका उद्देश्य उन गैर–अधिसूचित जनजातियों का **शैक्षिक सशक्तीकरण करना है,** जो SC/ST/OBC श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती हैं। → इसका **वित्त पोषण राज्य और केंद्र द्वारा 25:75 के अनुपात में किया जाएगा।**
- **DNTs के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु नानाजी देशमुख योजना:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
- **DNT समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजना (SEED):** इस योजना को **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा** शुरू किया गया था। इसके उद्देश्य हैं–गैर–अधिसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना और परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, आदि।
- 2019 में **गैर–अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध–घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड का गठन किया गया।**

© Vision IAS

2.5. शहरी गरीबी (Urban Poverty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यू.एन. हैबिटेट की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर के शहरों में गरीबी और असमानता तेजी से फैल रही है।

भारत में शहरी गरीबी का स्तर क्या है?

- आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की एक रिपोर्ट (2001) के अनुसार, **लगभग 23.5% शहरी परिवार स्लम में रहते हैं।**
  - 2011 तक यह प्रतिशत घटकर 17% हो गया था, जबकि स्लम में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या बढ़ गई थी।

शब्दावली को जानें

- **शहरी निर्धनता** विशेष रूप से बड़े–बड़े शहरों में दिखाई देने वाली निर्धनता का एक रूप है। इसके लक्षणों में निम्न आय और रहने की खराब परिस्थितियां; आवश्यक नागरिक सुविधाओं की कमी; जीवन की खराब गुणवत्ता आदि शामिल हैं।

यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम (यू.एन. हैबिटैट)

UN-HABITAT

मुख्यालय: नैरोबी, केन्या

उत्पत्ति: **संयुक्त राष्ट्र महासभा** (UNGA) ने 1975 में **यूनाइटेड हैबिटेट एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स फाउंडेशन (UNHHSF)** की स्थापना की। यह शहरीकरण के मुद्दों के प्रति समर्पित संयुक्त राष्ट्र का पहला आधिकारिक निकाय है। वर्ष 1977 में **यू.एन. हैबिटैट–1** को **यू.एन. हैबिटैट** के पूर्ववर्ती निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

उद्देश्य: सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय कस्बों और शहरों को बढ़ावा देना।

गवर्नेंस संबंधी संरचना

- यू.एन. हैबिटैट एसेंबली
- कार्यकारी बोर्ड
- स्थायी प्रतिनिधियों की समिति

सदस्यता: संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

- **महत्वपूर्ण भागीदार:** सरकारें, अंतर–सरकारी संगठन, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, नागरिक समाज संगठन, फाउंडेशन, शैक्षणिक संस्थान और निजी क्षेत्रक।
- इसने रणनीतिक और एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाते हुए **रणनीतिक योजना 2020–2023** जारी की है। इसमें इक्कीसवीं सदी के शहरों एवं अन्य मानव बस्तियों के लिए अवसरों को प्रस्तुत करने के साथ–साथ व्याप्त चुनौतियों से निपटने के भी उपाय किए गए हैं।

यू.एन. हैबिटैट का फोकस क्षेत्र

- शहरी–ग्रामीण परिवेश के समुदायों के बीच स्थानिक असमानता और गरीबी को कम करना
- शहरों और अलग–अलग क्षेत्रों के लिए साझी समृद्धि को बढ़ावा देना
- मजबूत जलवायु कार्रवाई और बेहतर शहरी परिवेश
- शहरी संकट का प्रभावी समाधान और प्रतिक्रिया

शहरी निर्धनता से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत): इसका उद्देश्य सभी शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

स्मार्ट सिटी मिशन: इसका उद्देश्य स्मार्ट, नागरिक अनुकूल और संधारणीय शहरों का विकास करना है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM): इसका उद्देश्य लाभकारी स्वरोजगार और कौशल रोजगार के माध्यम से शहरी गरीबों की निर्धनता और सुभेद्यता को कम करना है।

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी): इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है।

जल जीवन मिशन (शहरी): इसका उद्देश्य कार्यात्मक नल के जरिए सभी घरों के लिए सार्वभौमिक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

2.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स (GOAL) कार्यक्रम {Going Online as Leaders (GOAL) Programme}	• **शुरुआत: GOAL कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक इंडिया** की संयुक्त पहल है। इसका लक्ष्य डिजिटल मोड के माध्यम से जनजातीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना है। • **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **जनजातीय समुदायों** के 10 लाख **युवाओं** को **डिजिटल रूप से सक्षम बनाना** और **डिजिटल प्रौद्योगिकी** का उपयोग करके उनके लिए अवसर खोलना है। • **यह स्वयं सहायता समूहों** और **भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED)** से जुड़े परिवारों के लिए उनके उत्पादों की वैश्विक स्तर तक पहुंच बनाने हेतु **एक मंच तैयार करेगा।**
राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान {National Tribal Research Institute (NTRI)}	• यह **राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख संस्थान होगा।** यह शैक्षणिक, कार्यकारी एवं विधायी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मुद्दों और मामलों पर केंद्रीय तंत्र के रूप में कार्य करेगा। • यह **जनजातीय कार्य मंत्रालय** और राज्य कल्याण विभागों को डिजाइन अध्ययनों तथा कार्यक्रमों की नीतिगत जानकारी उपलब्ध कराएगा। इससे एक ही स्थान पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन होगा। • यह अन्य संस्थानों के साथ **सहयोग और नेटवर्क का सृजन** करेगा। साथ ही, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRIs), उत्कृष्टता केंद्रों (CoEs) आदि की **परियोजनाओं की निगरानी भी** करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता दी (Supreme Court Recognizes Sex Work as Profession)	• सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के लिए **अनुच्छेद 21** के अनुसार **गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए** अनुकूल परिस्थितियां बनाने हेतु निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश **अनुच्छेद 142** के तहत जारी किए गए हैं। • **अनुच्छेद 142** सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में या उसके समक्ष लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। • **सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश:** ○ वयस्क और सहमति देने वाले सेक्स वर्कर्स के खिलाफ **कोई पुलिस हस्तक्षेप या आपराधिक कार्रवाई नहीं** की जाएगी। ○ **बच्चे को** केवल इस आधार पर **माँ से अलग नहीं** किया जाना चाहिए कि वह देह व्यापार में लिप्त है। ○ बचाव कार्यों की रिपोर्ट करते समय मीडिया को उनकी **तस्वीरें प्रकाशित नहीं** करनी चाहिए या उनकी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए।

 © Vision IAS

	○ केंद्र और राज्यों को **कानूनों में सुधार** के लिए **सेक्स वर्कर्स या उनके प्रतिनिधियों को शामिल करना** चाहिए। ○ UIDAI **सेक्स वर्कर्स को आधार कार्ड** प्रदान करेगा, भले ही वे निवास प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ हों। ▪ यह **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) या राज्य स्वास्थ्य विभाग** द्वारा जारी किया जाता है। • **भारत में सेक्स वर्क की कानूनी स्थिति:** भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत, **स्वैच्छिक लैंगिक कृत्य या वेश्यावृत्ति को गैरकानूनी नहीं** माना जाता है। हालांकि, **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956** के तहत वेश्यालय चलाना, इसके लिए दलाली करना या उसका मालिक होना गैरकानूनी है।

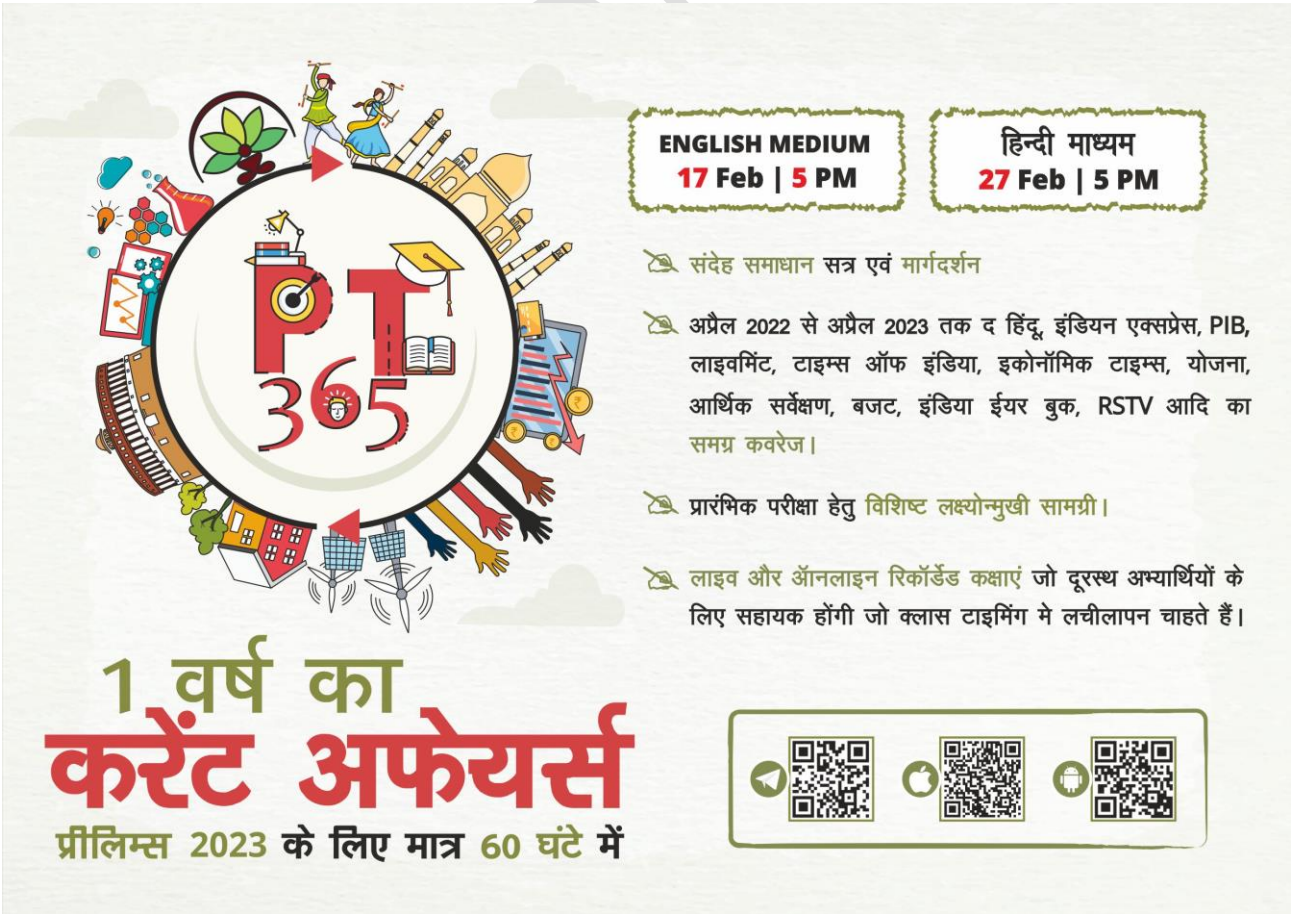

3. शिक्षा (Education)

3.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 {National Education Policy (NEP), 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की दूसरी वर्षगांठ पर** कई पहलों की शुरुआत की है।

शुरू की गई प्रमुख पहलें

- **प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए IKS-MIC कार्यक्रम की शुरुआत:** यह भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) प्रभाग और शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ (इनोवेशन सेल) द्वारा शुरू किया गया एक संयुक्त कार्यक्रम है।
  - **लक्ष्य:** इसे भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों से प्रेरित एवं विकसित उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
- **राष्ट्रीय नवाचार और उद्यमिता नीति:** इसका उद्देश्य स्कूलों में विचार एवं समाधान तथा नवाचार और उद्यमिता (IIE) की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
- **IGNOU के साथ स्किल इंडिया भागीदारी:** इसे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत तीन वर्षीय डिग्री प्रोग्राम उपलब्ध कराने और स्किल हब की स्थापना के लिए आरंभ किया गया है।
- **विज्ञान और गणित हेतु 750 वर्चुअल लैब्स व 75 स्किलिंग ई-लैब्स की स्थापना:** सिमुलेटेड लर्निंग के परिवेश को बढ़ावा देने के लिए इसे वर्ष 2022-23 में स्थापित किया जाएगा।
- विभिन्न क्षेत्रों के तहत **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)**[21] के अनुरूप भावी कौशल योग्यताओं को विकसित किया जाएगा।
- **स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (NISHTHA)**[22] **तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE)**[23]**:** इसका उद्देश्य आंगनबाड़ियों में उच्च गुणवत्ता वाले ECCE शिक्षकों का एक प्रारंभिक कैडर तैयार करना है।
- **स्कूलों में 75 भारतीय खेलों का शुभारंभ:** PT शिक्षकों के माध्यम से प्रत्येक माह स्कूलों में मौसम के अनुसार उपयुक्त भारतीय खेल शुरू किये जायेंगे।
- **राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (NCF)**[24] **के लिए सार्वजनिक परामर्श सर्वेक्षण:** इस सर्वेक्षण को 23 भाषाओं में एक सार्वजनिक परामर्श सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु आरंभ किया गया है। इसके तहत 1 करोड़ लक्षित उत्तरदाताओं/नागरिकों के साथ NCF के विकास के लिए आकड़ों को एकत्रित और सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाएगा।

[21] National Skills Qualifications Framework

[22] National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement

[23] Early Childhood Care and Education

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत मुख्य विनिर्देश

विद्यालयों के लिए

10+2 से लेकर 5+3+3+4 तक

पुरानी शिक्षा नीति के तहत 10+2 प्रणाली में कक्षा 1 से 10 (आयु 6–16 वर्ष) और तत्पश्चात कक्षा 11–12 (आयु 16–18 वर्ष) तक की स्कूली शिक्षा को समाहित किया गया था। इसके स्थान पर NEP–2020 के अंतर्गत अब पांच वर्षों की बुनियादी शिक्षा, प्रिपरेटरी स्टेज में 3 वर्ष, मिडिल स्कूल स्टेज में 3 वर्ष और सेकेंडरी स्टेज में 4 वर्ष तक की स्कूली शिक्षा को समाहित किया गया है।

बहु विषयक

सभी संकायों में विषयों को चुनने का लचीलापन; सभी विषयों को प्रवीणता के दो स्तरों पर प्रस्तुत किया जाएगा।

बोर्ड परीक्षा प्रणाली में लचीलापन

बोर्ड परीक्षा केवल मुख्य दक्षताओं का परीक्षण करने के लिए मॉड्यूलर (वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक) बन सकती है और इसे वर्ष में दो बार आयोजित किया जाएगा।

बहुभाषा

कक्षा 8 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थानीय भाषा को वरीयता के साथ त्रिभाषा नीति जारी रखना।

बैग रहित दिवस

स्कूली छात्रों के पास एक वर्ष में 10 बस्ता–रहित (Bag-less) दिवस होंगे, जिसके दौरान उन्हें उनके पसंद के व्यवसाय (अर्थात् अनौपचारिक इंटर्नशिप) के संपर्क में लाया जाएगा।

कॉलेज के लिए

SAT की तरह ही कॉलेज परीक्षा

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष में दो बार सामान्य कॉलेज प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी।

4 वर्षीय स्नातक

4 वर्षीय बहु–विषयक स्नातक कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी; मिड–टर्म में ड्रॉप आउट करने वाले छात्रों को क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे वे कुछ समय के अंतराल के बाद डिग्री पूर्ण करने का विकल्प चुन सकते हैं।

कोई संबद्धता नहीं

आगामी 15 वर्षों में कॉलेजों को डिग्री देने की श्रेणीबद्ध स्वायत्तता दी जाएगी। विश्वविद्यालयों से संबद्धता समाप्त होगी। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान नहीं किया जाएगा।

शुल्क सीमा

उच्चतर शिक्षा के निजी संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है।

वैश्विक पहुंच

वैश्विक अग्रणी विश्वविद्यालयों को भारत में आने की सुविधा दी जाएगी। शीर्ष भारतीय संस्थानों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

NEP, 2020 के तहत अब तक की गई पहलें

स्कूली शिक्षा

- ECCE का संचालन, **निपुण भारत**, विद्या प्रवेश, परीक्षा सुधार और कला–एकीकृत शिक्षा, खिलौना–आधारित शिक्षाशास्त्र आदि जैसी अभिनव शिक्षण पहलों को भी अपनाया जा रहा है।

मल्टी मॉडल शिक्षा

- **स्वयं (SWAYAM), दीक्षा (DIKSHA), स्वयं–प्रभा (SWAYAM PRABHA), आभासी लैब (Virtual Labs)** और अन्य ऑनलाइन संसाधन पोर्टल्स द्वारा नेत्रहीनों के लिए सांकेतिक भाषा व ऑडियो प्रारूपों सहित कई भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री प्रदान की जा रही है।

उच्चतर शिक्षा में बहुविषयकता

- डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट की सुविधा को शुरू किया गया है। इससे अब छात्रों के लिए उनकी सुविधा और पसंद के अनुसार अध्ययन को संभव बनाया जा सकेगा।

नवाचार और स्टार्ट–अप

- NEP के साथ संरेखित 'नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग' (ARIIA) को वर्ष 2021 में अनुसंधान, इन्क्यूबेशन और स्टार्टअप की संस्कृति के निर्माण हेतु आरम्भ किया गया था।

[24] National Curriculum Framework

NEP 2020 के बारे में

- इसे **NEP, 1986** (1992 में संशोधित) को **प्रतिस्थापित करने के लिए** लांच किया गया था। इसका उद्देश्य **भारत को एक जीवंत एवं ज्ञान संपन्न समाज में परिवर्तित करना है। साथ ही, ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति के रूप में** भारत को स्थापित करना है।
- **इसे पहुंच, निष्पक्षता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों के आधार पर तैयार किया गया है।**
- साथ ही, इस नीति को सतत विकास **एजेंडा 2030 के अनुरूप विकसित** किया गया है।

3.2. नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (National Credit Framework: NCrF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नागरिकों से सुझाव लेने के लिए **नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF)** का मसौदा प्रस्तुत किया है।

नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) के बारे में

- **उद्देश्य**: NCrF को NEP, 2020 के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह शिक्षण और कौशल संस्थानों में कार्यबल के **कौशल-प्रशिक्षण, पुनर्कौशल (Re-skilling), कौशल उन्नयन (Up-skilling), प्रमाणन तथा मूल्यांकन के लिए एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है।**
- **विकास**: NCrF को UGC, AICTE, NCVET, NIOS, CBSE, NCERT आदि के सदस्यों के साथ मिलकर सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- **लक्ष्य:** NCrF स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा के माध्यम से **अर्जित क्रेडिट को एकीकृत करने का प्रयास** करता है, ताकि उनके बीच **लचीलापन और गतिशीलता सुनिश्चित हो सके।**
  - यह उन **दिशा-निर्देशों के रूप में कार्य करेगा, जिनका पालन क्रेडिट सिस्टम को अपनाने हेतु** स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा

भारतीय संदर्भ में क्रेडिट

- **स्कूली शिक्षा:** वर्तमान में, नियमित स्कूली शिक्षा के लिए कोई स्थापित क्रेडिट तंत्र मौजूद नहीं है। हालांकि, ओपन स्कूलिंग सिस्टम के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS)[25] क्रेडिट सिस्टम का अनुसरण करता है।
- **उच्चतर शिक्षा:**
  - **विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम (CBCS)[26]:** CBCS के तहत छात्रों द्वारा अर्जित किए जाने वाले क्रेडिट की संख्या के अनुरूप डिग्री या डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट दिया जाता है।
    - यह ढांचा भारत में अलग-अलग राज्यों के कई विश्वविद्यालयों में लागू किया जा रहा है।
  - **युवाओं की व्यावसायिक उन्नति के लिए कौशल मूल्यांकन मैट्रिक्स (SAMVAY)[27]:** इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एक क्रेडिट फ्रेमवर्क है।
  - NSQF के तहत **कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए यू.जी.सी. के दिशा-निर्देश।** NSQF एक राष्ट्रीय योग्यता-आधारित कौशल ढांचा है। यह निम्नलिखित दो स्तरों पर मोबिलिटी की सुविधा प्रदान करता है:
    - व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/ कौशल के भीतर; तथा
    - व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण/ कौशल और सामान्य शिक्षा के बीच।

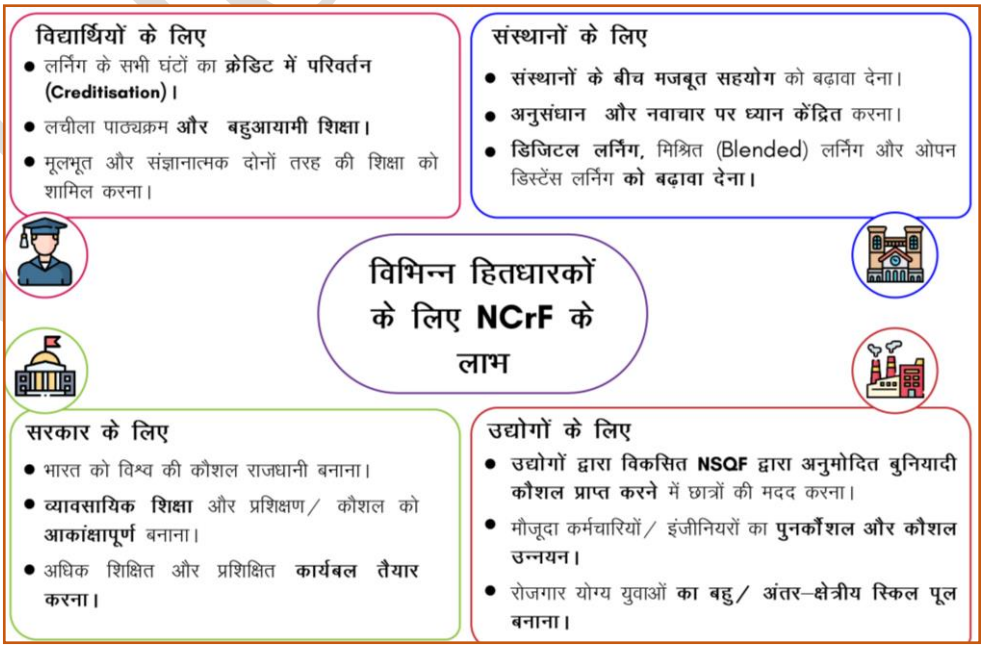

[25] National Institute of Open Schooling

[26] Choice Based Credit System

[27] Skill Assessment Matrix for Vocational Advancement of Youth

किया जाएगा।

- **प्रमुख विशेषताएं: NCrF के तहत शिक्षार्थी** न केवल कक्षा में की गई पढ़ाई से **क्रेडिट अर्जित कर सकेंगे** बल्कि सह-पाठ्यक्रम (Co-curriculars), पाठ्येतर गतिविधियों (Extra-curriculars), व्यावसायिक शिक्षा, ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा, पहले से सीखे ज्ञान की मान्यता आदि से भी क्रेडिट हासिल कर पाएंगे।
  - **यह फ्रेमवर्क विनियामकों और संस्थानों के मध्य निर्बाध एकीकरण एवं समन्वय सुनिश्चित करता है,** ताकि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल जैसे विषयों में व्यापक आधार वाली, बहु-विषयक, समग्र शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।
  - **NCrF,** उच्चतर शिक्षा, स्कूली शिक्षा और कौशल शिक्षा के लिए **केवल एक क्रेडिट फ्रेमवर्क होगा और यह निम्नलिखित हेतु योग्यता ढांचे को शामिल करेगा:**
    - उच्चतर शिक्षा अर्थात् राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता ढांचा (NHEQF)[28],
    - व्यावसायिक और कौशल शिक्षा अर्थात् राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF)[29],
    - स्कूली शिक्षा अर्थात् राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा योग्यता ढांचा (NSEQF)[30], इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF)[31] के नाम से भी जाना जाता है।

3.3. क्षेत्रीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना (Promotion of Higher Education in Regional Languages)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश में हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है।

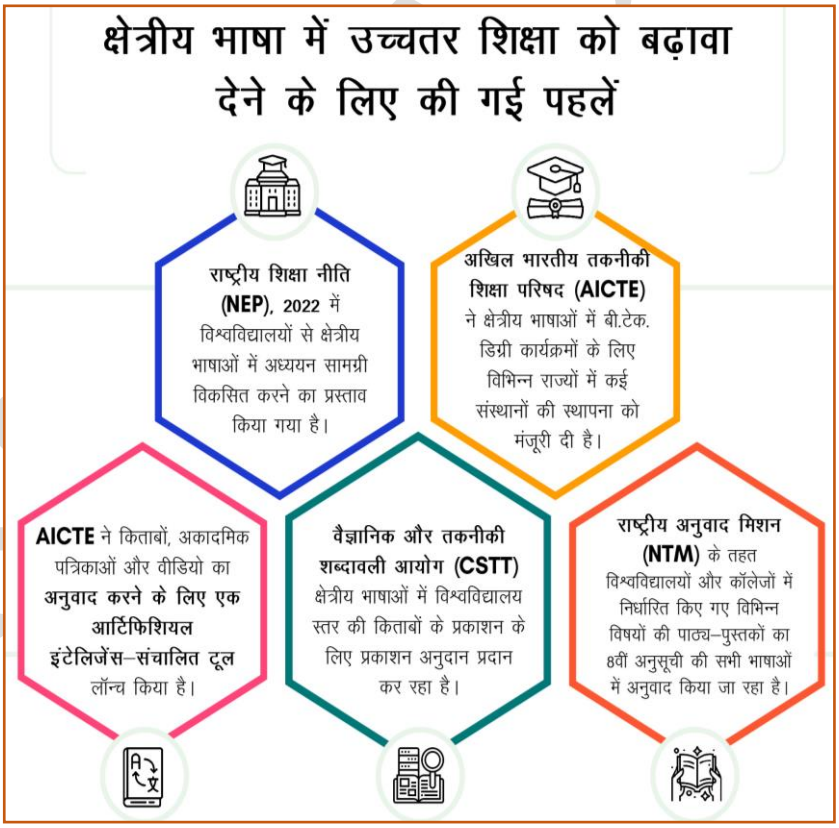

विभिन्न माध्यमों में शिक्षा का विकास

औपनिवेशिक काल में वाद-विवाद

- **आंग्ल-प्राच्य विवाद (Anglicists-Orientalist Controversy): प्राच्यविदों** ने शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा की वकालत की। वहीं दूसरी ओर, **आंग्लवादियों** ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में पश्चिमी शिक्षा देने की वकालत की।
  - इस संदर्भ में अंततः **अंग्रेजी को ही मुख्य भाषा के रूप चुना गया।** साथ ही, इसे आंग्लवादियों और ईसाई धर्मोपदेशकों (Evangelists) का समर्थन भी प्राप्त हुआ।
- **मैकाले के मिनट्स (विवरण) के आधार पर 1835 में निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा।** इसमें शिक्षा के लिए अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत[32] का सुझाव दिया गया था।
  - इस सिद्धांत के तहत निर्धारित किया गया कि समाज के कुछ लोगों को शिक्षित किया जाएगा, जो बाद में समाज के अन्य लोग को शिक्षित करेंगे।

[28] National Higher Education Qualification Framework

[29] National Skills Qualification Framework

[30] National School Education Qualification Framework

[31] National Curricular Framework

[32] Downward Filtration Theory

- **वुड्स डिस्पैच (1854) में सिफारिश की गई कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए।**

स्वतंत्रता के बाद का विकास

- **सरकारी समितियां:**
  - इस संदर्भ में, सबसे पहली रिपोर्ट **1948-49 की राधाकृष्णन समिति** द्वारा सौंपी गई। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि व्यावहारिक रूप से जितनी जल्दी संभव हो, उच्चतर शिक्षा के लिए अंग्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा को माध्यम के रूप में चुना जाना चाहिए।
  - इस क्रम में दूसरा नाम **'राजभाषा आयोग, 1956' का आता है।** इसने संघ के सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को धीरे-धीरे बढ़ाने की सिफारिश की।
  - बाद में **भावात्मक एकता समिति[33] (1962) और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों (1968, 1986)** में भी उच्चतर शिक्षा के माध्यम को लेकर चर्चा की गई।

3.4. भारत में स्कूली शिक्षा पर रिपोर्ट (Reports on School Education in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूली शिक्षा पर दो रिपोर्ट जारी की हैं।

ये दो रिपोर्ट हैं:

- **'एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस[34] (UDISE+) 2020-21'** और
- **2020-21 हेतु राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) रिपोर्ट[35]।**

UDISE+ रिपोर्ट 2020-21 (प्रमुख निष्कर्षों के लिए इन्फोग्राफिक देखें)

- **UDISE+ के अधिदेश (कार्य):**

UDISE+ को प्री-प्राइमरी से लेकर बारहवीं तक औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी स्कूलों से जानकारी एकत्र करने का कार्य सौंपा गया है। इन स्कूलों में मान्यता प्राप्त और

[33] Emotional Integration Committee

[34] Unified District Information System for Education Plus

[35] Report on Performance Grading Index (PGI) for States/UTs for 2020-21

© Vision IAS

गैर-मान्यता प्राप्त दोनों शामिल होंगे।

- **उपयोग:** UDISE+ द्वारा एकत्र की गई जानकारी का उपयोग योजना बनाने, संसाधन आवंटन और **शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन** तथा **कार्यक्रम-मूल्यांकन (Programme Assessments)** हेतु किया जाता है।
- **जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया**: UDISE+ **एक 'ऑनलाइन डेटा कलेक्शन फॉर्म' की सहायता से जानकारी एकत्र करता है।**
  - स्कूल को इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने के बाद एक UDISE कोड प्रदान किया जाता है। यह कोड **राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों के लिए एक यूनीक आइडेंटिफायर** के रूप में कार्य करता है।
  - UDISE+ में **स्कूल को डेटा संग्रह** और जिले को **डेटा वितरण की इकाई के रूप में शामिल** किया गया है।
  - UDISE+ 2021-22 में, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पहली बार महत्वपूर्ण संकेतकों से संबंधित अतिरिक्त डेटा को एकत्र किया गया है। इन संकेतकों में **डिजिटल लाइब्रेरी, पीयर लर्निंग, हार्ड स्पॉट आईडेंटिफिकेशन, स्कूल लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या** आदि शामिल हैं।

2020-21 के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) रिपोर्ट

- **प्रमुख बिंदु**: यह एक माध्यम है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान **स्कूली शिक्षा की स्थिति के आकलन में मदद करता** है।
  - यह रिपोर्ट मौजूदा **कमियों को उजागर** करती है। इसके अलावा यह आवश्यक उपाय लागू करने के लिए **अलग-अलग क्षेत्रों को प्राथमिकता देने में** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की **मदद** करती है।
  - **2017-18 से** अब तक **इसकी 3 रिपोर्ट्स जारी** की जा चुकी हैं।
  - रैंकिंग के बजाय, PGI **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रेड्स/ स्तरों** में वर्गीकृत करता है।
  - PGI संरचना में 70 संकेतकों के लिए कुल 1000 अंकों का भारांश निर्धारित किया गया है।
- संकेतकों को **2 श्रेणियों** के तहत वर्गीकृत किया गया है:
  - **आउटकम/ परिणाम** (इसमें लर्निंग आउटकम, पहुंच, बुनियादी ढांचा व सुविधाएं, इक्विटी आदि शामिल हैं)।
  - **गवर्नेंस और प्रबंधन** (शासन प्रक्रिया)।

- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:**
  - **किसी भी राज्य ने उच्चतम स्तर** (लेवल 1- अर्थात् 950 से ऊपर अंक) **प्राप्त नहीं किया है।**
  - 2017-18 और 2018-19 के दौरान कोई भी राज्य **टॉप- 2 लेवल** तक नहीं पहुंच पाया था, जबकि 2020-21 में **7 राज्य लेवल-2 तक पहुंचने में सफल रहे हैं।**
  - **किसी भी राज्य ने 2020-21 में लेवल VII (650 से नीचे अंक) से नीचे प्रदर्शन नहीं किया है।**
  - राज्यों द्वारा प्राप्त **अधिकतम और न्यूनतम अंकों** के बीच 39% का विचलन (न्यूनतम अंकों का) रहा है।
    - यह अंतराल 2017-18 में 51% था, जो यह दर्शाता है कि PGI ने इन वर्षों में **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रदर्शन में मौजूद अंतराल को समाप्त करने में मदद की है।**

3.5. प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (National Curriculum Framework for Foundational Stage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री ने प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का शुभारंभ किया है।

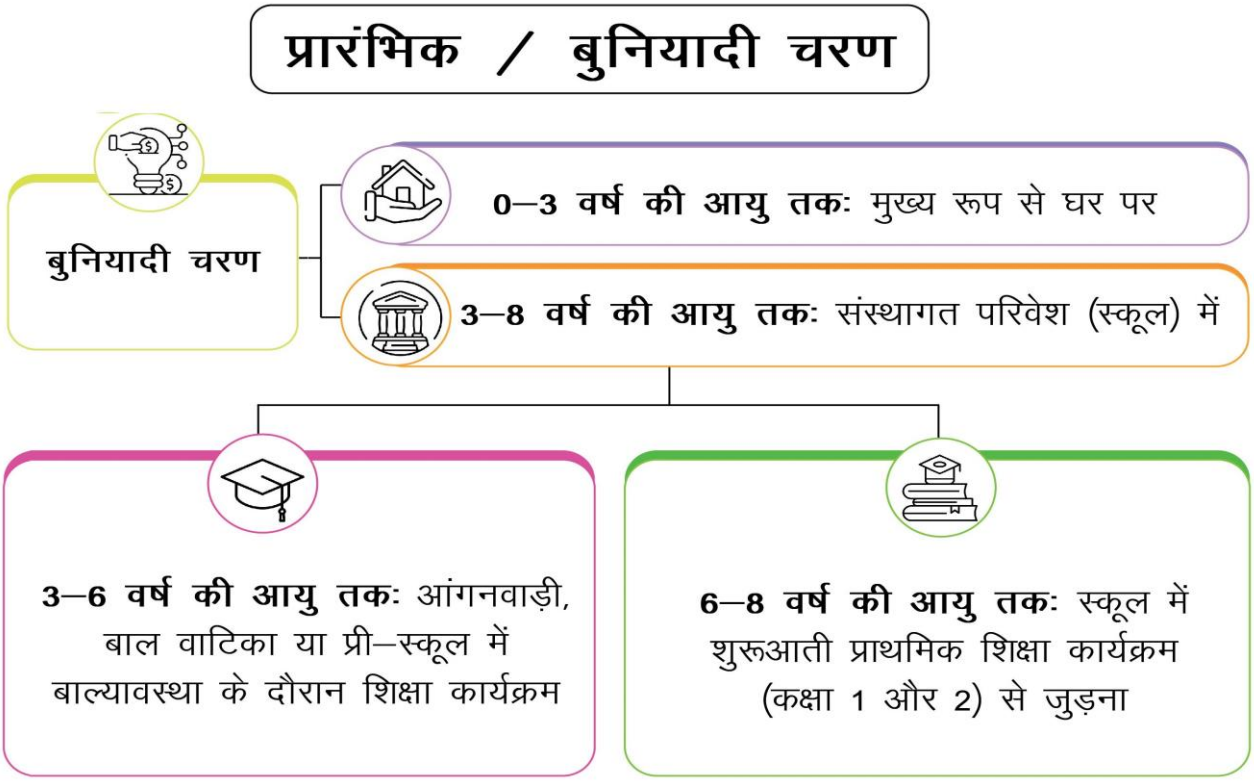

प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (NCF)[36] के बारे में

NCF का विकास: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)[37], 2020 के अनुसार, निम्नलिखित चार NCFs का विकास किया जाएगा।

- बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (National Curriculum Framework for Early Childhood Care and Education: NCFECCE)
- स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (National Curriculum Framework for School Education: NCFSE)
- शिक्षकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (National Curriculum Framework for Teacher Education: NCFTE)
- प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (National Curriculum Framework for Adult Education: NCFAE)

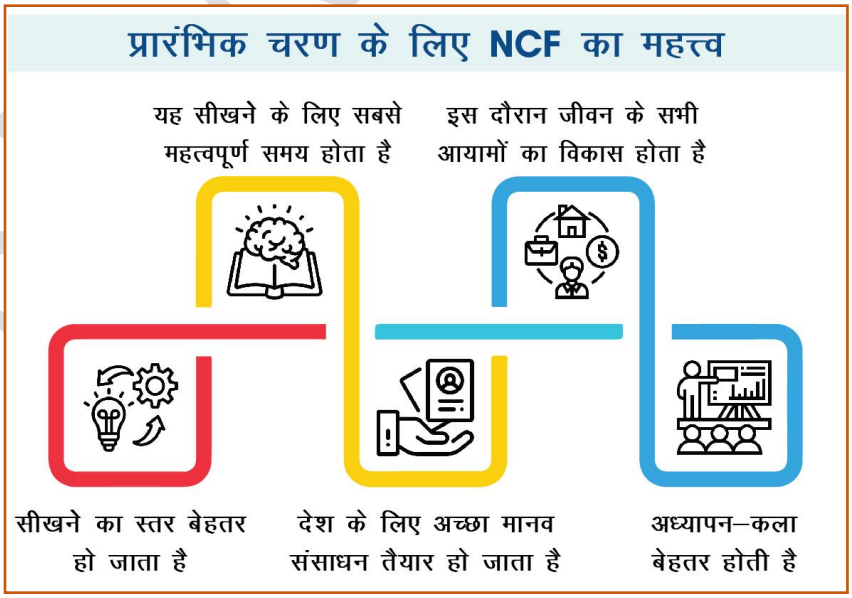

[36] National Curriculum Framework

[37] National Education Policy

 © Vision IAS

- **एकीकृत फ्रेमवर्क {NCF (NCFECCE के अंतर्गत)}:** भारत में 3-8 वर्ष की आयु के **बच्चों के लिए पहली बार एकीकृत पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है।**
    - यह स्कूली शिक्षा के 5+3+3+4 वर्षीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पुनर्गठन में पहला चरण है। यह रूपरेखा 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा को कवर करती है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **स्कूली शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव हेतु सहयोग करना** है। इसकी परिकल्पना NEP 2020 में की गई है। यह बदलाव **शिक्षण शास्त्र (Pedagogy) सहित पाठ्यक्रम में सकारात्मक परिवर्तन के माध्यम से** किया जाएगा।
    - यह रूपरेखा नर्सरी और कक्षा 2 के बीच पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूलों, प्री-स्कूलों और आंगनबाड़ियों **द्वारा अपनाई गई सभी शिक्षण विधियों का आधार होगी।**
- **कवरेज:** इसमें पाठ्यक्रम लक्ष्यों, भाषा शिक्षा एवं साक्षरता के दृष्टिकोण, घर-आधारित शिक्षा, शिक्षण शैलियों और मूल्यांकन के तरीकों जैसे अनेक **विषयों को शामिल किया गया है।**

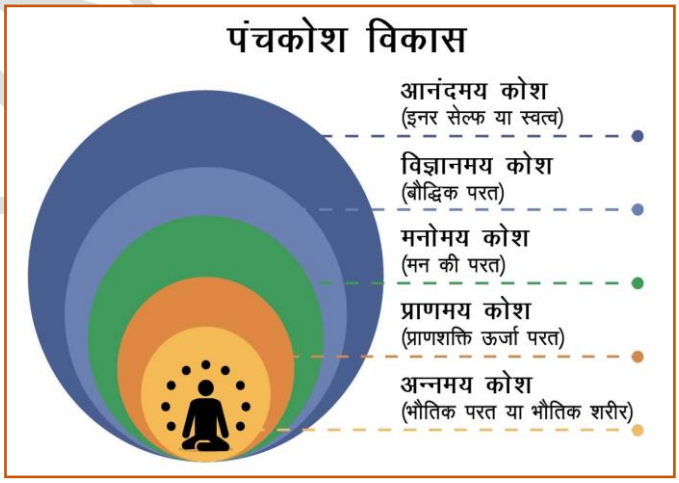

प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा की मुख्य विशेषताएं

- **मातृभाषा को महत्व:** 8 वर्ष की आयु तक छात्रों को केवल उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कम आयु में एक नई भाषा को व्यवहार में लाने से सीखने की पूरी प्रक्रिया बिगड़ जाती है।
- **बच्चों पर कम बोझ:** 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं होनी चाहिए। इसके बदले NCF पाठ्यक्रम के लक्ष्यों एवं शिक्षण-संबंधी आवश्यकताओं के लिए सरल वर्कशीट की सिफारिश की गई है।
- **शिक्षा के लिए पंचकोश प्रणाली:** इस रूपरेखा में बच्चों की शिक्षा के लिए 'पंचकोश' अवधारणा को अपनाया गया है। पंचकोश का वर्णन **तैत्तिरीय उपनिषद** में भी किया गया है। इसमें सम्मिलित हैं:
    - **शारीरिक विकास**
    - **प्राणिक विकास**
    - **भावनात्मक एवं मानसिक विकास**
    - **बौद्धिक विकास**
    - **चारित्रिक विकास**
- **अन्य:** नैतिकता का घटक, खेल के जरिए सीखना, लैंगिक संतुलन, रूढ़िवादी होने से बचना, सीखने के लिए बेहतर परिवेश आदि।

3.6. फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी (Foundational Learning Study: FLS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, "फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी 2022" शीर्षक से एक अध्ययन किया गया था। यह अध्ययन **केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय** और **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT)** द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- FLS 2022 **अपनी तरह का विशिष्ट एवं एकमात्र अध्ययन** है। इसका उद्देश्य **बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN)**[38] में बेंचमार्क प्राप्त करना है।
    - **FLN का तात्पर्य बच्चों में कक्षा तीन के अंत तक बुनियादी पाठ पढ़ने एवं समझने और गणित के बुनियादी सवालों को हल करने की क्षमता के विकास** से है।
    - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 में वर्ष 2025 तक सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।**

NAS और FLS के बीच तुलना

तुलना	कक्षा	पद्धति
राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS): इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।	यह **कक्षा III, V, VIII और X** में छात्रों के लर्निंग परिणामों का मूल्यांकन करता है।	यह MCQs **आधारित होता है।** इसे प्रत्येक तीन वर्ष में **आयोजित किया जाता है।**
आधारभूत शिक्षण अध्ययन (FLS): इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।	यह केवल **कक्षा III** के **छात्रों** के लिए है।	इसमें प्रत्येक प्रतिभागी के साथ **वन-टू-वन इंटरव्यू होता है।**

- यह **सबसे बड़ा अध्ययन** भी है। इसके तहत **पूरे भारत में 10,000 स्कूलों के कक्षा तीन के लगभग 86,000 बच्चों के लर्निंग स्तर का आकलन किया गया है।**
    - यह **एकमात्र ऐसा अध्ययन है, जो 20 अलग-अलग भाषाओं में किया गया** है।
    - **बुनियादी साक्षरता कौशल के मापदंडों** में शामिल थे-
        - भाषा को सुनकर समझने की क्षमता,
        - भाषा को पढ़कर समझने की क्षमता,
        - लिखे हुए पाठ को समझने के साथ ही उसे प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ने की क्षमता, आदि।

[38] Foundational Literacy and Numeracy

© Vision IAS

- **बुनियादी संख्या कौशल के मापदंडों में** संख्याओं की पहचान और तुलना करना, बुनियादी गणितीय क्रियाएं (जैसे- जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग) करना, बुनियादी आंकड़ों को समझना आदि शामिल थे।
- **छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया:**
  - सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ज्ञान एवं कौशल की कमी वाले छात्र;
  - सीमित ज्ञान एवं कौशल वाले छात्र;
  - पर्याप्त ज्ञान एवं कौशल वाले छात्र; और
  - बेहतर ज्ञान एवं कौशल वाले छात्र।

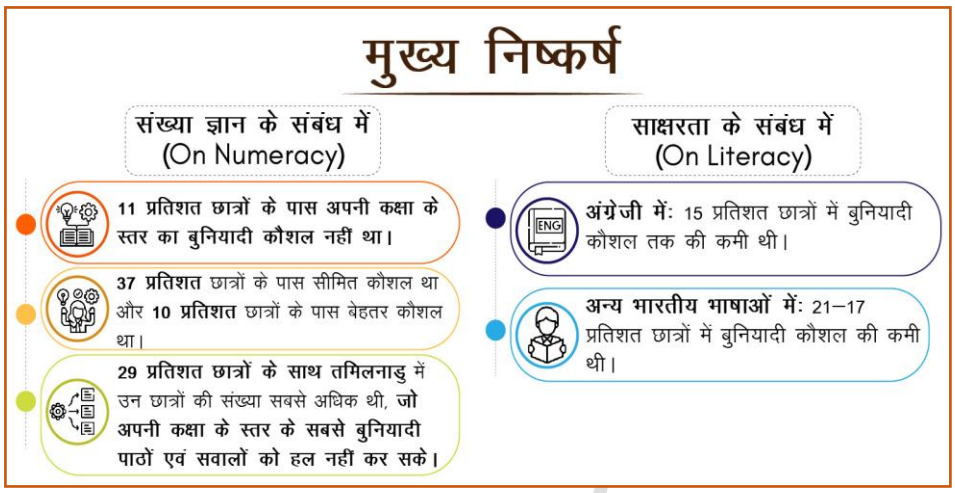

"निपुण भारत मिशन" के बारे में: यहां **'निपुण'** का पूरा नाम है- 'समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल' (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy: NIPUN)

- **निपुण भारत मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' के तहत आरंभ किया गया है।**
  - **इस मिशन का विज़न देश के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण करना है, ताकि**
    - **वर्ष 2026-27 तक** देश में प्रत्येक बच्चा **कक्षा III के अंत तक (न कि कक्षा V के बाद)** पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में **आवश्यक लर्निंग क्षमता** हासिल कर सके।
  - **कार्यान्वयन एजेंसी:** शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग।
  - **लाभार्थी:** इसके तहत 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है। इनमें प्री-स्कूल से कक्षा 3 तक के बच्चों के साथ ही कक्षा 4 एवं 5 के उन बच्चों को भी शामिल किया गया है, जो मूलभूत कौशलों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं।
  - **कार्यान्वयन रणनीति:** एक पांच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा, जो **राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और स्कूल स्तर** पर कार्य करेगा।

3.7. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) 2021 {National Achievement Survey (NAS) 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में "स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग" (शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत) द्वारा **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS), 2021 रिपोर्ट** जारी की गई।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) के बारे में

- यह सर्वेक्षण **तीन वर्ष** में एक बार होता है। इसमें **कक्षा 3, 5, 8 और 10** में बच्चों की अधिगम यानी लर्निंग क्षमता का व्यापक मूल्यांकन सर्वेक्षण करके देश में **स्कूली शिक्षा प्रणाली की स्थिति का आकलन** किया जाता है।
  - **NAS छात्रों से संबंधित मानकीकृत सर्वेक्षण का प्रबंध करके** प्रणाली-स्तरीय फीडबैक प्रदान करता है।
- **सूचना संग्रह:** इसके जरिए स्कूली परिवेश, शिक्षण प्रक्रिया एवं छात्रावास जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जानकारी एकत्र की गई है।
  - **NAS स्कूल-आधारित जांच नहीं है।**
  - NAS व्यक्तिगत रूप से स्कूल या छात्र को स्कोर प्रदान नहीं करता है। यह रिपोर्टिंग हेतु जिले को इकाई के रूप में मानकर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के निष्कर्ष प्रदान करता है।
  - पिछला NAS **वर्ष 2017 में आयोजित किया गया** था।

NAS 2021 के बारे में

- **किन्हें शामिल किया गया:** इसमें **सरकारी स्कूल** (केंद्र सरकार और राज्य सरकार); **सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल; और निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल शामिल थे।**
  - केवल नमूने के रूप में चयनित विद्यालय ही इसमें भाग ले सकते हैं।
- **विषय-वस्तु: सम्मिलित किए गए विषय हैं - कक्षा 3 और 5 के लिए भाषा, गणित और पर्यावरण विज्ञान**; कक्षा 8 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी।
- **आयोजनकर्ता: CBSE** इसका **संचालन संगठन था** और **NCERT द्वारा इसकी रूपरेखा** और उपकरण **तैयार किए गए हैं।**

मुख्य निष्कर्ष

समग्र रूप से	• गणित और भाषा सहित लगभग सभी विषयों में स्कूली छात्रों के अधिगम स्तर में **गिरावट** आई है, क्योंकि उन्हें बड़ी कक्षाओं में प्रमोट कर दिया गया था।
राज्यवार	• राज्यवार पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इनका स्कोर राष्ट्रीय स्कोर से काफी अधिक है। • खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।
लैंगिक आधार पर	• वर्ष 2017 के सर्वेक्षण की तुलना में इस वर्ष उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जहां लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों की तुलना में बेहतर था।
शहरी/ ग्रामीण	• ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का औसत प्रदर्शन उन्हीं राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों के स्कूलों की तुलना में "उल्लेखनीय रूप से कम" रहा।
श्रेणी-वार	• अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों के छात्रों का प्रदर्शन सामान्य वर्ग के छात्रों की तुलना में कम रहा।

3.8. शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence in Education: AIED)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूनेस्को (UNESCO)[39] ने भारत के संबंध में **"स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, 2022: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन"** नामक रिपोर्ट जारी की है।

इस रिपोर्ट के बारे में

- वर्ष 2022 की इस रिपोर्ट के मुख्य उद्देश्य हैं-
  - शिक्षा में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AIED) प्रणालियों का लाभ उठाने** के लिए हितधारकों का मार्गदर्शन करना, और
  - भारत में **शिक्षा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमता के लिए प्रमुख अवसरों एवं चुनौतियों** की पहचान करना।
- यह रिपोर्ट यूनेस्को की **वार्षिक स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (SOER) का चतुर्थ संस्करण** है।

इस रिपोर्ट की मुख्य बातें

- **AI में भारत की वर्तमान स्थिति**
  - भारत में **AI कौशल प्रसार दर (Skill Penetration Rate) तुलनात्मक रूप से**

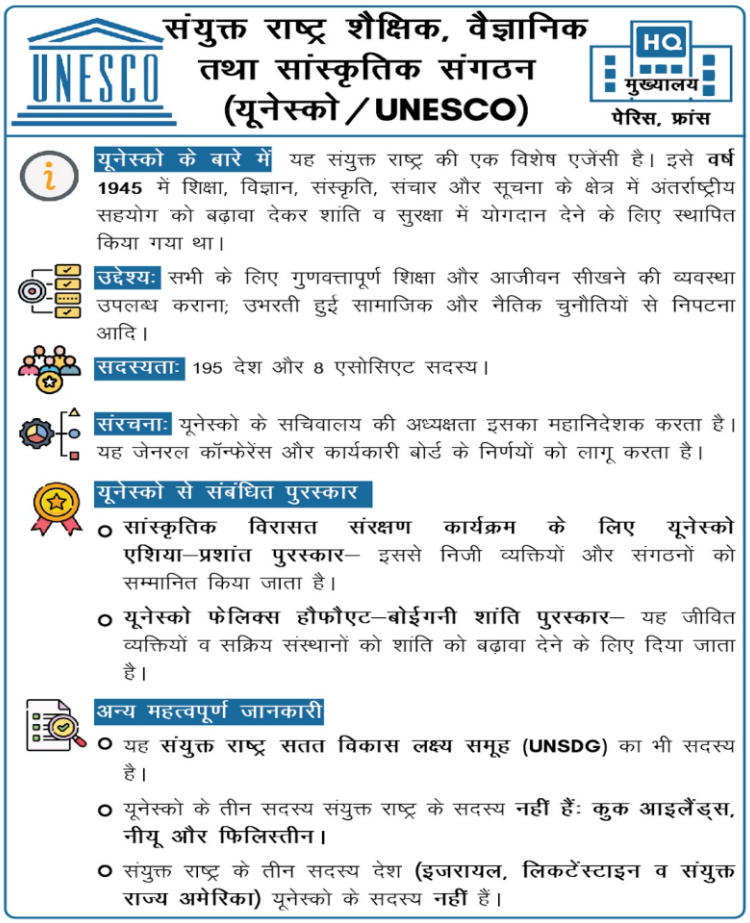

[39] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

© Vision IAS

उच्चतम है। यह वैश्विक औसत की 3.09 गुनी है।

- ऐसा अनुमान है कि भारत में **AI का बाजार 20.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)[40] से बढ़ते हुए वर्ष 2025 तक 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो जाएगा।
- **AI और महिला**
  - **AI कौशल युक्त महिलाओं** के मामले में भारत, **दुनिया में अग्रणी है।**
  - भारत में **AI से संबंधित वैज्ञानिक प्रकाशनों** में महिलाओं की हिस्सेदारी एक तिहाई है।
  - वर्ष 2018 में, भारत में **दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा पूल** था, जिसमें **22% महिलाएं** थीं।
- इस रिपोर्ट में **कॉम्प्रिहेंसिव एंड पर्सनलाइज्ड इंटेलीजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स (ITS)** और वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कमियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इंटेलीजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स (ITS) इस समस्या का समाधान करता है। इसके लिए लर्निंग आउटकम्स का पता लगाते हुए रियल टाइम आधार पर व्यक्तिगत रूप से छात्रों की दक्षताओं का आकलन किया जाता है।

AI में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की गई पहलें

- **युवाओं के लिए जिम्मेदार AI**: इसे **इंटेल इंडिया** और **शिक्षा मंत्रालय** की सहायता से इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
  - इसे पूरे भारत में कक्षा 8-12 में **पढ़ने वाले स्कूली छात्रों के** लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों में **AI-तकनीक की गहरी समझ विकसित करना** और युवाओं को मानव-केंद्रित डिजाइनर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **यू.एस.ए.-इंडिया AI इनिशिएटिव:** इसका उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग द्वारा AI नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके लिए-
  - विचारों एवं अनुभवों को साझा किया जाएगा,
  - अनुसंधान और विकास में नए अवसरों की पहचान की जाएगी।
- **राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मिशन:** इसे प्रधान मंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (**PM-STIAC**) द्वारा वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया है।
  - इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर मूल अनुसंधान क्षमता विकसित करना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी होगा। इसके लिए यह अकादमिक एवं उद्योग जगत के साथ मिलकर कार्य करेगा।
- **स्कूलों में AI:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के भाग के रूप में AI वर्तमान भारतीय स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा।

3.9. लर्निंग पॉवर्टी (Learning Poverty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक के एक अधिकारी द्वारा यह कहा गया है, कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत की लर्निंग पॉवर्टी में वृद्धि हुई है।

शब्दावली को जानें

- **लर्निंग पॉवर्टी:** लर्निंग पॉवर्टी से तात्पर्य **10 वर्ष की आयु तक** आयु के अनुरूप पाठ को पढ़ने और समझने में असमर्थ होने से है।

[40] Compound Annual Growth Rate

अन्य संबंधित तथ्य

- विश्व बैंक के अनुकरणीय डेटा के अनुसार, **महामारी से पूर्व लगभग 53% बच्चे 10 वर्ष की आयु तक एक साधारण पाठ को पढ़ने में सक्षम नहीं थे।** दुर्भाग्यवश **महामारी के दौरान इनकी संख्या बढ़कर 70% तक हो गई है।**
  - शिक्षण तंत्रों के लिए दोहरा आघात- कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने और परिणामी आर्थिक संकट ने वैश्विक अधिगम जोखिम को और बढ़ाया हैं। साथ ही, ये अभूतपूर्व तरीकों से शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं।

- पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती पीढ़ियों की तुलना में वर्तमान पीढ़ी को अधिक क्षति होगी क्योंकि वर्तमान पीढ़ी के ये बच्चे विशिष्ट वर्षों में पैदा हुए हैं और उनकी आयु 5 से 18 वर्ष के बीच है।

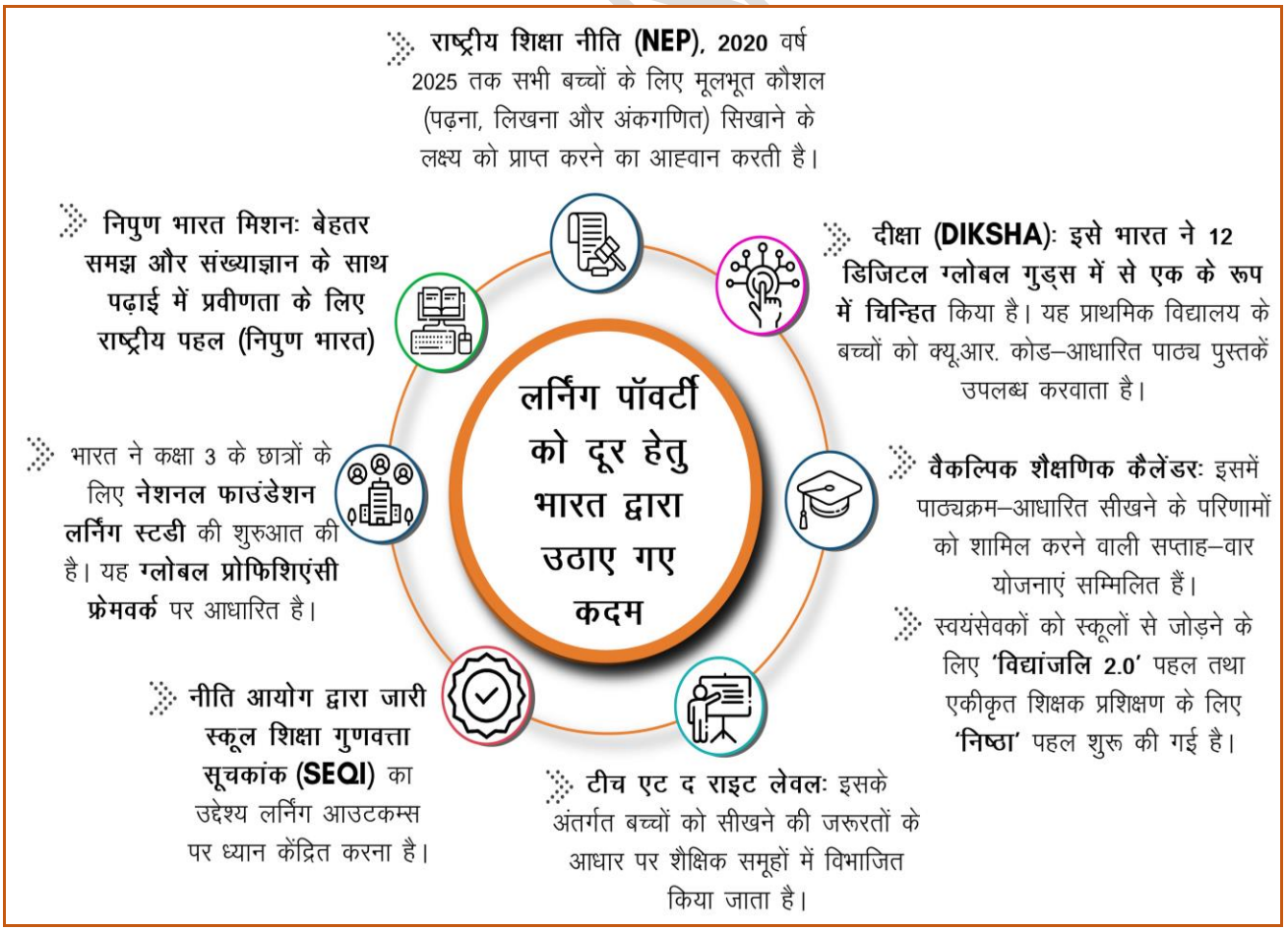

© Vision IAS

3.10. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां (Other Important News)

भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण (Mother Tongue Survey of India: MTSI)	• **सर्वेक्षणकर्ता: गृह मंत्रालय** • MTSI के तहत उन मातृभाषाओं का सर्वेक्षण किया जाता है, जो दो या अधिक जनगणना दशकों में निरंतर प्रचलित रही हैं। MTSI में ऐसी भाषाओं की भाषाई विशेषताओं का विश्लेषण भी किया जाता है। • वर्ष 2011 की भाषाई जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार: ○ **भारत में मातृभाषा के रूप में 19,500 से अधिक भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं।** ○ **हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली** मातृभाषा है। देश की **43.6 प्रतिशत** आबादी हिंदी को अपनी मातृभाषा मानती है।
एक साथ दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम (Two full-time academic programs simultaneously)	• ये गाइडलाइंस, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी किए गए हैं। • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने **छात्रों को भौतिक मोड में एक साथ दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति** प्रदान कर दी है। • छात्र अपने लिए- ○ **या तो एक डिप्लोमा कार्यक्रम और एक स्नातक डिग्री अन्यथा** ○ **दो मास्टर कार्यक्रम या** ○ **दो स्नातक कार्यक्रमों का संयोजन** चुन सकते हैं। • **इन दिशा-निर्देशों को अपनाना विश्वविद्यालयों के लिए वैकल्पिक है।** • **यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप है।**
UGC ई-समाधान पोर्टल (UGC e-samadhan portal)	• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) शीघ्र ही UGC ई-समाधान पोर्टल लॉन्च करेगा। • यह पोर्टल वर्तमान में मौजूद विभिन्न पोर्टलों और हेल्पलाइनों का विलय करके **शिकायत दर्ज करने के लिए एकल माध्यम** के रूप में कार्य करेगा। • इसका उद्देश्य **शिकायतों का त्वरित समाधान** करना है। साथ ही, उन **संस्थानों की निगरानी भी करना है, जो शिकायतों पर धीमी गति से प्रतिक्रिया करते हैं।** • यह पोर्टल **चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा।** इसके अतिरिक्त, पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के समाधान के लिए **विशेष समय-सीमा भी निर्धारित** की गई है।
कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला (Functionally Literate District)	• मध्य प्रदेश का **मंडला जिला भारत का पहला 'कार्यात्मक रूप से साक्षर' जिला** बन गया है। यह **एक आदिवासी बहुल क्षेत्र** है। • एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से तब साक्षर कहा जा सकता है, **जब वह अपना नाम लिखने तथा गिनने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो।** • यह किसी **व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने** की क्षमता को भी संदर्भित करता है, जिसमें उसके समूह और समुदाय के **प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है।**
परख	• **परख**[41] को **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** के तहत प्रस्तुत किया गया था। • इसे **शिक्षा मंत्रालय** ने आरंभ किया था। इसे सभी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा **अनुमोदित संस्थानों** के लिए गठित किया गया है। • **परख एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र** है। • परख सर्वेक्षण, कॉलेजों को सीखने की प्रक्रिया में मौजूद कमियों की पहचान करने में मदद करेगा, ताकि छात्रों को उद्योग के लिए तैयार किया जा सके। ○ यह **छात्रों को सीखने के परिणामों के स्व-मूल्यांकन** और छात्रों द्वारा प्राप्त 21वीं सदी के जीवन कौशल के लिए एक मंच की सुविधा प्रदान करता है। • यह छात्रों के बीच **उच्च स्तरीय वैचारिक कौशल में सुधार करने में मदद करता है।**

[41] Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development/ समग्र विकास के लिए कार्य-प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण

प्रधान मंत्री ई-विद्या (PM eVIDYA)	• **"पी.एम. ई-विद्या" योजना** शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान **इस योजना के तहत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग** किया गया था। इस योजना ने यूनेस्को की मान्यता अर्थात यूनेस्को का राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार प्राप्त किया है। • पी.एम. ई-विद्या पहल, **डिजिटल/ ऑनलाइन/ ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है।** इससे बच्चों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करने और सीखने के नुकसान को कम करने के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम किया जा सकेगा। • इसे **आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू** किया गया है। 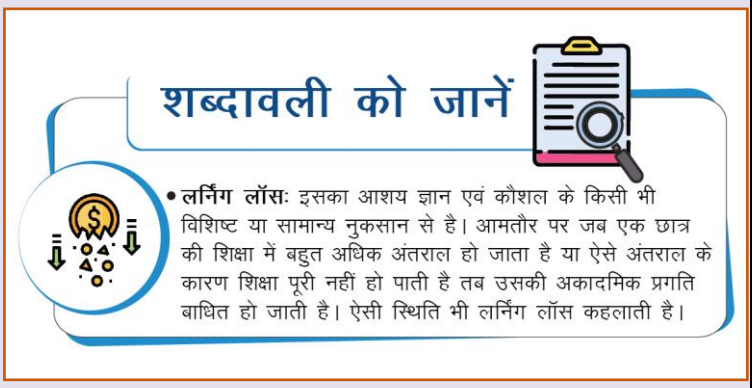
क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 {Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings 2023}	• QS **यूनिवर्सिटी रैंकिंग का प्रकाशन वार्षिक** रूप से होता है। इसमें वैश्विक रूप से समग्र और विषयगत रैंकिंग शामिल है। ○ इसका मापन **अकादमिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, शिक्षक/ छात्र अनुपात, प्रति शिक्षक साइटेशन और अंतर्राष्ट्रीय छात्र/ शिक्षक अनुपात** के आधार पर किया जाता है। • **प्रमुख निष्कर्ष:** ○ **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु** को 155वां स्थान प्रदान किया गया है। इस प्रकार यह एक **सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान** के रूप में उभरा है। ○ **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे (172) और IIT दिल्ली (174)** ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है।
विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग {Collaboration with foreign higher education Institutions (FHEI)}	• UGC ने भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मध्य परस्पर सहयोग को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब तीन प्रकार के शिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा सकते हैं। (इन्फोग्रफिक देखें)। • **मुख्य प्रावधान:** ○ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) में 3.01 का न्यूनतम स्कोर, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष 100 में शामिल संस्थान, टाइम्स हायर एजुकेशन या 'QS' विश्व रैंकिंग के शीर्ष 1,000 संस्थानों में शामिल **भारतीय संस्थान** पात्र होंगें। ○ टाइम्स हायर एजुकेशन या 'QS' विश्व रैंकिंग के शीर्ष 1000 संस्थानों में शामिल **विदेशी संस्थान**

 © Vision IAS

	पात्र होंगें। ○ यह इस तरह के सहयोग को सुगम बनाने हेतु **विनियामक संस्था की पर्यवेक्षक की भूमिका** पर अंकुश लगाता है। ○ **दोहरी और संयुक्त, दोनों डिग्री कार्यक्रमों के लिए** सहयोगी संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट अन्य अतिव्यापी कोर्स कंटेंट या पाठ्यक्रम से तो नहीं हैं। ○ **डॉक्टरेट की डिग्री या पी.एच.डी. कार्यक्रम** के मामले में, छात्रों का प्रत्येक संस्थान में पर्यवेक्षण किया जाएगा। उन्हें उनमें से प्रत्येक में कम से कम एक सेमेस्टर पूर्ण करना होगा। ○ सहयोगी संस्थान **उन छात्रों के लिए इन प्रोग्राम से बाहर निकलने का प्रावधान** कर सकते हैं, जो तीनों कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं।

4. स्वास्थ्य (Health)

4.1. आंगनवाड़ी प्रणाली (Anganwadi System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** (MoWCD)[42] ने संसद को सूचित किया है कि **आंगनवाड़ी प्रणाली को मजबूत करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च** किए गए हैं।

आंगनवाड़ी प्रणाली के बारे में

- **प्रमुख विशेषताएं**: आंगनवाड़ी प्रणाली, **आंगनवाड़ी सेवा योजना** के तहत शुरू की गई थी। यह प्रणाली **समेकित बाल विकास सेवा (ICDS)**[43] योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है (इन्फोग्राफिक देखिए)। ज्ञातव्य है कि **आंगनवाड़ी सेवा योजना को अब सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** के रूप में नामित किया गया है।
  - आंगनवाड़ी सेवा योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
  - यह योजना **प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास (ECCD)**[44] के लिए **दुनिया के सबसे बड़े तथा अनूठे कार्यक्रमों** में से एक है।

समेकित बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services: ICDS) योजना

यह 0–6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं पर केंद्रित योजना है।

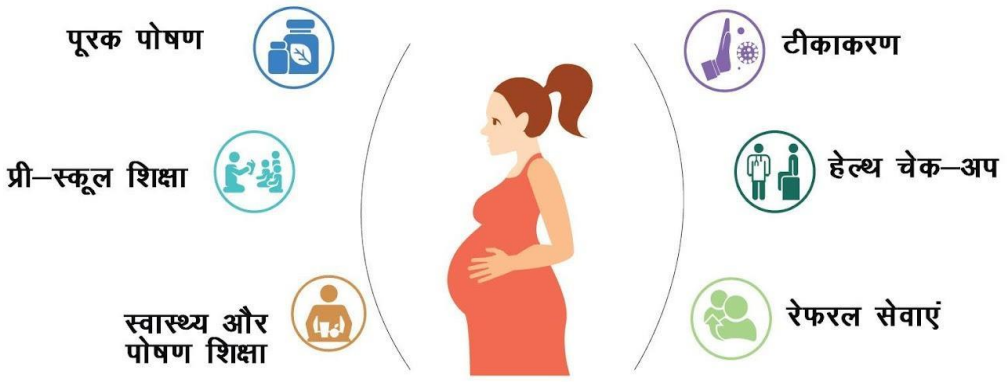

[42] Ministry of Women & Child Development

[43] Integrated Child Development Service

[44] Early Childhood Care and Development

© Vision IAS

- **इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - **बच्चों (0-6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार** करना, तथा
  - **मृत्यु दर, रुग्णता/ रोगों और कुपोषण की व्यापकता को कम** करना।
- **आंगनवाड़ी की पैठ:** यह प्रणाली निम्नलिखित के माध्यम से **906.17 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान करती है:**
  - **आंगनवाड़ी केंद्र (AWCs)[45]:** ये केंद्र इस योजना के तहत सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं।
  - **आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWWs)[46] और आंगनवाड़ी सहायिकाएं (AWHs)[47]:**
    - आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं ICDS के **मूल कार्मिक** हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन करते हैं और ICDS के कार्यान्वयन में मदद करते हैं।
    - **एक गांव/ क्षेत्र** का प्रबंधन एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। इस कार्यकर्ता को समुदाय में से चुना जाता है। इसे **स्वास्थ्य, पोषण और बाल देखभाल** जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है।

सक्षम आंगनवाड़ी

- यह आंगनवाड़ी केंद्रों के **सुधार के लिए किया गया एक लक्षित हस्तक्षेप है।** इसके तहत केंद्रों की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उन्हें देश भर में मजबूत व अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही, उनका कायाकल्प भी किया जाएगा।
- आंगनवाड़ियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अलावा, **सक्षम आंगनवाड़ी के तहत निम्नलिखित पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा-**
  - **आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में किशोरियां (14-18 वर्ष)।**
  - **प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (3-6 वर्ष) तथा प्रारंभिक प्रोत्साहन/ प्रेरणा (0-3 वर्ष)।**
- इसके तहत, **आवश्यक अपग्रेडेशन के लिए दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (प्रत्येक वर्ष 40,000) को मजबूत किया जाएगा।**
  - यह निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन करेगा:
    - **स्मार्ट लर्निंग ऐड (Aids), ऑडियो-एंड-वीडियो टूल्स, वाटर प्यूरीफायर और रेन-वाटर हार्वेस्टर** जैसे उपकरण।

- **डिजिटल समावेशन: आंगनवाड़ी केंद्रों** को डिजिटल रूप से मजबूत किया गया है। इसमें पोषण (POSHAN) ट्रैकिंग सिस्टम के लिए स्मार्टफोन और निगरानी के लिए उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।
  - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कुशल सेवा वितरण और उनके कार्यों के बेहतर प्रदर्शन के लिए **'पोषण ट्रैकर' (Poshan Tracker)** का सहयोग लिया जा रहा है।
  - इस मोबाइल आधारित एप्लिकेशन का उपयोग बच्चों में **ठिगनेपन (Stunting), दुबलेपन (Wasting) और कम वजन (Underweight) के प्रसार की पहचान करने** के लिए किया जा रहा है। साथ ही, इसका उपयोग पोषण सेवा वितरण की लास्ट माइल ट्रैकिंग के लिए भी किया जा रहा है।
- **पारिश्रमिक:**
  - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सरकार द्वारा **प्रति माह निर्धारित मानदेय का भुगतान** किया जाता है। इसे सरकार समय-समय पर निर्धारित करती है।
    - केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर **3500 रुपये प्रतिमाह** कर दिया है।
  - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को **पोषण अभियान के तहत ICDS-CAS** का उपयोग करने के लिए **प्रति माह 500 रुपये का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन** भी दिया जाता है।
    - ICDS- CAS[48] **अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को डेटा एकत्र करने की सुविधा** प्रदान करता है।
    - यह एक छह-स्तरीय **डैशबोर्ड** है, जो रजिस्टर की जगह स्मार्टफोन के उपयोग को सक्षम बनाता है।

[45] Anganwadi Centres

[46] Anganwadi Workers

[47] Anganwadi Helpers

[48] Common Application Software

- इसके अलावा, अधिकांश राज्य/ संघ शासित प्रदेश **अपने संसाधनों से इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय का भुगतान** कर रहे हैं।
- **बीमा कवरेज:** आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को निम्नलिखित योजनाओं के तहत कवर किया गया है:
  - प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY);
  - प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY); तथा
  - आंगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना (AKBY)।
- **अन्य लाभ:** सवेतन अवकाश, पदोन्नति में आरक्षण, वर्दी और अनुकरणीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य प्रोत्साहन एवं पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission: NNM) या पोषण अभियान के बारे में

- इसे 2017 में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की **निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य तय करने और मार्गदर्शन करने** के लिए शुरू किया गया था।
- पोषण अभियान का उद्देश्य भारत के सबसे अधिक कुपोषण की व्यापकता वाले चिन्हित जिलों में **ठिगनेपन को कम** करना है। यह कार्य **प्रमुख आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग में सुधार करके** संपन्न किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य **बच्चों, माताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए समग्र विकास एवं पर्याप्त पोषण सुनिश्चित** करना है।

© Vision IAS

जमीनी स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता

विशिष्टता	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW)	सहायक नर्स मिडवाइफ (Auxiliary Nurse Midwife: ANM)	आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता / Accredited Social Health Activist: ASHA)
योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत **ICDS**	राष्ट्रीय ग्रामीण / शहरी स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)	
नियुक्ति का स्थान	आंगनवाड़ी केंद्र	**स्वास्थ्य उप–केंद्र** और अतिरिक्त रूप से गांवों का दौरा करना।	ग्राम स्तर पर
प्रमुख भूमिकाएं	लाभार्थियों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास प्रदान करना।	स्वास्थ्य स्थिति निर्धारित करने वाले कारकों पर **जागरूकता पैदा करना।** प्रसव के संबंध में **महिलाओं, परिवारों और किशोरियों को परामर्श देना।** **उपचारात्मक देखभाल और आपूर्ति करना।**	टीकाकरण और संस्थागत प्रसव के साथ–साथ **मातृ तथा बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने** पर ध्यान देना।
प्रोत्साहन	केंद्र द्वारा तय किया गया मानदेय और प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन।	केंद्र द्वारा तय किया गया **मानदेय।**	प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

संबंधित सुर्ख़ियां

"ग्रासरूट सोल्जर्स: रोल ऑफ आशा इन द कोविड-19 पैंडेमिक मैनेजमेंट इन इंडिया" रिपोर्ट

- यह रिपोर्ट **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र तथा **इंस्टिट्यूट फॉर कॉम्पेटिटिवनेस के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई है।**
- यह रिपोर्ट **कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु भारत की प्रतिक्रिया रणनीति में आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य भूमिका और प्राप्त अनुभव** को रेखांकित करती है।

4.2. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 रिपोर्ट {National Family Health Survey-5 (NFHS) Report}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 रिपोर्ट** जारी की।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के बारे में

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं अन्य उभरते क्षेत्रों से संबंधित विश्वसनीय व तुलनात्मक डेटा प्रदान करना** है।
  - NFHS-5 में कुछ नए प्रमुख क्षेत्र शामिल किये गए हैं, जैसे कि **मृत्यु पंजीकरण, पूर्व-विद्यालय शिक्षा, बाल टीकाकरण के विस्तारित प्रक्षेत्र, मासिक धर्म स्वच्छता, अल्कोहल और तंबाकू के उपयोग की आवृत्ति आदि।**

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र

संकेतक	NFHS-5 (2019-21)	NFHS-4 (2015-16)
कुल प्रजनन दर (TFR) (प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या) ▪ प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों के TFR को प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता कहा जाता है। इसे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक माना जाता है।	2.0 ↓	2.2
गर्भनिरोधक प्रसार दर (Contraceptive Prevalence Rate: CPR)	67% ↑	54%
गर्भ के प्रथम तीन महीनों में गर्भवती महिलाओं द्वारा **प्रसवपूर्व देखभाल (Antenatal care: ANC) केंद्रों का दौरा**	70% ↑	59%
परिवार नियोजन की जरूरतें जो पूरी नहीं हुई	9% ↓	13%
12–23 महीने के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण	76% ↑	62%
कुल जनसंख्या में लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं) ▪ यह पहली बार है, जब किसी भी NFHS या जनगणना में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में झुका हुआ है।	1,020 ↑	991
नवजात मृत्यु दर ▪ प्रति 1,000 जीवित जन्मों में व्यक्त जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान सभी जीवित जन्मों में मृत्यु की संख्या।	24.9 ↓	29.5
शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म) ▪ यह जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान सभी जीवित जन्मों में शिशुओं की मृत्यु की संख्या है। इसे प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त किया जाता है।	35.2 ↓	40.7
पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म) ▪ यह किसी विशिष्ट वर्ष या अवधि में जन्म लिए बच्चे की पांच वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मृत्यु की संभावना है।	41.9 ↓	49.7
20–24 वर्ष की आयु की महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ (%)	23.3% ↑	13%
संस्थागत प्रसव	89% ↑	79%
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो ठिगनेपन (Stunted) से पीड़ित हैं (आयु के अनुरूप लम्बाई कम होना)	36% ↓	38%
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो दुबलेपन (Wasted) से पीड़ित हैं (ऊंचाई के अनुरूप वजन कम होना)	19% ↓	21%
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वजन कम (Underwight) है (आयु के अनुरूप वजन कम होना)	32.1% ↓	35.8%

© Vision IAS

4.3. नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 {Sample Registration System (SRS) Statistical Report 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने "नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) सांख्यिकी रिपोर्ट 2020" जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **SRS** जनगणना को छोड़कर, भारत में कई **जनसांख्यिकीय संकेतकों का एकमात्र आधिकारिक स्रोत** है।
- यह रिपोर्ट **प्रजनन और मृत्यु दर से जुड़े संकेतकों का वार्षिक अनुमान** प्रदान करती है।

भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त (Registrar General and Census Commissioner of India)

- **मंत्रालय:** गृह मंत्रालय
- **उत्पत्ति:** **जनगणना अधिनियम, 1948** के तहत 1949 में स्थापित।
- **सौंपे गए कार्य:**
  - **दशकीय जनगणना** का संचालन
  - **जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969** का कार्यान्वयन
- **नियुक्ति:** केंद्र सरकार द्वारा

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र

संकेतक	2014	2020
अशोधित जन्म दर (Crude Birth Rate: CBR): एक वर्ष में प्रति 1,000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या।	21.0	19.5 ↓
अशोधित मृत्यु दर (Crude Death Rate: CDR): छह माह में प्रति 1,000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या।	6.7	6.0 ↓
कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate: TFR)	2.3	2.0 ↓
नवजात मृत्यु दर (Neonatal Mortality Rate: NMR) ▫ **छह राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने NMR का SDG लक्ष्य (वर्ष 2030 तक <=12) पहले ही प्राप्त कर लिया है।** ये राज्य / केंद्र शासित प्रदेश हैं: केरल, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब।	26	20 ↓
शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate: IMR)	39	28 ↓
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर (U5MR) ▫ **11 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने U5MR का SDG लक्ष्य (वर्ष 2030 तक <=25) पहले ही प्राप्त कर लिया है। ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं:** केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू–कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात और हिमाचल प्रदेश।	45	20 ↓

4.4. नागरिक पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System: CRS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार **न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप** के साथ **वास्तविक समय में** जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सुनिश्चित करने हेतु **नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) में सुधार करने** की योजना बना रही है। यह सुधार एक सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सक्षम प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारत के महापंजीयक (RGI)** ने भी "**राष्ट्रीय स्तर पर** पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस को बनाए रखने" का प्रस्ताव दिया है।
- प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, डेटाबेस का उपयोग **जनसंख्या रजिस्टर, निर्वाचक रजिस्टर, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस** को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) के बारे में

- यह **महत्वपूर्ण घटनाओं** (जन्म, मृत्यु, मृत जन्म) और उनकी विशेषताओं की **निरंतर, स्थायी, अनिवार्य और सार्वभौमिक रिकॉर्डिंग** की एकीकृत प्रक्रिया है।
  - भारत में CRS का इतिहास **19वीं शताब्दी की मध्य अवधि से संबंधित** है।
  - वर्ष 1886 में पूरे **ब्रिटिश भारत में स्वैच्छिक पंजीकरण** हेतु एक **केंद्रीय जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम** लागू किया गया था।
- स्वतंत्रता के बाद, वर्ष 1969 में **जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (RBD अधिनियम)** अधिनियमित किया गया । इसका उद्देश्य देश भर में जन्म और मृत्यु के **पंजीकरण में एकरूपता और तुलनीयता** को बढ़ावा देना और इसके आधार पर **महत्वपूर्ण आंकड़ों** का संकलन करना था।
  - इसके अधिनियमन के साथ, भारत में जन्म, मृत्यु और **मृत जन्म का पंजीकरण अनिवार्य हो गया।**
  - केंद्र सरकार के स्तर पर **RGI** देश भर में पंजीकरण संबंधी गतिविधियों का **समन्वय और एकीकरण** करता है।
  - हालांकि, इस कानून के कार्यान्वयन का दायित्व **राज्य सरकारों को सौंपा गया है।**
- यह अधिनियम पूरे देश में **जन्म और मृत्यु के एक समान रिपोर्टिंग फॉर्म और प्रमाण-पत्र** के उपयोग को अधिदेशित करता है।
- RBD अधिनियम के तहत **मृत्यु के कारण के चिकित्सीय प्रमाणन (MCCD)** की योजना, मृत्यु के कारणों की जानकारी प्रदान करती है। यह जानकारी जनसंख्या की **स्वास्थ्य प्रवृत्तियों की निगरानी के लिए एक पूर्वापेक्षा है।**

4.5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान, 2018-19 {National Health Account (NHA) Estimates, 2018-19}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, छठी NHA अनुमान रिपोर्ट जारी की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमान 2018-19, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) द्वारा तैयार किया गया लगातार **छठा NHA अनुमान** है।
  - स्वास्थ्य मंत्रालय ने NHSRC को वर्ष 2014 में **NHA तकनीकी सचिवालय (NHATS)** के रूप में नामित किया था।
  - यह विश्व **स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विकसित 'सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स, 2011'** के ढांचे पर आधारित है।
  - ये अनुमान नीति निर्माताओं को देश के विभिन्न **स्वास्थ्य वित्तपोषण संकेतकों में प्रगति की निगरानी करने में मदद** करते हैं।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नजर

संकेतक	व्याख्या	विवरण
सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और प्रति व्यक्ति आय के प्रतिशत के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय	• कुल स्वास्थ्य व्यय में विदेशी फंड्स सहित **सरकारी और निजी स्रोतों** द्वारा किए गए **वर्तमान और पूंजीगत व्यय** शामिल हैं। • GDP के प्रतिशत के रूप में **कुल स्वास्थ्य व्यय,** देश के आर्थिक विकास के **सापेक्ष स्वास्थ्य व्यय** को दर्शाता है। • प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य व्यय **देश में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय** को दर्शाता है।	• GDP के प्रतिशत के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय **2018–19 में कम होकर 3.2%** हो गया था। यह 2013–14 में 4% था। ↓ • प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य व्यय **2018–19 में बढ़कर ₹4,470** हो गया था। यह 2013–14 में ₹3,638 था। ↑
कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में वर्तमान स्वास्थ्य व्यय (CHE)	वर्तमान स्वास्थ्य व्यय, स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए **बार–बार होने वाले व्यय** को शामिल करता है। यह स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले सभी पूंजीगत व्यय में जुड़ जाता है।	यह 2013–14 में 93% था, जो **2018–19 में घटकर 90.6%** हो गया था। ↓
कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (GHE)	GHE में अर्ध–सरकारी संगठनों सहित संघ, राज्य और स्थानीय **सरकारों द्वारा वित्त पोषित व प्रबंधित सभी योजनाओं के तहत व्यय** शामिल हैं।	यह 2013–14 के 28.6% से **बढ़कर 2018–19 में 40.6% हो** गया था। ↑
कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय (OOPE)	OOPE स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करते समय **परिवारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाने वाला व्यय है।**	यह 2013–14 में 60% था, जो **2018–19 में घटकर 48.2%** हो गया। ↓
कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय (SSE)	SSE में **केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त–पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं,** कर्मचारी लाभ योजनाओं आदि के लिए प्रीमियम के भुगतान हेतु सरकार द्वारा आवंटित वित्त शामिल है।	यह 2013–14 के 6% से **बढ़कर 2018–19 में 9.6%** हो गया था। ↑
कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय	इसमें **स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के माध्यम से व्यय** शामिल है। इसमें परिवार या नियोक्ता एक विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत कवर किए जाने के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं।	यह 2013–14 के 3.4% से **बढ़कर 2018–19 में 6.6%** हो गया था। ↑
कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य के लिए बाह्य/दाता अनुदान	इसमें **दानदाताओं द्वारा प्रदत्त सहायता** के रूप में देश को उपलब्ध सभी निधियां शामिल हैं।	यह 2013–14 के 0.3% से **बढ़कर 2018–19 में 0.4%** हो गया था। ↑

4.6. मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर **'टेली-मानस या राज्यों में टेली-मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग (Tele-MANAS)**[49] पहल शुरू की है।

टेली-मानस के बारे में

- **आरंभ:** यह **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NTMHP)**[50] के तहत आरंभ की गई एक पहल है। NTMHP की घोषणा **केंद्रीय बजट 2022-23** में की गई थी।
- **उद्देश्य**: देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को और बेहतर बनाना।
  - इसका उद्देश्य पूरे देश में निशुल्क टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
- **कार्य संरचना**: प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में **कम-से-कम एक टेली-मानस प्रकोष्ठ (Cell)** स्थापित किया जाएगा।
  - इसका नोडल केंद्र **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS)**[51]**, बेंगलुरु** को बनाया गया है।
- **तकनीकी सहायता: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बेंगलुरु और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC)**[52] तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।
  - सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक टोल-फ्री, 24/7 हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित किया गया है। इसमें अपनी पसंद की भाषा का चयन करने का विकल्प भी मौजूद है।
- **एकीकरण: टेली-मानस अन्य सेवाओं** जैसे राष्ट्रीय टेली-परामर्श सेवा, ई-संजीवनी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों तथा आपातकालीन मनोरोग सुविधाओं **से भी जुड़ा हुआ है।**

संबंधित सुर्ख़ियाँ

यूनिक फ्रेंडशिप बेंचेज पहल (Unique Friendship Benches Initiative)

- हाल ही में, इसका उद्घाटन WHO द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
- इस पहल के तहत, दोहा में प्रमुख स्थानों पर 32 **फ्रेंडशिप बेंच** स्थापित की गई हैं। यह कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 में भाग लेने वाले 32 देशों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- यह पहल **स्पोर्ट फॉर हेल्थ पार्टनरशिप का हिस्सा** है, जिसका नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन और कतर के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहे हैं।
  - इसका लक्ष्य शारीरिक गतिविधि और खेल के महत्व के माध्यम से **मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को प्रदर्शित करना** तथा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में **सलाह देना है।**

विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट

- **जारीकर्ता**: विश्व व्यापार संगठन (WHO)
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**
  - **वर्ष 2019 में लगभग एक अरब लोग** (जिनमें से 14% किशोर थे) वे किसी न किसी रूप में **मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विकार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे।**

[49] Tele Mental Health Assistance and Networking Across States

[50] National Tele Mental Health Programme

[51] National Institute of Mental Health and Neurosciences

[52] National Health Systems Resource Centre

 © Vision IAS

- वैश्विक स्तर पर, **मनोविकृति के 71 प्रतिशत रोगियों को उपचार प्राप्त नहीं होता है।**
- व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना (CMHAP)[53] 2013-2030 की **दिशा में प्रगति धीमी** रही है।

- **CMHAP के बारे में**
  - CMHAP को WHO के सभी 194 सदस्यों ने अपनाया है। इसके उद्देश्य **मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना, मानसिक विकारों को रोकना** आदि हैं।
  - **CMHAP को प्राप्त करने के 3 प्रमुख मार्ग**
  - घरों, समुदायों, स्कूलों, कार्यस्थलों और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं आदि में **परिवेश** को फिर से आकार प्रदान करना।
  - **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल** में विविधता लाकर इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करना।
- मानसिक स्वास्थ्य में केंद्रित **निवेश** करना।

4.7. भारत में ड्रग्स रेगुलेशन इकोसिस्टम (Drugs Regulation Ecosystem in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** ने भारत में विनिर्मित खांसी और सर्दी के चार सिरपों पर अलर्ट जारी किया था। इसके बाद भारत में ड्रग रेगुलेशन इकोसिस्टम जांच के दायरे में है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इन सिरपों को **गाम्बिया** में 'संभावित रूप से **गुर्दे की गंभीर समस्याओं** और 66 से अधिक बच्चों की मौत' का कारण माना गया है।
  - इन सिरपों का विनिर्माण और निर्यात एक **भारतीय कंपनी- मेडेन फार्मास्युटिकल लिमिटेड** द्वारा किया गया था।
  - इस कंपनी के पास निम्नलिखित उत्पादों के लिए **केवल निर्यात की अनुमति** है।
    - प्रोमेथाज़िन ओरल सॉल्यूशन BP
    - कोफेक्सनालिन बेबी कफ सिरप
    - मैकॉफ बेबी कफ सिरप, और
    - माग्रिप एन कोल्ड सिरप
- CDSCO की **प्रारंभिक जांच** से पता चला है कि निर्माता को इन उत्पादों के लिए निर्देशों के तहत राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा लाइसेंस दिया गया है।
- सिरपों की जांच के परिणामों में **डायथिलीन ग्लाइकोल (DEG)/ एथिलीन ग्लाइकोल** की उपस्थिति दर्ज की गई है।
  - ये **प्रोपिलीन ग्लाइकोल** में अशुद्धियों के रूप में मौजूद होते हैं तथा **प्रकृति में विषाक्त होते** हैं।
  - भारत में भी **1972** के बाद से **DEG विषाक्तता** के कम-से-कम **पांच मामले** सामने आए हैं। इनमें 2020 की जम्मू की घटना भी शामिल है, जिसमें 17 बच्चों की मौत हुई थी।

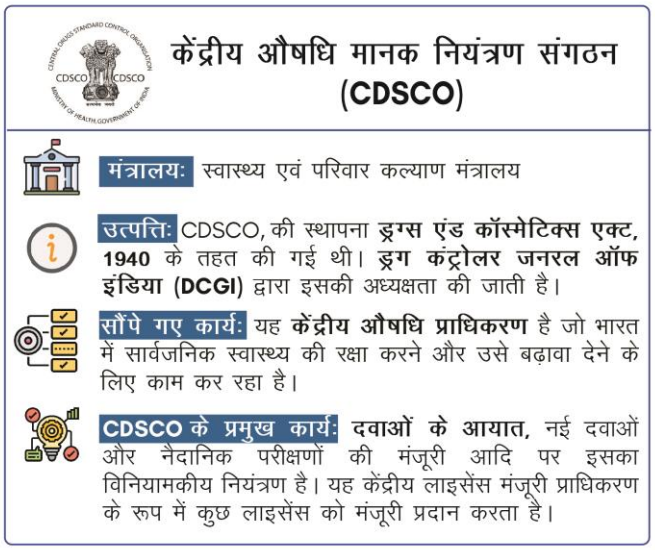

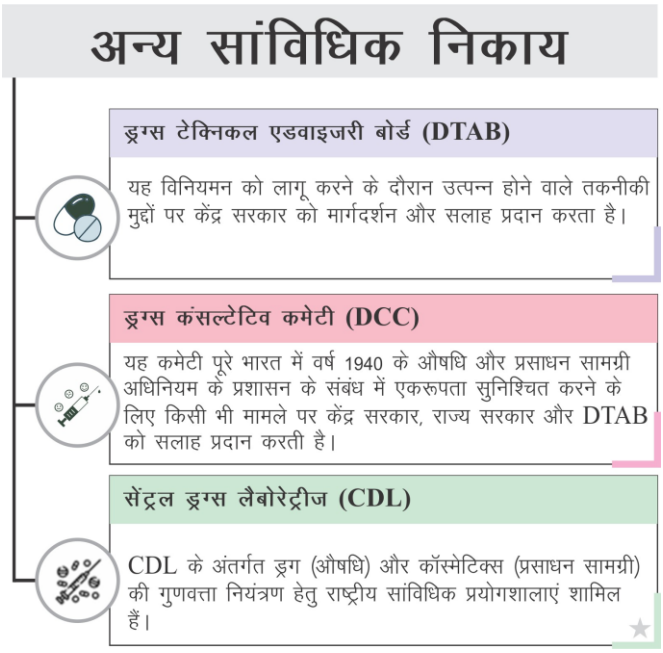

[53] Comprehensive Mental Health Action Plan

भारत के ड्रग रेगुलेशन इकोसिस्टम के बारे में

- **भारतीय औषधि नियामक प्रणाली** की शुरुआत **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940**[54] से हुई थी। यह **औषधि और प्रसाधन सामग्री के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री** को विनियमित करता है।
- **1940 का अधिनियम** और इससे संबंधित नियम **केंद्र तथा राज्यों** को ड्रग्स इकोसिस्टम के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने की अनुमति प्रदान करते हैं (भारत के रेगुलेटरी इकोसिस्टम पर **चित्र देखें**)।
- **1940 का अधिनियम** विभिन्न कार्यों के लिए **अन्य सांविधिक निकायों** का भी प्रावधान करता है (**चित्र** देखें)।

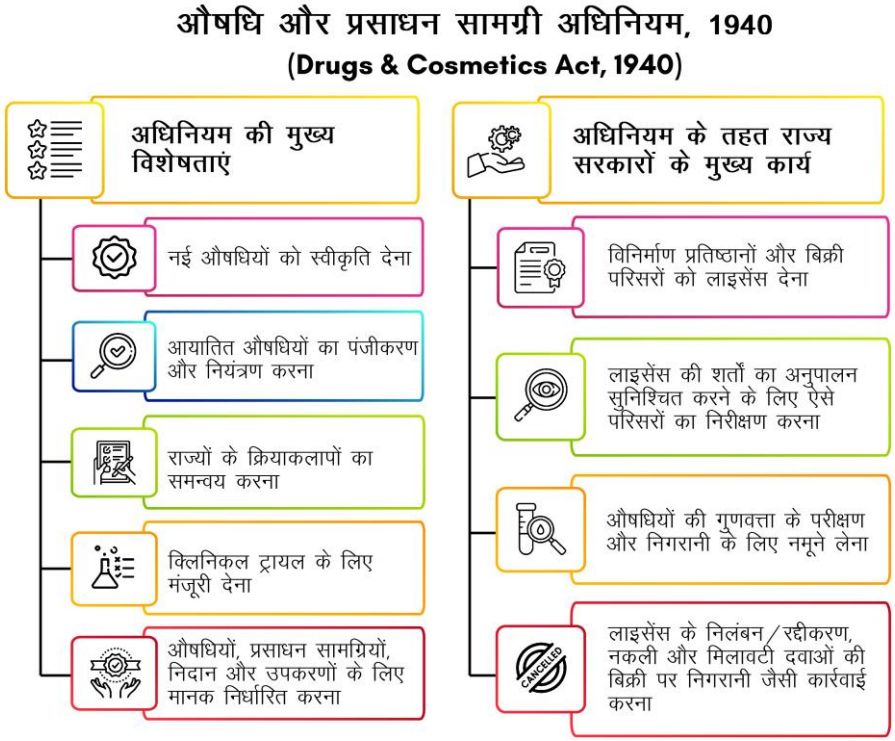

- नियामक प्रणाली की प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए अतीत में कई समितियों का गठन किया गया है। इनमें **माशेलकर समिति** (2003), **रंजीत रॉय चौधरी समिति** (2014) आदि शामिल हैं।

भारत में स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों हेतु विनियामकीय व्यवस्था

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	वाणिज्य मंत्रालय	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	पर्यावरण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)	औषध विभाग	पेटेंट कार्यालय	जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)	विनिर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी
भारतीय औषध महानियंत्रक DGCI (I) की अध्यक्षता में **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन** (CDSCO) + सांविधिक समितियां + सलाहकार समितियां + राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण	राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA): औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO), 2013	पेटेंट महानियंत्रक	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) प्रयोगशालाएं	

अच्छी विनिर्माण पद्धतियां (Good Manufacturing Practice: GMP)

- यह **गुणवत्ता मानकों** के अनुसार **उत्पादों का निरंतर उत्पादन और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए** एक प्रणाली है।
- यह प्रणाली चिकित्सीय प्रभाव सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से **दवा निर्यात के अवसरों को बढ़ावा देने** में मदद करती है।
- वर्तमान में, भारत में लगभग **2,000 विनिर्माण इकाइयां GMP द्वारा प्रमाणित हैं।**

[54] Drugs & Cosmetics Act, 1940

4.8. भारत में मादक पदार्थों की तस्करी (Drug Trafficking in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

UNODC[55] ने **वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022** जारी की है।

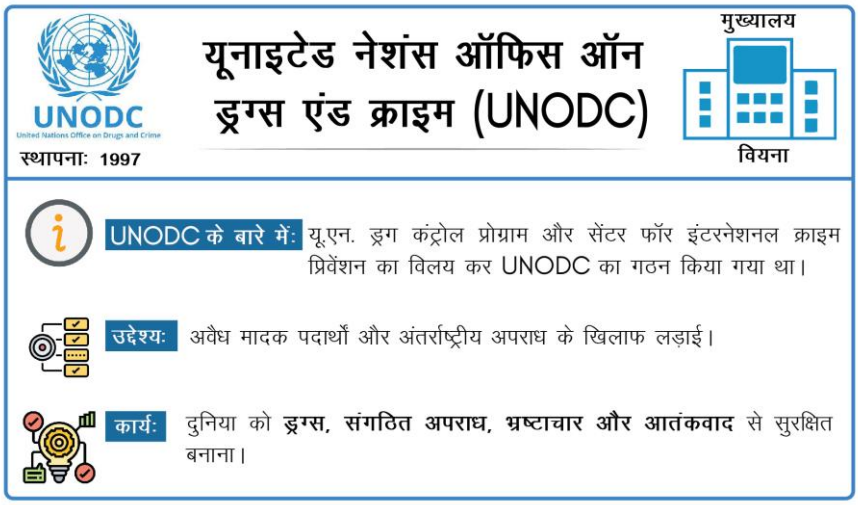

वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के बारे में

- 2020 में दुनिया भर में 15-64 आयु वर्ग के लगभग 284 मिलियन लोगों ने मादक पदार्थों का इस्तेमाल किया, जो पिछले दशक की तुलना में 26% अधिक है।
  - हालांकि वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों का सेवन करने वाली महिलाओं की संख्या कम है। इसके बावजूद महिलाओं में मादक पदार्थों के सेवन में वृद्धि दर पुरुषों की तुलना में **अधिक तीव्र** है।
- **मादक पदार्थों के उत्पादन और तस्करी में निरंतर वृद्धि** हुई है।

भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में

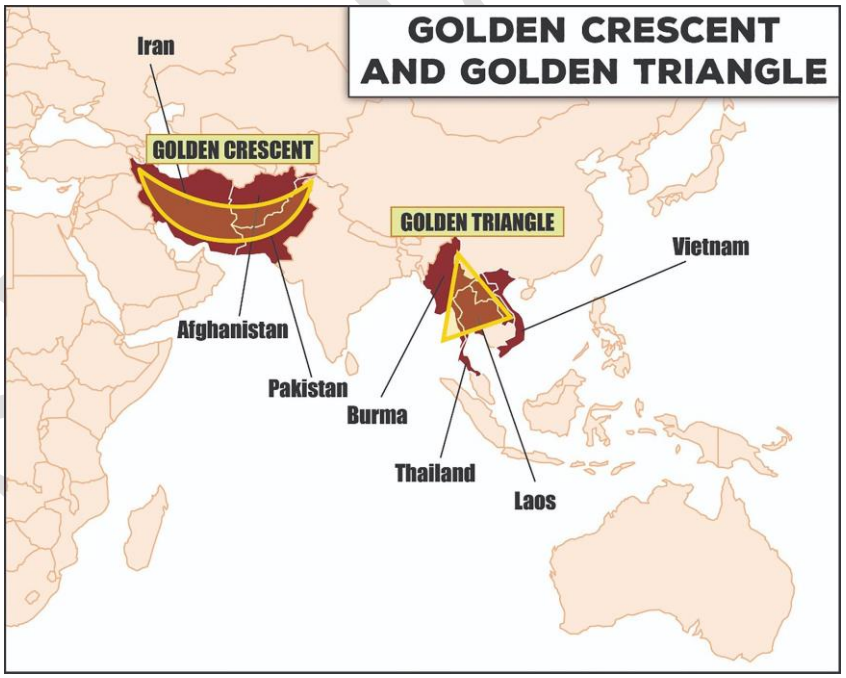

- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत उपभोगकर्ताओं के मामले में दुनिया के सबसे बड़े अफीम बाजारों में से एक है। साथ ही, यहां इसकी आपूर्ति बढ़ने की भी संभावना है।
  - **भारत गोल्डन ट्राएंगल** (म्यांमार, लाओस और थाईलैंड में एक त्रि-जंक्शन) और **गोल्डन क्रिसेंट** (ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान) में उत्पादित हेरोइन और हशीश के लिए **एक ट्रांजिट हब के साथ-साथ एक गंतव्य स्थल भी बन गया है।**
- भारत में बहुत सारे सिंथेटिक मादक पदार्थों और उत्तेजना पैदा करने वाले रासायनिक पदार्थों का भी विनिर्माण होता है, जिनकी भारत में बहार तस्करी की जाती है।
- UNODC की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2010 से लेकर 2017 तक गांजा की सबसे अधिक अवैध खेती और उत्पादन करने वाले देशों में भी शामिल है।
- भारत में इससे सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत (विशेष रूप से मणिपुर) और उत्तर पश्चिम भारत (विशेष रूप से पंजाब) हैं। इसके बाद मुंबई और दिल्ली एवं हरियाणा का स्थान है।
- **गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल** (दुनिया में प्रमुख अफीम उत्पादन क्षेत्र) **से भारत की निकटता** ने भारत को मादक पदार्थों की तस्करी का केंद्र बना दिया है।

[55] United Nations Office on Drugs and Crime/ संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय

संबंधित सुर्ख़ियाँ

केंद्र ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अभियोजन (Prosecutions) व गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया।

अधिनियम में मुख्य बदलाव

- दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिनियम के तहत अभियोजन व गिरफ्तारी के लिए यात्री सामान में वस्तुओं के बाजार मूल्य सीमा को बढ़ाया गया है। CBIC के अनुसार, यदि तस्करी की गई या गैर-कानूनी तरीके से आयात की गई वस्तुओं का बाजार मूल्य 50 लाख रुपये और अधिक है, तो अभियोजन चलाया जाएगा। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये थी।
- **वाणिज्यिक धोखाधड़ी** में यह सीमा **2 करोड़** रुपये निर्धारित की गई है। यह पहले एक करोड़ रुपये थी।
- हालांकि, जाली मुद्रा, हथियारों, गोला-बारूद व विस्फोटकों, प्राचीन वस्तुओं, कला के खजाने, वन्यजीव उत्पादों तथा वनस्पतियों एवं वन्य जीवों की **लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित अपराधों के लिए ये सीमाएं लागू नहीं होंगी।**

 © Vision IAS

4.9. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

शारीरिक गतिविधि पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, 2022 (Global Status Report on Physical Activity 2022)	• **जारीकर्ता:** इसे **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) प्रकाशित करता** है। • यह रिपोर्ट यह आकलन करती है कि सरकारें किस हद तक **सभी आयु वर्ग और क्षमताओं में शारीरिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए सिफारिशों को लागू कर रही हैं।** • **मुख्य निष्कर्ष** ○ **50% से कम देशों में एक राष्ट्रीय शारीरिक गतिविधि नीति मौजूद है।** इनमें से 40% से कम देशों में यह नीति परिचालन में है। ○ **केवल 40% से अधिक देशों ने ही सड़क डिजाइन मानकों** को अपनाया है। ये मानक पैदल चलने और साइकिल चलाने को सुरक्षित बनाते हैं। • **सुझाव/ सिफारिश** इस रिपोर्ट में देशों से यह आह्वान किया गया है कि वे **स्वास्थ्य में सुधार और गैर-संचारी रोगों (NCDs) से निपटने** के लिए शारीरिक गतिविधि को प्राथमिकता देने वाले प्रयास करें। साथ ही, सभी प्रासंगिक नीतियों में शारीरिक गतिविधि को एकीकृत करने और कार्यान्वयन में सुधार के लिए उपकरण, मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण विकसित करें।
अधिसूचित रोग (Notified Disease)	• **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति ने 139वीं रिपोर्ट** प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में **कैंसर को एक अधिसूचित रोग की श्रेणी में रखने का सुझाव दिया गया है।** इससे कैंसर के मामलों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में मदद मिल सकेगी। • **अधिसूचित रोग:** ऐसे रोग जिनके बारे में सरकारी प्राधिकरणों को **सूचित करना कानूनी रूप से** अनिवार्य होता है। • प्रत्येक **चिकित्सक या उसके संस्थानों द्वारा सरकार को अधिसूचित रोगों के मामलों के बारे में सूचित करना कानूनी रूप से बाध्यकारी** है। ऐसा न करने पर उन पर आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है। • **अधिसूचित रोगों के कुछ उदाहरण:** हैजा, डिप्थीरिया, एन्सेफलाइटिस, कुष्ठ रोग, मेनिन्जाइटिस, पर्टुसिस, प्लेग, तपेदिक, एड्स, मलेरिया, डेंगू आदि।
राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (National Suicide Prevention Strategy)	• **जारीकर्ता:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति' की घोषणा की है। • यह नीति **आत्महत्या की रोकथाम के लिए WHO की दक्षिण पूर्व-एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप** होगी। • यह नीति 2030 तक (2020 के स्तर से) **आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी** लाने का लक्ष्य निर्धारित करती है। इसके लिए नीति में **समयबद्ध कार्य योजनाओं और बहु-क्षेत्रक सहयोग** का आह्वान किया गया है। ○ भारत में 2021 के दौरान **लगभग 1.6 लाख आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की गई थी।** 2021 के आंकड़े 2020 की तुलना में 7.2% की वृद्धि दर्शाते हैं।

	○ **पारिवारिक समस्याएं और बीमारी** इन आत्महत्याओं के प्रमुख कारण रहे हैं। • **आत्महत्या की रोकथाम के लिए की गई पहलें:** राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि
पालन 1000 (Paalan 1000)	• सरकार ने बाल स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए **पालन 1000 अभियान**, पेरेंटिंग ऐप लॉन्च किया है। • **'पालन 1000 (प्रथम 1000 दिनों की यात्रा)** अपने जीवन के पहले 2 वर्षों में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास (Cognitive Development) पर केंद्रित है। ○ पहले 1000 दिन बच्चे के **शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए एक ठोस नींव का निर्माण** करते हैं। ○ यह ऐप **पोषण करने वाले को व्यावहारिक सलाह प्रदान करेगा** कि वे अपनी दिनचर्या में क्या कर सकते हैं।
नवजात शिशुओं के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य	• **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण** एक तंत्र विकसित कर रहा है। इसके तहत **माता-पिता अपने नवजात और छोटे बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) नंबर जनरेट कर सकते हैं।** इसे **स्वास्थ्य आईडी** के रूप में

 © Vision IAS

खाता (ABHA for new-borns)	जाना जाता है। ○ वर्तमान में, **केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति** ही ABHA कार्ड के लिए नामांकन के पात्र हैं। ABHA कार्ड **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन** के तहत जारी किया जाता है। • ABHA नंबर **माता-पिता को जन्म से लेकर सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड** अपलोड करने में सक्षम बनाएगा। साथ ही, वे लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से लेकर बीमा योजनाओं तक के सभी स्वास्थ्य लाभों को भी अपलोड कर सकते हैं। ○ इससे माता-पिता अपने **बच्चों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड की निगरानी** कर सकेंगे।

5. पोषण और स्वच्छता (Nutrition and Sanitation)

5.1. भारत में पोषण सुरक्षा (Nutritional Security in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI)[56] 2022 में भारत **121 देशों की सूची में 6 स्थान फिसलकर 107वें स्थान पर आ गया है।** ध्यातव्य है कि 2021 में भारत 101वें स्थान पर था।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में

- इसे **कंसर्न वर्ल्डवाइड[57] और वेल्ट हंगर हिल्फे[58]** द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है।
- इसे पहली बार **2006 में जारी किया गया था।** GHI **2022** इसका **17वां संस्करण है।**

भारत में पोषण सुरक्षा की स्थिति

- **सूचकांक में प्राप्त स्कोर:** इस वर्ष GHI में भारत का स्कोर 29.1 है। इसके कारण **भारत में भुखमरी की स्थिति "गंभीर (Serious)"** है।
  - वर्ष 2000 में भारत का GHI स्कोर "चिंताजनक (Alarming)" था और 2021 में यह घटकर "गंभीर" हो गया।
- **बच्चों में दुबलापन (Child Wasting):** इस सूचकांक के अनुसार **बच्चों में दुबलेपन** का प्रतिशत 19.3% है। यह दर्शाता है कि देश में कुपोषण की दर कितनी है। **दुर्भाग्यवश यह प्रतिशत भारत में सर्वाधिक है।**
- **अल्पपोषण (Undernourishment):** भारत की **जनसंख्या में कुपोषितों का अनुपात मध्यम स्तर का है।** पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर **निम्न स्तर पर है।**

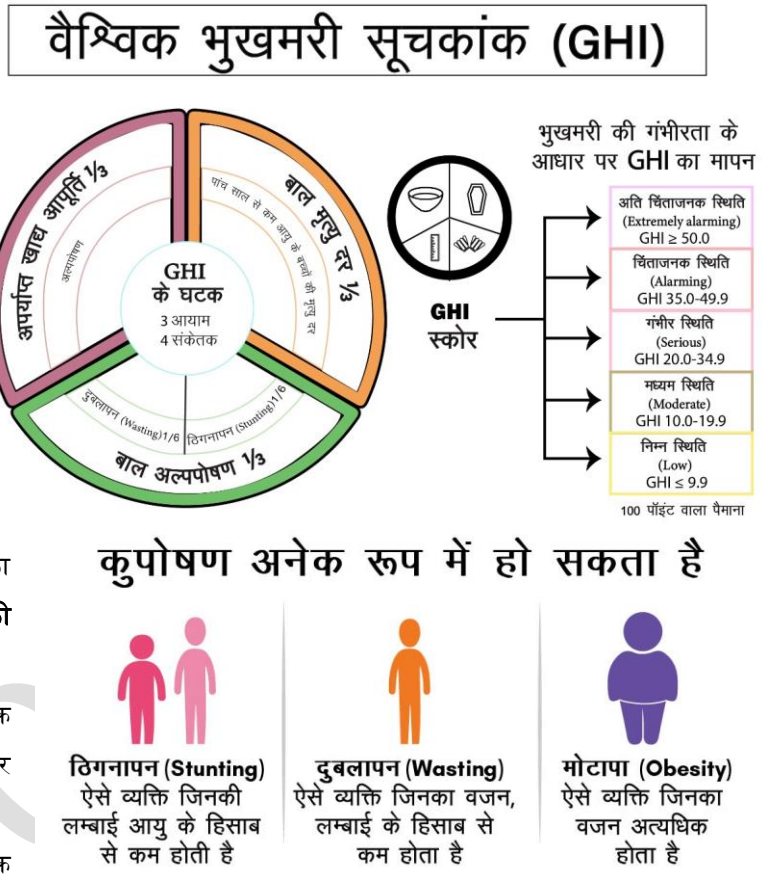

भारत सरकार का पक्ष

- **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** ने कहा कि यह सूचकांक भुखमरी का एक गलत माप है और इसमें कई गंभीर पद्धतिपरक कमियां मौजूद हैं।
- **उपयोग की जाने वाली पद्धति अवैज्ञानिक है।** सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि उनका मूल्यांकन एक 'चार प्रश्नों' वाले ओपिनियन पोल के परिणामों पर आधारित है। इसे टेलीफोन पर आयोजित किया जाता है और यह अविश्वसनीय है।
- **अल्पपोषित आबादी (PoU)[59] का अनुमान,** "खाद्य असुरक्षा अनुभव पैमाने (FIES)[60]" सर्वेक्षण मॉड्यूल के आधार पर 3000 प्रतिभागियों के बहुत छोटे नमूने पर किए गए एक ओपिनियन पोल पर आधारित है।

[56] Global Hunger Index
[57] Concern Worldwide
[58] Welthungerhilfe
[59] Proportion of Undernourished
[60] Food Insecurity Experience Scale

© Vision IAS

- **बाल ठिगनापन (Child Stunting):** बच्चों में ठिगनेपन की समस्या में "काफी कमी (Significant Decrease)" देखी गई है। यह 1998-1999 में 54.2% के स्तर से घटकर 2019-2020 में 35.5% रह गई है। हालांकि, इसे अभी भी **"बहुत अधिक (Considered Very High)" माना जाता है।**
- **तुलना: भारत के पड़ोसी देशों का स्थान निम्नलिखित है:**
  - नेपाल - 81,
  - बांग्लादेश - 84,
  - पाकिस्तान - 99, और
  - श्रीलंका - 64

विश्व में पोषण सुरक्षा की स्थिति

- **भुखमरी में कमी में स्थिरता:** 2022 में विश्व का GHI स्कोर 18.2 है। इसे मध्यम स्तर का स्कोर माना जाता है। यह 2014 के स्कोर अर्थात् 19.1 से थोड़ा-सा कम है।
- **हिंसक संघर्ष:** खाद्य संकट वैश्विक रिपोर्ट, 2022 के अनुसार 2021 में तीव्र खाद्य असुरक्षा का मुख्य कारण संघर्ष/ असुरक्षा थी।
- **अफ्रीका (सहारा के दक्षिण में) और दक्षिण एशिया** सर्वाधिक भुखमरी वाले क्षेत्र हैं। ये भविष्य के आघातों एवं संकटों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील भी हैं।
- **कोविड-19 महामारी** के कारण निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों की आर्थिक दुर्दशा और भी खराब हो गई। इसके कारण आर्थिक विकास धीमा हो गया जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हुई। साथ ही, अनुमानित वैश्विक निर्धनता दर भी बढ़ गई।
- **जलवायु परिवर्तन** कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर दबाव बना रहा है। इससे मानव जरूरतों को पूरा करने में बाधा आ रही है।

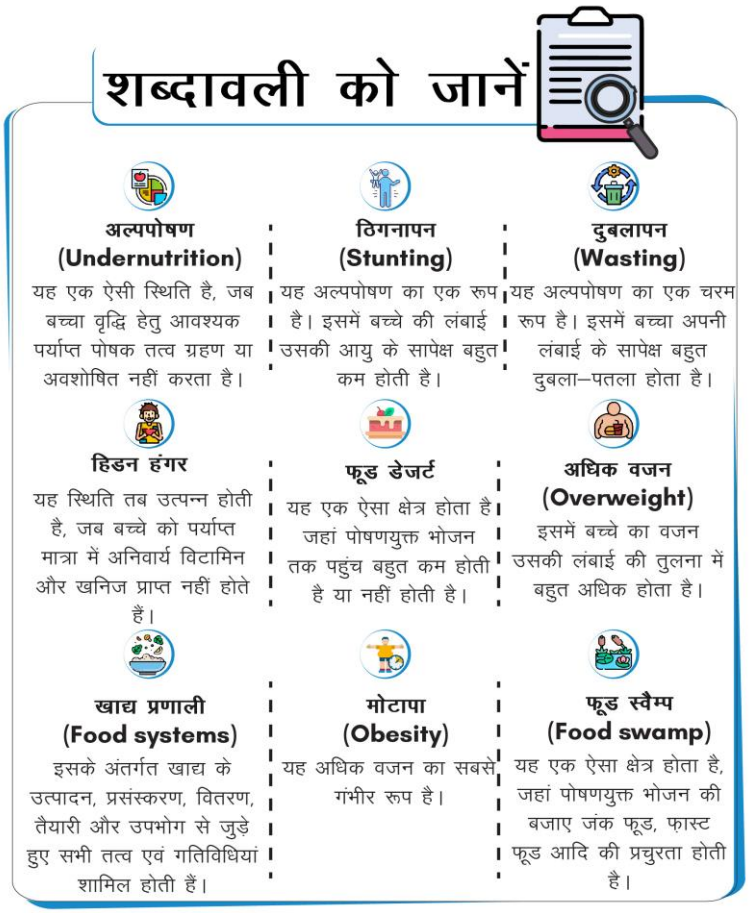

5.1.1. विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति (SOFI) रिपोर्ट, 2022 {The State of Food Security And Nutrition in The World (SOFI) Report, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति (SOFI) रिपोर्ट** जारी की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह रिपोर्ट **निम्नलिखित संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार** की गयी है:
  - खाद्य और कृषि संगठन,
  - कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष,
  - संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ),
  - संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, और
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन।
- **इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:**
  - वर्ष 2030 तक भुखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को उसके सभी रूपों में समाप्त करने का सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन, इस रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि विश्व इस **लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में** आगे नहीं बढ़ रहा है।
  - **खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के लिए उत्तरदायी कारक हैं:** संघर्ष, चरम जलवायु स्थितियां, आर्थिक संकट और बढ़ती असमानता।
- **भारत से संबंधित निष्कर्ष:**
  - **कुल जनसंख्या में अल्पपोषण:** 16.3%
  - **5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुर्बलता (लंबाई की तुलना में कम वजन):** 17.3%
  - **5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन (आयु के हिसाब से छोटा कद):** 30.9%
  - **विशेष रूप से स्तनपान करने वाले शिशु:** 58%

5.2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {National Food Security Act (NFSA), 2013}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **'पी.एम. गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)'** की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य **NFSA, 2013 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त अनाज** प्रदान करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस नई PMGKAY में NFSA की **धारा 3 के तहत सभी पात्र परिवारों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज मुफ्त** में प्रदान किए जाएंगे। इसे **1 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023** तक की अवधि के लिए लागू किया गया है। पात्र परिवारों में **प्राथमिक परिवार और अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवार** शामिल होंगे।
  - अब तक लाभार्थियों को **केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP)[63] के रूप में मोटे अनाज, गेहूं और चावल के लिए क्रमशः 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये** का भुगतान करना पड़ता था। CIP सब्सिडी युक्त वह मूल्य है, जिस पर सरकार राज्यों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।
  - **सब्सिडी युक्त मूल्यों** का उल्लेख NFSA, 2013 की अनुसूची-1 में किया गया है। हालांकि, **सरकार इसे कार्यकारी आदेश के माध्यम से परिवर्तित** कर सकती है।

खाद्यान्नों की खरीद के लिए तंत्र: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दो प्रकार की खरीद नीति लागू की है।

- **केंद्रीकृत खरीद:** खाद्यान्नों की खरीद प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय खाद्य निगम (FCI)[61] द्वारा की जाती है। FCI यह खरीद, भंडारण और बाद के मुद्दों से निपटने के उद्देश्य से करता है।
  - आर्थिक लागत और CIP के बीच के अंतर की **प्रतिपूर्ति FCI को खाद्य सब्सिडी के रूप में की जाती है।**
- **विकेंद्रीकृत खरीद (DCP)[62]:** इस योजना के तहत राज्य सरकारें स्वयं धान/ चावल और गेहूं की सीधी खरीद करती हैं। साथ ही, राज्य सरकारें NFSA और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत इन खाद्यान्नों का भंडारण एवं वितरण भी करती हैं।

[61] Food Corporation of India

[62] Decentralized Procurement

[63] Central Issue Price

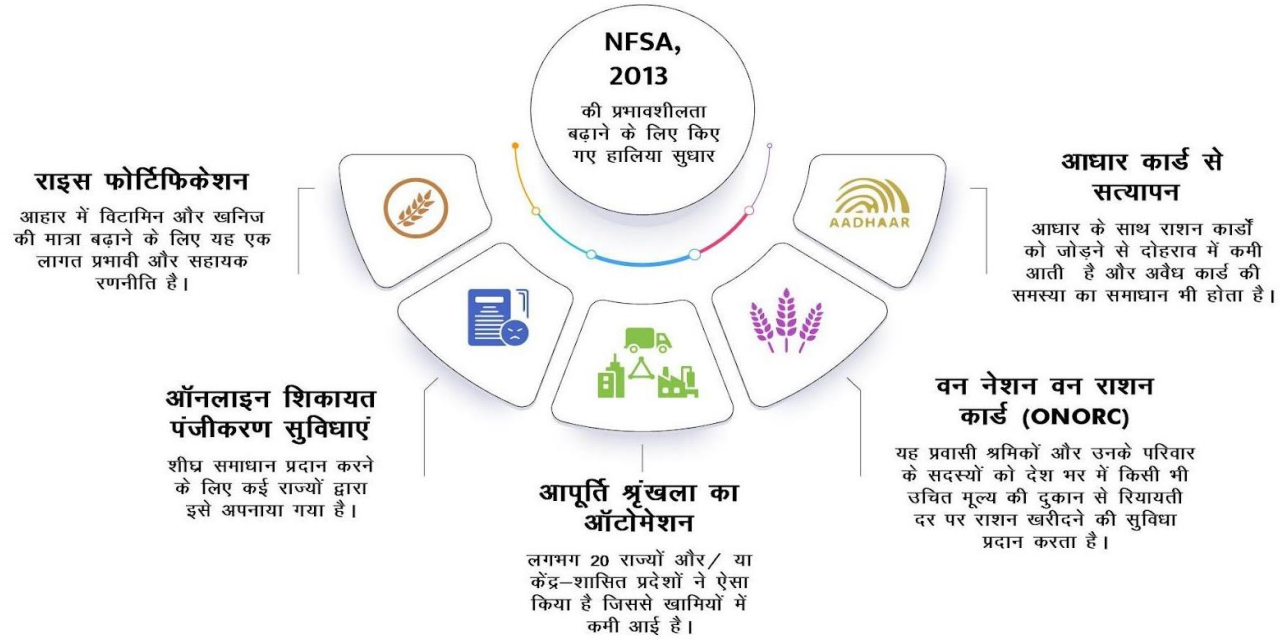

- **PMGKAY के अंतर्गत निम्नलिखित दो सब्सिडी योजनाओं का विलय कर दिया गया है (बॉक्स देखिए)।**
  - **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** के लिए खाद्य सब्सिडी।
  - **विकेंद्रीकृत खरीद (DCP)** के लिए खाद्य सब्सिडी।
- हालांकि, मध्याह्न भोजन (MDMs)[64] योजना जैसे **अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए राज्यों को आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न के निर्गम मूल्यों (Issue Prices) में कोई परिवर्तन नहीं** किया जाएगा।
- ध्यातव्य है कि नई 'पी.एम. गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) **2020 में शुरू की गई पी.एम. गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) से अलग है।** PMGKAY को 2020 में **महामारी राहत उपाय** के रूप में शुरू किया गया था।
  - PMGKAY को **NFSA के लाभार्थियों को 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान** प्रदान करने के लिए 2020 में शुरू किया गया था। यह खाद्यान्न **NFSA अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की लाभार्थियों की मासिक पात्रता के अतिरिक्त** था। इस मासिक पात्रता के अंतर्गत **अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम और प्राथमिकता वाले परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज** प्रदान करना शामिल है।
  - अब, **यह योजना बंद** कर दी गई है।,

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का विकास–क्रम

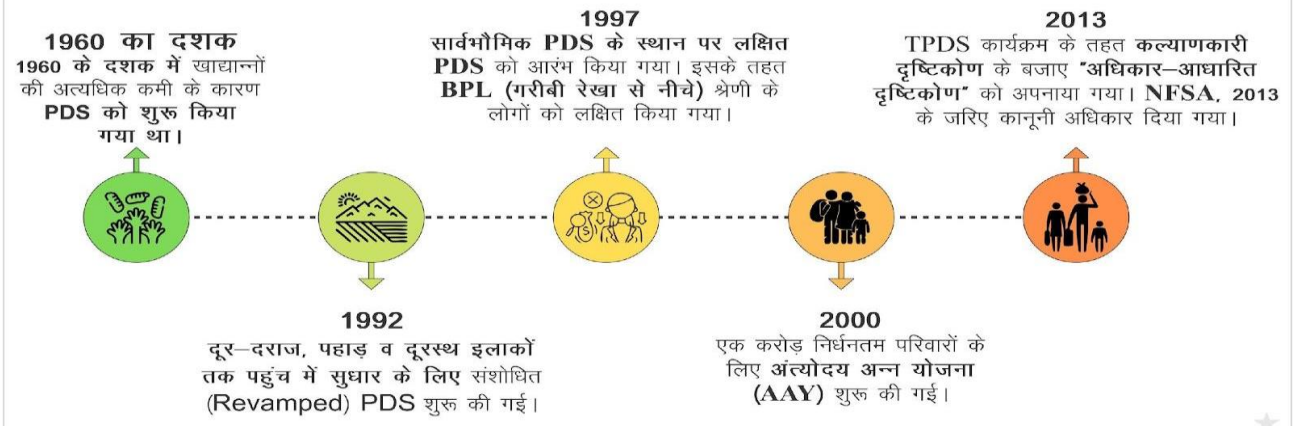

[64] Mid Day Meals

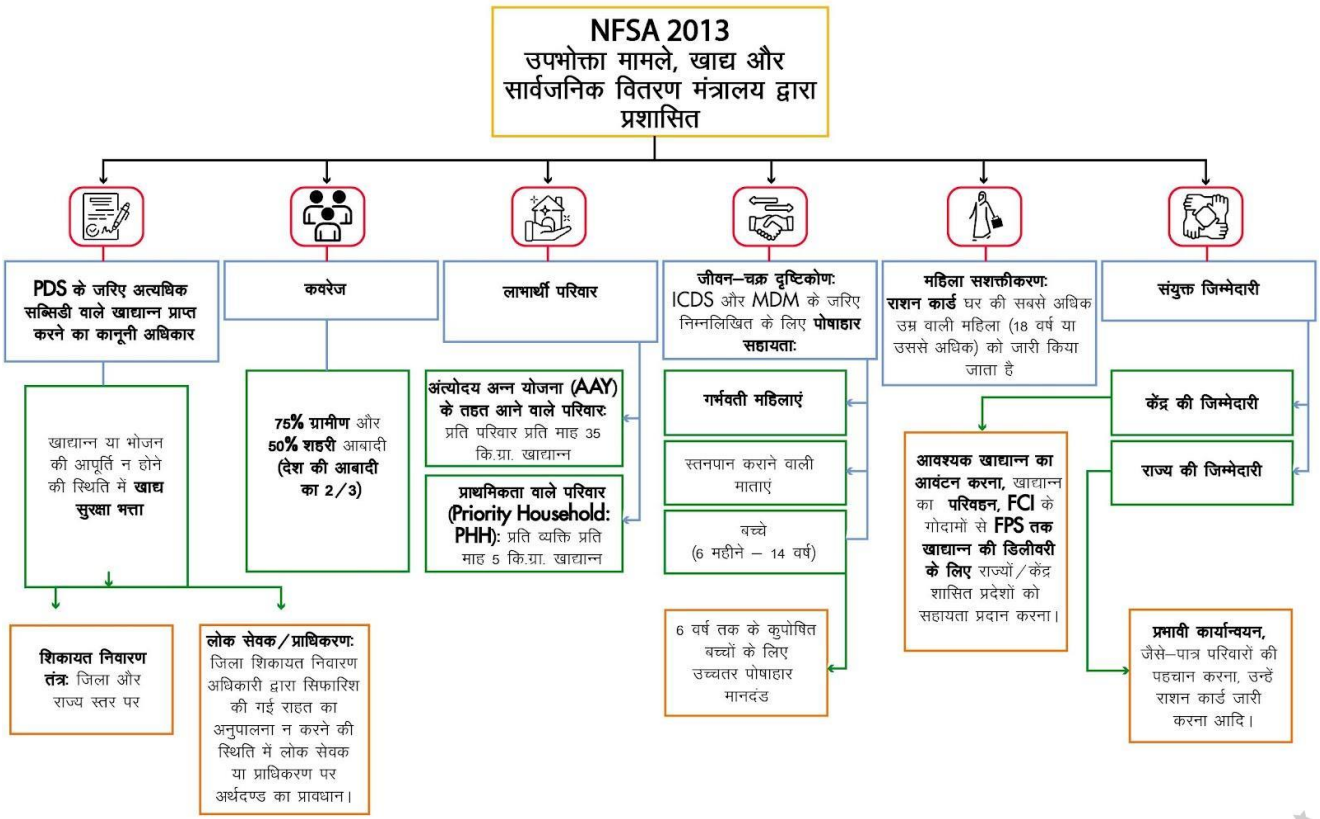

संबंधित सुर्ख़ियां

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक (SRI)

- यह रैंकिंग **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** द्वारा जारी की गई थी।
- **इस सूचकांक में ओडिशा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश** क्रमशः शीर्ष तीन स्थानों पर हैं।
- **त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम** ने विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्वोत्तर, हिमालयी और द्वीपीय राज्यों) में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

5.3. स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 {Swachh Survekshan (SS) 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने **स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण** जारी किया है। इसकी थीम **"वेस्ट टू वेल्थ"** है।

अन्य संबंधित तथ्य

यह सर्वेक्षण **अपशिष्ट प्रबंधन में चहुंमुखी दिशा में उपलब्धियां प्राप्त करने** के लिए SBMU 2.0 की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह **'अपशिष्ट मुक्त'** शहरों के विजन पर केंद्रित है।

- **स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 के बारे में**
  - स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2016 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया था। स्वच्छ सर्वेक्षण **देशभर के गांवों, शहरों और कस्बों में साफ-सफाई, स्वच्छता तथा आरोग्यकरिता** का **विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक सर्वेक्षण** है।

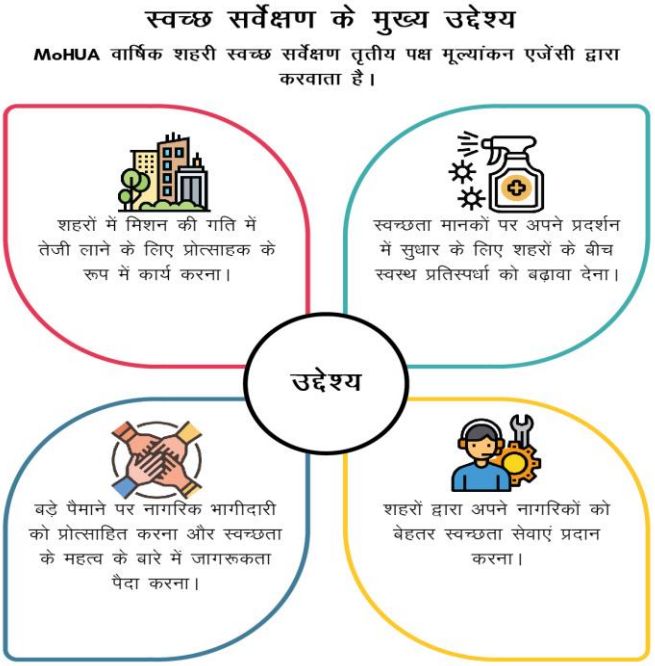

© Vision IAS

- **स्वच्छ सर्वेक्षण-23 का मूल्यांकन 3 घटकों पर आधारित है:**
  - **सेवा स्तर की प्रगति:** इसमें अपशिष्टों का अलग-अलग संग्रह, प्रसंस्करण और निपटान, उपयोग किये गए जल का प्रबंधन तथा सफाई मित्र सुरक्षा शामिल हैं।
  - **प्रमाणन:** इसमें अपशिष्ट मुक्त शहर स्टार रेटिंग और खुले में शौच मुक्त (ODF)/ ODF+/ ODF++/ वाटर+ प्रमाणन शामिल हैं।
  - **नागरिकों से प्रतिक्रिया:** यह फीडबैक, शिकायत निवारण, लोगों को जोड़ने आदि के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।
- **निम्नलिखित के मामले में अतिरिक्त अंक दिए गए हैं:**
  - ठोस व गीले अपशिष्ट को स्रोत पर ही अलग-अलग करना,
  - शहरों की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि, और
  - डंप साइट भेजे जाने वाले अपशिष्ट को कम करना।
- स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 के माध्यम से **शहरों के भीतर वार्डों की रैंकिंग** को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
- शहरों का आकलन, उनके द्वारा सामना किये जा रहे **'खुले में पेशाब' (येलो स्पॉट)** और **'खुले में थूकना' (रेड स्पॉट)** के मुद्दों पर आधारित संकेतकों पर किया जायेगा।

- **स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 वर्ष 2021 में शुरू** किया गया था। **यह निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है:**
  - ठोस व गीले अपशिष्ट को स्रोत पर ही अलग-अलग करना, और
  - **अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत/AMRUT)** के तहत शामिल किए गए शहरों को छोड़कर अन्य सभी शहरों में **ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर (उपयोग किए गए जल) का प्रबंधन।**

5.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट (Hunger Hotspots Report)	• **जारीकर्ता:** यह **खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम की संयुक्त रिपोर्ट** है। • **प्रमुख निष्कर्ष:** ○ भुखमरी के प्रमुख हॉटस्पॉट्स में **अफगानिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, सोमालिया, यमन तथा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश** शामिल हैं। ○ **53 देशों/राज्यक्षेत्रों में 222 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा** का सामना कर रहे हैं। ○ **प्रमुख चालक और प्रेरक कारक:** संघर्ष/ असुरक्षा, विस्थापन, शुष्क जलवायु, आर्थिक आघात, बाढ़, राजनीतिक अस्थिरता/ अशांति और उष्णकटिबंधीय चक्रवात।
स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में WASH पर वैश्विक प्रगति (2000–2021) रिपोर्ट (Progress on WASH in Healthcare Facilities, 2000–2021 Report)	• **जारीकर्ता:** इस रिपोर्ट को **विश्व स्वास्थ्य संगठन** (WHO) और **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष** (UNICEF) ने जारी किया है। • यह **WASH** (जल, सफाई और स्वच्छता) तथा **संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण** (IPC) पर केंद्रित है। • **प्रमुख निष्कर्ष** ○ विश्व की आधी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में **बुनियादी स्वच्छता सेवाओं का अभाव** है। इसके कारण लगभग 4 बिलियन लोगों का जीवन जोखिम में है। ○ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में **संभावित संक्रमण की रोकथाम की कमी** गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ○ **अस्वच्छ स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्र में रोग संचरण** की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही, **एंटीबायोटिक प्रतिरोध भी उत्पन्न होने लगता है।**
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई पहल (Initiatives by the Ministry of Jal Shakti)	• **रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान:** यह अभियान मल गाद अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन की दिशा में घरों में दोहरे गड्ढे वाले शौचालयों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। • **स्वच्छ जल से सुरक्षा:** यह अभियान स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। साथ ही, यह ग्रामीण घरों में आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता की निगरानी में भी मदद करेगा। • **SSG 2023 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण टूलकिट:** इस टूलकिट में **आकलन के अलग-अलग चरणों** तथा

	पंचायतों और जिलों की ODF (खुले में शौच मुक्त) प्लस की प्रगति के आधार पर बेसलाइन रैंकिंग की जानकारी शामिल है। ○ SSG का संचालन **जलशक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग** द्वारा वर्ष 2018 से किया जा रहा है। ○ **यह राज्यों और जिलों** को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। इस रैंकिंग के लिए यह **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)** के प्रमुख मात्रात्मक और गुणात्मक मानकों का उपयोग करता है।

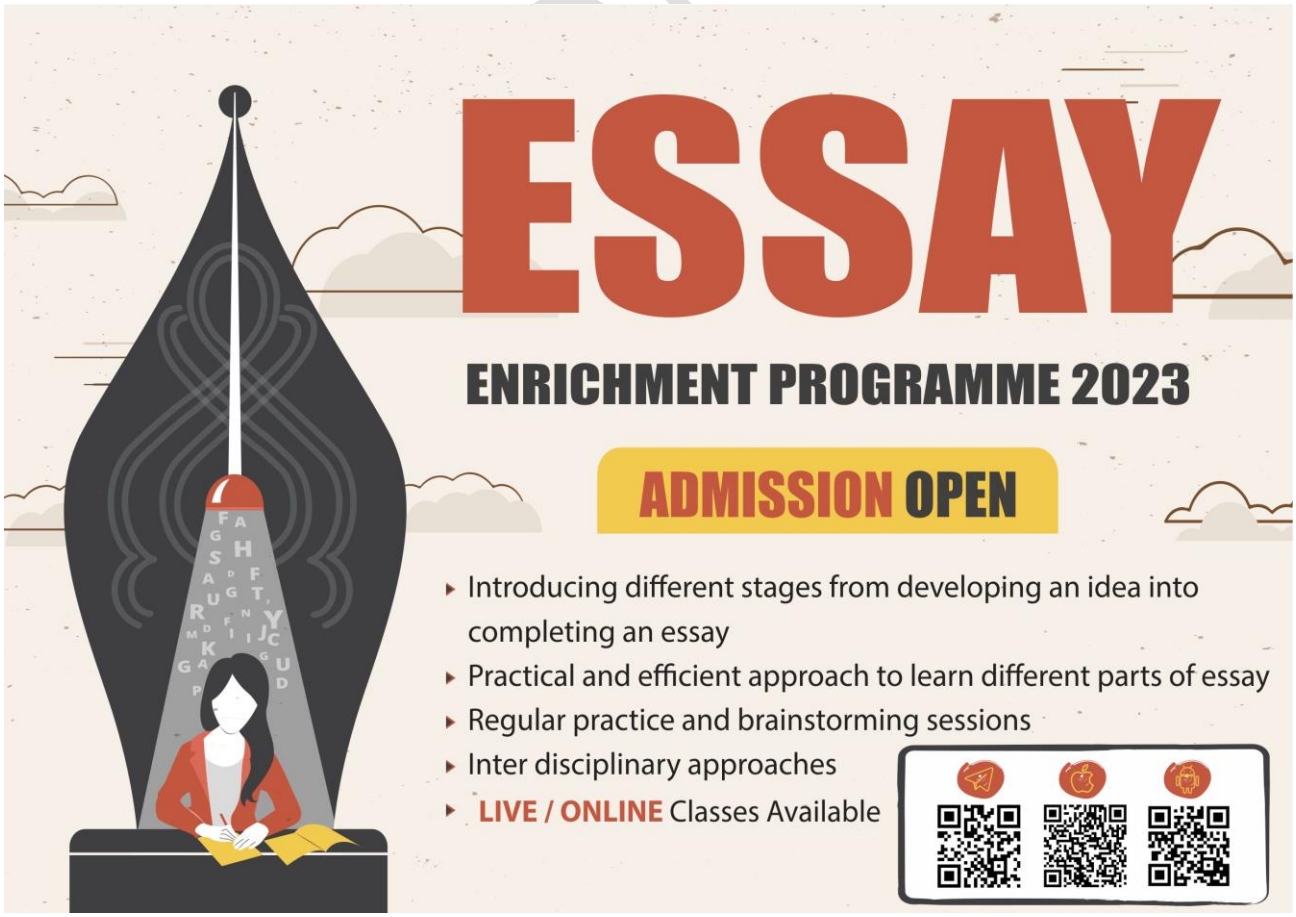

6. विविध (Miscellaneous)

6.1. सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा (Universal Social Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक सरकारी पैनल ने कर्मचारी पेंशन योजना (1995) की वहनीयता पर चिंता व्यक्त करते हुए गिग श्रमिकों और स्वनियोजित लोगों के लिए एक **सार्वभौमिक पेंशन योजना** की सिफारिश की है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा

- **कानूनी स्थिति:** हालांकि, भारत में **यह एक मूल अधिकार नहीं** है किंतु एक **कल्याणकारी राज्य** होने के नाते **राज्य के नीति निदेशक तत्वों,** जैसे- **अनुच्छेद 41 (काम पाने का अधिकार), 42 (काम की न्यायसंगत तथा मानवीय दशाओं का और प्रसूति सहायता का प्रावधान)** तथा **अनुच्छेद 47 (पोषण के स्तर में सुधार करने संबंधी राज्य का कर्तव्य)** का पालन करते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है।
- **केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्व:** चूंकि **"श्रम" समवर्ती सूची** का विषय है, इसलिए नागरिकों को **सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सहायता** संबंधी लाभ प्रदान करना केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों का भी कर्तव्य है।
- **सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22** के अनुसार, वर्ष 2019-20 में श्रम बल में शामिल होने वाले अतिरिक्त श्रमिकों में से लगभग 90% अनौपचारिक प्रकृति के रोजगार में नियोजित थे और 98% से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में नियोजित थे। इनमें से अधिकांश लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर हैं।

सरकार की हालिया पहलें

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** इसमें संगठित, असंगठित या किसी अन्य क्षेत्रक (जिसमें रोजगार के उभरते हुए नए प्रकार भी शामिल हैं) के सभी कर्मचारियों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पर **नौ केंद्रीय श्रम कानूनों** को समेकित किया गया है।
  - समाविष्ट किए गए कानूनों में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 आदि शामिल हैं।
- **नई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं,** जैसे -
  - **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM):** यह असंगठित कामगारों को वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है।

- **व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना:** यह व्यापारियों, दुकानदारों आदि के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है।

- **ई-श्रम पोर्टल:** इसका उद्देश्य असंगठित कामगारों के साथ-साथ प्रवासी श्रमिकों का एक **राष्ट्रीय डेटाबेस** तैयार करना है ताकि श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाया जा सके।

6.2. वैश्विक जनसंख्या वृद्धि (World Population Growth)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNPFA)[65] के हालिया अनुमान के अनुसार, विश्व की जनसंख्या बढ़कर **8 बिलियन (अरब)** हो गई है।

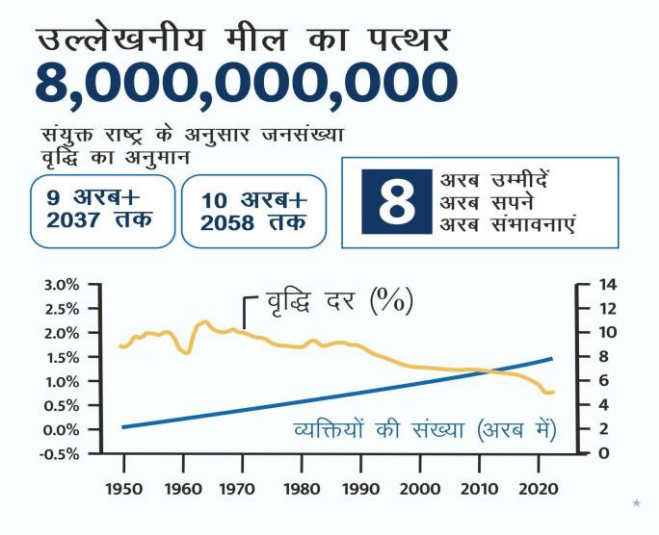

वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति

- **सामयिक भिन्नता: वैश्विक जनसंख्या में अधिकांश वृद्धि विगत शताब्दी में हुई** है। इस वृद्धि के पीछे मुख्यतः बेहतर जीवन स्तर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति तथा बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) का योगदान रहा है।
  - मानव आबादी को 1 बिलियन तक पहुंचने में **सैकड़ों-हजार वर्ष** लगे थे, जबकि केवल 2010-2022 के बीच ही यह 7 से बढ़कर 8 बिलियन हो गई।

- **स्थानिक भिन्नता:**
  - **विकसित देशों की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट:** यह प्रवृत्ति समृद्ध देशों में विशेष रूप से दिखाई देती है, क्योंकि बच्चों की परवरिश का बोझ बढ़ा है और विवाह दर में गिरावट आई है।
  - **निम्न-आय वाले देशों (LICs)**[66] **की जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ोतरी:** UNPFA ने संभावना व्यक्त की है कि 2050 तक जनसंख्या में अनुमानित बढ़ोतरी सबसे अधिक इन आठ देशों में होगी।

  - ये देश हैं; **डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया**।

- वर्ष 2050 तक, भारत **चीन को पीछे छोड़ते हुए** विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।

- **औसत जीवन प्रत्याशा:** वैश्विक जीवन प्रत्याशा वर्ष 1913 में 34 वर्ष थी जो 2022 में 72 वर्ष हो गई है। भविष्य में इसमें बढ़ोतरी जारी रहेगी।

- **धीमी वृद्धि दर:** वर्ष 1950 के बाद से वैश्विक जनसंख्या की वृद्धि दर धीमी रही है। 2020 में यह दर 1% से भी कम हो गई।
  - गौरतलब है कि वैश्विक आबादी को 7 से 8 बिलियन तक पहुंचने में 12 वर्ष का समय लगा है। हालांकि 2037 तक महज 15 वर्षों के दौरान वैश्विक आबादी बढ़कर 9 बिलियन हो जाएगी।

[65] United Nations Population Fund

[66] Low Income Countries

© Vision IAS

6.3. भारत में अपराध रिपोर्ट 2021 (Crime in India Report 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट **'भारत में अपराध, 2021'** जारी की गई।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों पर एक नज़र

अवलोकन	विवरण	रुझान या प्रवृत्ति
समग्र अपराध	★ **2020 की तुलना में 2021 में पंजीकृत मामलों की संख्या में 7.6% की कमी आई है।** ★ **2021 में प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर पंजीकरण कम होकर 445.9 हो गया है।** ध्यातव्य है कि यह दर 2020 में 487.8 था।	↓
महिलाओं के विरुद्ध अपराध	★ 2021 में महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत अपराध के कुल मामलों में **15.3% की वृद्धि हुई है।** वर्ष 2021 में **प्रति लाख महिला आबादी पर अपराध पंजीकरण की दर बढ़कर 64.5 हो गई है।** ध्यातव्य है कि 2020 में यह दर 56.5 थी। ★ **कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन में** महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के मामलों में **4.3% की वृद्धि हुई है।**	↑
बच्चों के विरुद्ध अपराध	★ 2021 में बच्चों के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों की संख्या में 2020 की अपेक्षा **16.2% से अधिक** की वृद्धि हुई है।	↑
वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध	★ 2020 की तुलना में 2021 में **पंजीकृत मामलों में 5.3% की वृद्धि हुई है।**	↑
अनुसूचित जाति (SCs) और अनुसूचित जनजाति (STs) के विरुद्ध अपराध	★ SCs के विरुद्ध अपराध के मामलों में, **2020 की तुलना में 2021 में 1.2% की वृद्धि हुई है।** ★ STs के मामलों में यह वृद्धि **6.4% की रही।**	↑
आर्थिक अपराध	★ 2021 में **19.4% की वृद्धि हुई है।**	↑
साइबर अपराध	★ भारत में **2020 की तुलना में 5.9% की वृद्धि हुई है।** ★ **तेलंगाना के बाद उत्तर प्रदेश,** कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम में **70% से अधिक साइबर अपराध की घटनाएं हुई हैं।** ★ देश में **साइबर अपराध की घटनाओं की औसत दर (प्रति लाख जनसंख्या पर) 2021 में बढ़कर 3.9 हो गई है।**	↑
मानव तस्करी	★ **मानव तस्करी की घटनाओं में 27.7% की वृद्धि हुई है।**	↑
पर्यावरण संबंधी अपराध	★ **2020 की तुलना में 2021 में 4.4% की वृद्धि हुई है।** ★ इसमें अधिकतम मामले **सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003** के तहत दर्ज किए गए। इसके बाद **वन संरक्षण अधिनियम, 1927 और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम (राज्य/केंद्र)** के तहत सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं।	↑

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
NATIONAL CRIME RECORD BEREAU
सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए भारतीय पुलिस को सशक्त बनाना

मंत्रालयः गृह मंत्रालय

उत्पत्तिः इसे **टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977–1981) और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स (1985)** की सिफारिशों पर 1986 में स्थापित किया गया था।

सौंपे गए कार्य (अधिदेश):

- अपराध और अपराधियों की जानकारी के भंडार के रूप में काम करना तथा अपराध पर डेटा का संकलन और रिकॉर्ड रखना,

चार प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट्स

- भारत में अपराध
- भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्याएं
- भारत में जेल सांख्यिकी
- भारत में फिंगरप्रिंट

- **क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS)** से संबंधित निगरानी, समन्वय और कार्यान्वयन
- **जाली मुद्रा सूचना और प्रबंधन प्रणाली (FICN) तथा आतंकवाद पर एकीकृत निगरानी (iMoT) एप्लीकेशन्स** की देख–रेख करता है।

प्रमुख डिजिटल उपकरण:

- **राष्ट्रीय डिजिटल पुलिस पोर्टलः** यह नागरिकों के साथ–साथ पुलिस कर्मियों दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
- **Cri-MAC (क्राइम – मल्टी एजेंसी सेंटर):** यह अपराध/अपराधियों के बारे में जानकारी साझा करता है।

संबंधित सुर्ख़ियां

भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्या' रिपोर्ट 2021 (Accidental Deaths & Suicides in India report 2021)

- NCRB ने **'भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्या' रिपोर्ट 2021** प्रकाशित की है।
  - इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में **प्रति दस लाख की आबादी पर 120 लोगों द्वारा आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए थे**, जो अब तक का उच्चतम स्तर है।
  - इस रिपोर्ट में भारतीयों के **भावनात्मक स्वास्थ्य पर महामारी के प्रभाव** को भी रेखांकित किया गया है।
  - इस रिपोर्ट में किसानों द्वारा आत्महत्या सहित आत्महत्या के अन्य मामले, आकस्मिक मौतों, यातायात दुर्घटनाओं आदि का **आयु-समूह-वार और लिंग-वार** विवरण दिया गया है। **किसानों द्वारा आत्महत्या** भारत में एक गंभीर चिंता और विमर्श का मुद्दा है।

6.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

आंतरिक विस्थापन पर कार्य एजेंडा (Action Agenda on Internal Displacement)

- **जारीकर्ता:** संयुक्त राष्ट्र (UN) महासचिव ने 'आंतरिक विस्थापन पर कार्य एजेंडा' जारी किया है।

शब्दावली को जानें

- आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति **(Internally Displaced Persons: IDPs)** वे लोग हैं, जो **कई कारणों से अपने घरों से** पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन **अपने देश के भीतर ही रहते हैं। आंतरिक विस्थापन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:** सशस्त्र संघर्ष, सामान्य हिंसा, मानवाधिकारों का उल्लंघन, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आदि।

- यह कार्य एजेंडा **आंतरिक विस्थापन** संकटों को बेहतर ढंग से हल करने, रोकने और दूर करने के लिए

 © Vision IAS

	संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करता है। • **यह कार्य एजेंडा निम्नलिखित तीन लक्ष्यों को साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करता है:** ○ आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की उनके विस्थापन का एक **स्थायी समाधान** खोजने में मदद करना; ○ नए विस्थापन संकटों को उभरने से **बेहतर तरीके से रोकना; तथा** ○ यह सुनिश्चित करना कि विस्थापन का सामना करने वालों को **प्रभावी सुरक्षा और सहायता** मिले।
राष्ट्रीय वायु खेल नीति (NASP) 2022 {National Air Sports Policy (NASP) 2022}	• **जारीकर्ता:** नागर विमानन मंत्रालय (MCA) • **लक्ष्य**: राष्ट्रीय वायु खेल नीति का लक्ष्य देश में **हवाई खेलों के लिए सुरक्षित, वहनीय और संधारणीय परिवेश** प्रदान करना है। • **विजन:** इसका विजन वर्ष 2030 तक **भारत को हवाई खेलों में शीर्ष पर रहे देशों में शामिल** करना है। • इस नीति के तहत **ग्यारह हवाई खेलों को बढ़ावा** दिया जाएगा। यह एक चार स्तरीय शासी संरचना का प्रावधान करती है। • **एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (ASFI)** नागर विमानन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह इस नीति के लिए **शीर्ष गवर्निंग बॉडी** होगा। ○ ASFI **फेडरेशन एयरोनॉटिक इंटरनेशनेल (FAI)** और हवाई खेलों से संबंधित अन्य वैश्विक प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। FAI का मुख्यालय **स्विट्जरलैंड के लुसाने** में स्थित है। ○ FAI हवाई खेलों के लिए वैश्विक स्तर का शासी निकाय है।
उन्नत ज्ञान और ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम (आकृति) {Advanced Knowledge And Rural Technology Implementation (AKRUTI) Programme}	• आकृति कार्यक्रम को **भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC)** संचालित कर रहा है। • आकृति कार्यक्रम के तहत **कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना** (KKNPP) में और उसके आसपास **युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।** • **दी जाने वाली सेवाएं:** BARC, आकृति कार्यक्रम के तहत, वर्तमान में जैव-निम्नीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण, जल, खाद्य और कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी/ परामर्श प्रदान करता है। • आकृति के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, गांवों में कई ज्ञान और ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन केंद्र (KRUTIK) स्थापित किये गए हैं। ये केंद्र क्षेत्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
ई-विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पोर्टल {E-Detailed Action Report (EDAR) Portal}	• यह बीमा कंपनियों के परामर्श से **सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) का एक वेब पोर्टल है।** यह सड़क दुर्घटनाओं पर एकीकृत डेटा और तुरंत जानकारी प्रदान करता है। • यह पोर्टल **डिजिटलीकृत विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट्स (DAR)** के माध्यम से पीड़ितों के परिवारों को राहत प्रदान करेगा, जाली दावों की जांच करेगा तथा अन्य कार्य संपन्न करेगा। • इसे **एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (iRAD)** के ई-संस्करण के रूप में कार्य करने के लिए **वाहन (Vahaan)** और **iRAD** से जोड़ा जाएगा। • साथ ही, यह लोक निर्माण विभाग (PwD) / स्थानीय निकायों को विवरणों की जांच और रिकॉर्ड रखने के लिए उत्प्रेरित करेगा। इसके अतिरिक्त, यह भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक समाधानों हेतु **एक्सीडेंट हॉटस्पॉट्स** की पहचान करने में भी मदद करेगा।
हैबिटस (Habitus)	• इस विचार को **फ्रांसीसी समाजशास्त्री पियरे बॉर्डियू** ने अपनी पुस्तक **आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस** (1977) के जरिए लोकप्रिय बनाया था। • हैबिटस एक **सामूहिक इकाई** को संदर्भित करता है। इसके द्वारा **समाज की प्रमुख सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां स्थापित तथा पुन: उत्पन्न** की जाती हैं। • हैबिटस एक **सामूहिक इकाई** को संदर्भित करता है। इसके द्वारा **समाज की प्रमुख सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां स्थापित तथा पुन: उत्पन्न** की जाती हैं। ○ यदि कोई व्यक्ति किसी को **'स्वाभाविक', 'वर्जित', 'तटस्थ' और 'अच्छा' या 'बुरा'** मानता है, तो वह उसके **हैबिटस से निर्मित** होता है। • यह भौतिक या अभौतिक वस्तुओं में सांस्कृतिक मूल्य का आरोपण कर **व्यक्तियों में वैश्विक भावना पैदा करने में** मदद करता है।

महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स	
"स्टेट ऑफ़ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022" रिपोर्ट	• **जारीकर्ता: संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)** • **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष** ○ **अनपेक्षित गर्भावस्था (Unintended Pregnancy)** वाली महिलाओं में से **लगभग 60 प्रतिशत गर्भपात करा लेती हैं।** कुल गर्भपात में से 45 प्रतिशत असुरक्षित होते हैं। ऐसे गर्भपात 5-13 प्रतिशत तक की मातृ मृत्यु दर का कारण बनते हैं। ○ **विकासशील देशों में 13% महिलाएँ** 18 वर्ष की आयु **से पहले ही बच्चे को जन्म** दे देती हैं।
सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति: जेंडर स्नैपशॉट-2022 (Progress on The Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2022)	• **जारीकर्ता:** इस रिपोर्ट को **यू.एन. वीमेन तथा संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग** ने प्रकाशित किया है। • **मुख्य निष्कर्ष** ○ विश्व 2030 तक **लैंगिक समानता को प्राप्त करने की राह पर नहीं है।** ○ **विश्व में 380 मिलियन महिलाएं और लड़कियां अत्यधिक गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहीं हैं।** ○ **प्रत्येक 3 में से लगभग 1 महिला खाद्य असुरक्षा** का सामना कर रही है। ○ **असुरक्षित गर्भपात** मातृ मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, लेकिन इसे रोका जा सकता है। • भारत में, एक चौथाई **ग्रामीण परिवारों की महिलाएं और लड़कियां** प्रतिदिन 50 मिनट से अधिक समय जल एकत्र करने में लगाती हैं।
"सिटीज़ अलाइव: डिजाइनिंग सिटीज़ दैट वर्क फॉर वीमेन" रिपोर्ट ('Cities Alive: Designing Cities That Work For Women' Report)	• **जारीकर्ता:** संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम • यह रिपोर्ट **शहरी योजना निर्माण और विकास के सभी पहलुओं से जुड़ी निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से शामिल** करने की आवश्यकता पर बल देती है। • वे वर्तमान में शहरी अवसंरचना के वर्तमान ढांचे में सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी मुद्दों का सामना करती हैं।
वैश्विक लैंगिक अंतराल (GGG) रिपोर्ट, 2022 {Global Gender Gap (GGG) Report, 2022}	• **जारीकर्ता: विश्व आर्थिक मंच (WEF)** ने वैश्विक लैंगिक अंतराल (GGG) रिपोर्ट, 2022 जारी की है। • वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक **चार प्रमुख आयामों पर लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और उसके विकासक्रम** पर आधारित है (इन्फोग्राफिक देखें)। ○ इस सूचकांक के प्रत्येक चार उप-सूचकांकों और समग्र सूचकांक पर GGG 0 और 1 के बीच अंक प्रदान करता है। जहां **अंक 1 पूर्ण लैंगिक-समानता की स्थिति** दिखाता है, वहीं **0 पूर्ण लैंगिक असमानता की स्थिति** दिखाता है। • **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:** ○ वर्ष 2022 में, विश्व स्तर पर **लगभग 68.1% लैंगिक अंतराल समाप्त हो जाएगा।** वर्ष 2021 की तुलना में यह मामूली सुधार है। ○ रिपोर्ट के अनुसार **मौजूदा प्रगति की दर पर** पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में **132 वर्ष** लगेंगे। ○ अभी तक **किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की** है। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने लगभग 80% लैंगिक अंतराल समाप्त कर दिया है। • **भारत से संबंधित निष्कर्ष:** ○ भारत **"स्वास्थ्य और उत्तरजीविता"** (Health and survival) उप-सूचकांक में **विश्व में सबसे खराब प्रदर्शन** करने वाला देश है। इस उप-सूचकांक में भारत **146वें स्थान** पर है। ○ **राजनीतिक सशक्तीकरण** उप-सूचकांक में भारत के अंक में **गिरावट** दर्ज की गयी है। इसका कारण यह है कि भारत में बहुत कम समय के लिए महिलाएं राज्य प्रमुख के पद पर रही हैं।

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का रिपोर्ट कार्ड

सूचकांक / उप-सूचकांक	2022 (146) देश		2021 (156) देश	
	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक	135	0.629	140	0.625
राजनीतिक सशक्तीकरण	48	0.267	51	0.276
आर्थिक भागीदारी और अवसर	143	0.350	151	0.326
शिक्षा प्राप्ति	107	0.961	114	0.962
स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता	146	0.937	155	0.937

स्रोत: विश्व आर्थिक मंच

 © Vision IAS

	• **पड़ोसी देशों की रैंकिंग भारत से बेहतर** है- बांग्लादेश (71), नेपाल (96), श्रीलंका (110), मालदीव (117) और भूटान (126)।
आधुनिक दासता के वैश्विक अनुमान रिपोर्ट, 2021 (Global Estimates Of Modern Slavery, 2021 Report)	**जारीकर्ता:** इसे '**अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (ILO)** ने जारी किया है। • इस रिपोर्ट में आधुनिक दासता को परिभाषित किया गया है। इसमें में दो प्रमुख घटकों अर्थात् **'जबरन श्रम' और 'जबरन विवाह' को शामिल किया गया है।** • यह शोषण की ऐसी परिस्थितियों को संदर्भित करती है, जहां कोई व्यक्ति डर, हिंसा, दबाव, छल और ताकत के दुरुपयोग के कारण न तो कार्य करने से मना कर सकता है और न ही कार्य छोड़ कर जा सकता है। 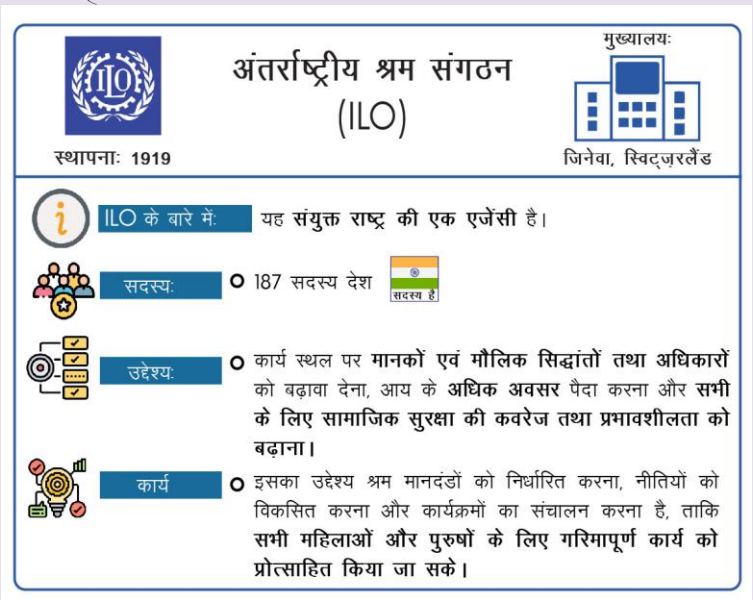
भारत में प्रवास 2020-2021' रिपोर्ट ('Migration in India 2020-2021' Report)	• **जारीकर्ता: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** • **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:** ○ **अखिल भारतीय प्रवास दर 28.9%** है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रवास दर क्रमशः **26.5% और 34.9%** थी। ○ **पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रवास दर** अधिक दर्ज की गयी है। ○ महिलाओं में, **विवाह के लिए प्रवास दर का उच्चतम स्तर** (86.8%) देखा गया है। ○ महामारी के दौरान **रिवर्स माइग्रेशन** के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी दर देखी गयी। इसने ग्रामीण संकट को जन्म दिया।
'ग्लोबल ट्रेंड्स: फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2021' ('Global Trends: Forced Displacement in 2021')	**जारीकर्ता: UNHCR** • यह रिपोर्ट निम्नलिखित से जुड़े **प्रमुख सांख्यिकीय रुझान और उनकी हालिया संख्या** बताती है: ○ शरणार्थी, ○ शरण की मांग करने वाले, ○ आंतरिक रूप से विस्थापित लोग, ○ विश्व भर में राज्य विहीन (stateless) व्यक्ति, और ○ जो अपने मूल देश या मूल क्षेत्र में लौट आए हैं। • **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:** ○ वर्ष 2021 के अंत तक, **युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकारों के हनन से विस्थापित** होने वालों की संख्या **8.93 करोड़** थी। ○ वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारण **भारत में लगभग 50 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित** हुए थे। ○ **व्यक्तिगत शरण** के लिए विश्व में **सर्वाधिक आवेदन अमेरिका को** प्राप्त हुए थे। **जर्मनी** दूसरे स्थान पर था। ○ सभी शरणार्थियों में से **69% केवल पांच देशों** से आए थे। ये देश निम्नलिखित हैं: ▪ सीरियाई अरब गणराज्य: 68 लाख,

	▪ वेनेजुएला: 46 लाख, ▪ अफगानिस्तान: 27 लाख, ▪ दक्षिण सूडान: 24 लाख, और ▪ म्यांमार: 12 लाख। ○ **बच्चे** विश्व की आबादी का 30% हिस्सा हैं, लेकिन सभी जबरन **विस्थापित लोगों में** उनका **41%** हिस्सा है। 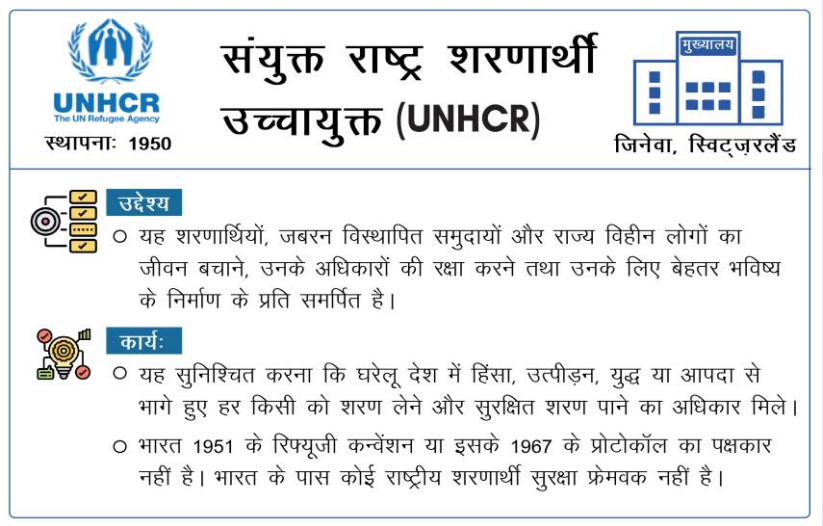
"भारत में असमानता की स्थिति" रिपोर्ट (The State of Inequality in India Report)	• **जारीकर्ता: प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)** • यह रिपोर्ट **इंस्टीट्यूट फॉर कम्पेटिटिवेनेस** ने तैयार की है। • यह रिपोर्ट भारत में असमानता की प्रवृत्ति व गहराई के समग्र विश्लेषण को प्रदर्शित करती है। यह रिपोर्ट **स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक विशेषताओं, आय वितरण और श्रम बाज़ार की गतिशीलता में असमानताओं** पर जानकारी एकत्र करती है। • **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष** ○ **25,000 रुपये का मासिक वेतन** पाने वाला भारतीय, **देश के शीर्ष 10% कमाने वालों में** शामिल है। ○ भारत में **ट्रिकल डाउन सिद्धांत विफल** रहा है। देश के **शीर्ष 1% अर्जक की आय** वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-2020 के दौरान **15% बढ़ी** है, जबकि **निचले 10% की आय 1% घट गई** है। ○ **रोजगार (2019-20) की स्थिति इस प्रकार रही है:** ▪ स्व-नियोजित कामगार: 45.78%, ▪ वेतनभोगी कर्मचारी: 33.5% और ▪ अनौपचारिक कामगार: 20.71%. ○ **पोषाहार की कमी** अभी भी एक **प्रमुख चिंता का विषय** बनी हुई है।
वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट {Global Report On Food Crises (GRFC 2022)}	**जारीकर्ता: ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस (GNAFC)** • **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष** ○ वर्ष 2021 में **53 देशों/ राज्यक्षेत्रों में लगभग 19.3 करोड़ लोग विकट खाद्य असुरक्षा** (Acute food insecurity) का सामना कर रहे थे। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 4 करोड़ अधिक है। ▪ संयुक्त राष्ट्र के अनुसार **"विकट खाद्य असुरक्षा"** वह स्थिति है 'जब किसी **व्यक्ति की पर्याप्त भोजन का उपभोग करने में असमर्थता** उसके जीवन या आजीविका को तत्काल खतरे में डाल देती है।' ▪ यह भुखमरी की वह स्थिति है जो **अकाल और बड़े पैमाने पर मौतों** का कारण बन सकती है। ○ खाद्य असुरक्षा के तीन मुख्य कारण हैं: **संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक संकट।** ○ रिपोर्ट में **वर्ष 2022 में भी गंभीर खाद्य असुरक्षा की आशंका** प्रकट की गई है। इसका कारण

 © Vision IAS

यूक्रेन में जारी युद्ध है। इसका वैश्विक खाद्य, ऊर्जा और उर्वरक की कीमतों एवं आपूर्ति पर प्रभाव पड़ रहा है।

- **सुझाव**
  - खाद्यान्न तक पहुंच की बाधाओं को दूर करने के लिए, अग्रिम पंक्ति की मानवीय सहायता के रूप में **छोटी जोत वाली कृषि को अधिक प्राथमिकता** देने की आवश्यकता है।
  - **3x3 दृष्टिकोण** (इन्फोग्राफिक देखें) का उपयोग करके खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करने की आवश्यकता है।

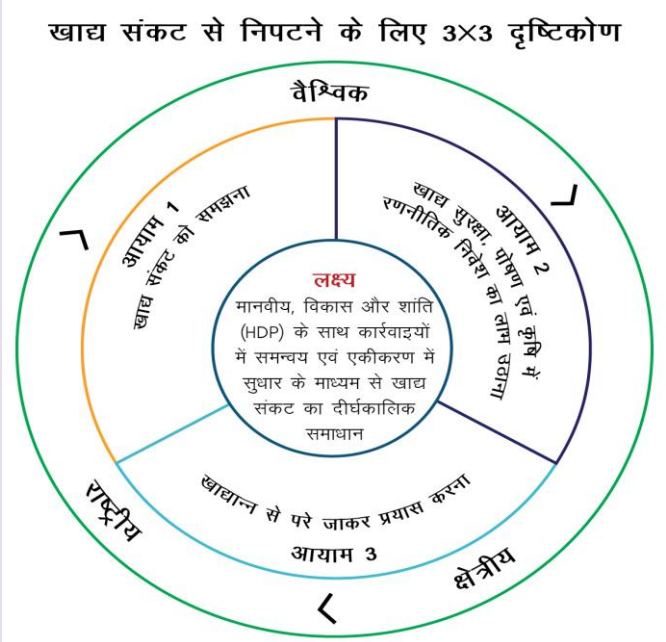

- **GNAFC के बारे में:** GNAFC की स्थापना **यूरोपीय संघ, खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने वर्ष 2016** के विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन में की थी।
  - **इस संगठन की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से की गयी है:**
    - खाद्य संकटों की रोकथाम करना,
    - खाद्य संकटों के लिए तैयार रहना,
    - खाद्य संकटों से निपटने के लिए प्रतिक्रियात्मक उपाय करना, तथा
    - भुखमरी की समाप्ति से संबंधित **सतत विकास लक्ष्य (SDG-2)** का समर्थन करना।

जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणालियों पर "वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022" (Global Food Policy Report 2022 on climate change and food system)

- **जारीकर्ता:** IFPR
- इस रिपोर्ट में **साक्ष्य-आधारित नीतियों** और नवाचारों की एक श्रृंखला पर प्रकाश डाला गया है। इन्हें हमारी खाद्य प्रणालियों में अनुकूलन और शमन उपायों को प्राथमिकता देने तथा इन्हें तुरंत लागू करने पर बल दिया गया है।

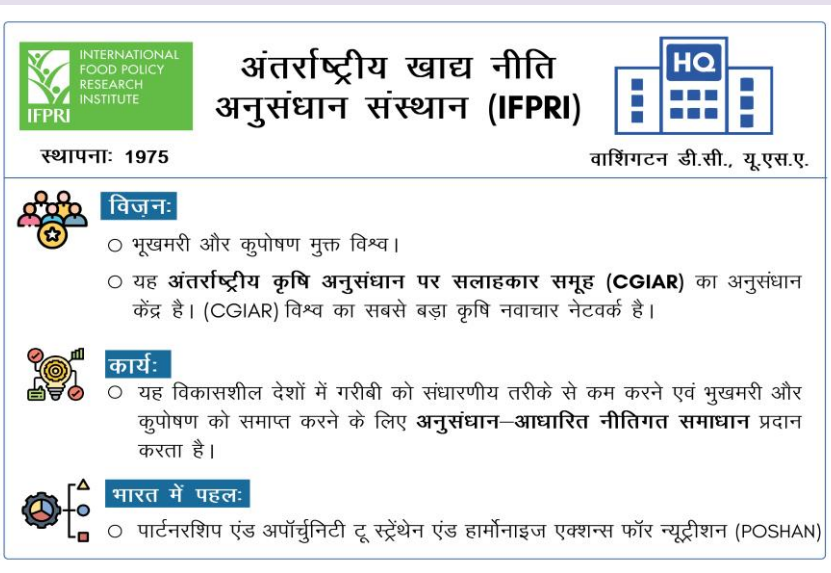

	• **रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:** ○ वर्ष 2030 तक, भारत का **खाद्य उत्पादन 16% तक कम** हो सकता है। साथ ही, **भुखमरी से पीड़ित लोगों की संख्या में 23% की वृद्धि** हो सकती है। ○ जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में **वैश्विक खाद्य उत्पादन वर्ष 2010 के स्तर की तुलना में वर्ष 2050 तक लगभग 60% तक बढ़ जाएगा।** ○ वैश्विक स्तर पर, **7 करोड़ से अधिक लोगों पर भुखमरी का खतरा** होगा। इनमें लगभग 2.8 करोड़ से अधिक लोग **पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका** में होंगे। ○ वर्ष 2030 तक **दक्षिण एशिया एवं पश्चिम और मध्य अफ्रीका में मांस का उत्पादन दोगुना तथा वर्ष 2050 तक तीन गुना** होने का अनुमान है। • **नोट:** CGIAR एक **वैश्विक साझेदारी है**। इसकी **स्थापना वर्ष 1971** में हुई थी। इसे **खाद्य-सुरक्षित भविष्य के लिए अनुसंधान में संलग्न एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय संगठन** के रूप में स्थापित किया गया था।

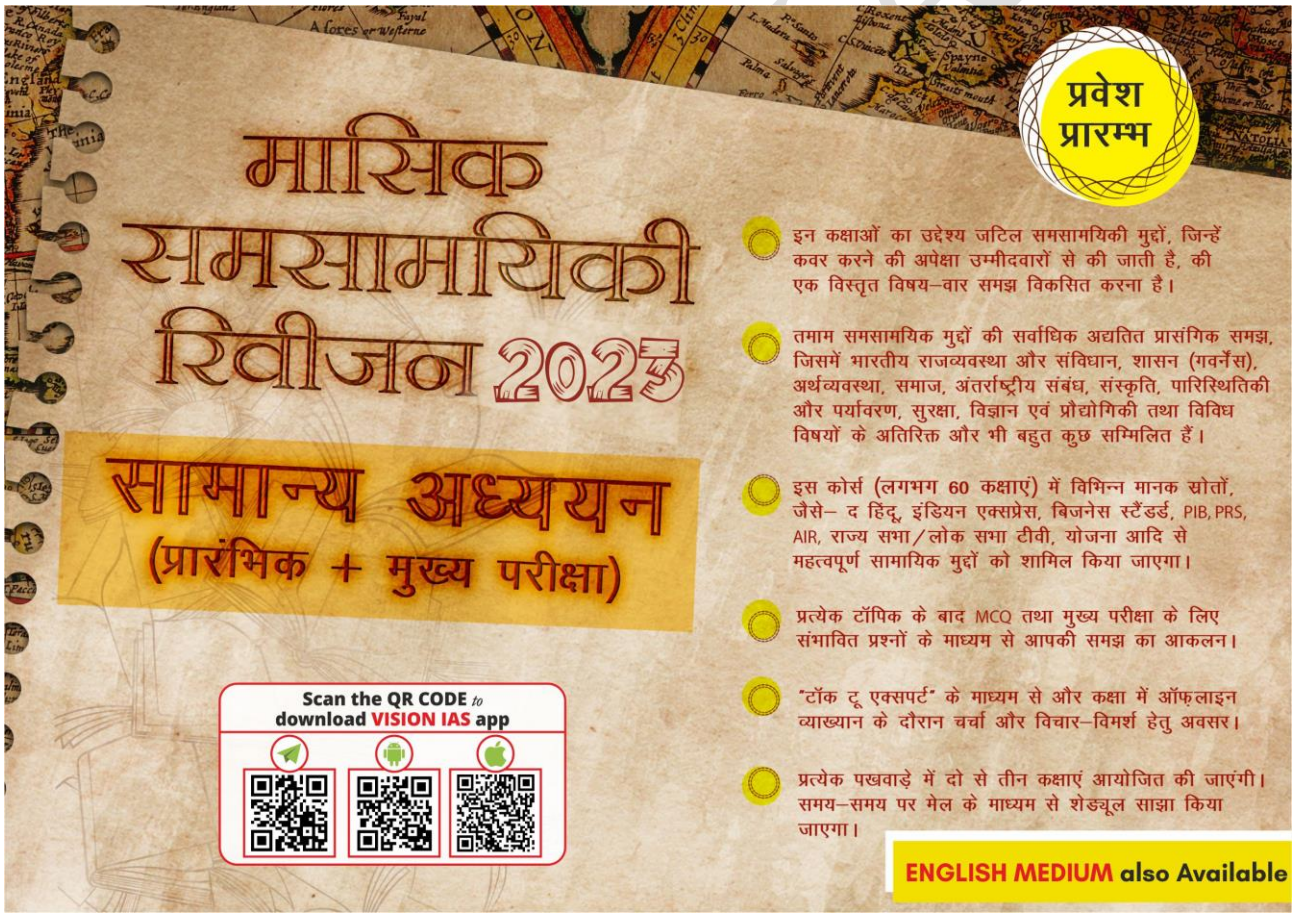

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

8 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2021

from various programs of VisionIAS

2 AIR ANKITA AGARWAL

3 AIR GAMINI SINGLA

4 AIR AISHWARYA VERMA

5 AIR UTKARSH DWIVEDI

6 AIR YAKSH CHAUDHARY

CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

1 AIR SHUBHAM KUMAR

7 AIR SAMYAK S JAIN

8 AIR ISHITA RATHI

9 AIR PREETAM KUMAR

YOU CAN BE NEXT

ABHYAAS 2023

ALL INDIA PRELIMS

(GS+CSAT)

MOCK TEST SERIES

3 TEST

TEST-1	TEST-2	TEST-3
2 APRIL	23 APRIL	7 MAY

- All India Ranking
- Comprehensive Evaluation, Feedback & Corrective Measures
- Available In ENGLISH / हिन्दी

Register @ www.visionias.in/abhyaas

AGARTALA | AGRA | AHMADNAGAR | AHMEDABAD | AIZAWL | AJMER | ALIGARH | ALMORA | ALWAR | AMARAVATI (ANDHRA PRADESH) | AMBALA | AMBIKAPUR | AMRAVATI (MAHARASHTRA) | AMRITSAR | ANANTHAPURU | ASANSOL | AURANGABAD (MAHARASHTRA) | AYODHYA | BALLIA | BANDA | BAREILLY | BATHINDA | BEGUSARAI | BENGALURU BHADOHI | BHAGALPUR | BHAVNAGAR | BHILAI | BHILWARA | BHOPAL | BHUBANESWAR | BIKANER | BILASPUR | BOKARO | BULANDSHAHR | CHANDIGARH | CHANDRAPUR CHENNAI CHHATARPUR (MP) | CHITTOOR | COIMBATORE | CUTTACK | DAVANAGERE | DEHRADUN | DELHI-MUKHERJEE NAGAR | DELHI-RAJINDER NAGAR | DHANBAD DHARAMSHALA DHARWAD | DHULE | DIBRUGARH | DIMAPUR | DURGAPUR | ETAWAH | FARIDABAD | FATEHPUR | GANGTOK | GAYA | GHAZIABAD | GORAKHPUR | GR NOIDA GUNTUR | GURDASPUR GURUGRAM (GURGAON) | GUWAHATI | GWALIOR | HALDWANI | HARIDWAR | HAZARIBAGH | HISAR | HOWRAH | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE ITANAGAR | JABALPUR | JAIPUR JAISALMER | JALANDHAR | JAMMU | JAMNAGAR | JAMSHEDPUR | JAUNPUR | JHAJJAR | JHANSI | JODHPUR | JORHAT | KAKINADA | KALBURGI (GULBARGA) | KANNUR | KANPUR KARIMNAGAR | KARNAL | KASHIPUR | KOCHI | KOHIMA | KOLHAPUR | KOLKATA | KORBA | KOTA | KOTTAYAM | KOZHIKODE (CALICUT) | KURNOOL | KURUKSHETRA | LATUR | LEH LUCKNOW | LUDHIANA | MADURAI (TAMILNADU) | MANDI | MANGALURU | MATHURA | MEERUT | MIRZAPUR | MORADABAD | MUMBAI | MUNGER | MUZAFFARPUR | MYSURU NAGPUR | NALANDA | NASIK | NAVI MUMBAI | NELLORE | NIZAMABAD | NOIDA | ORAI | PALAKKAD | PANAJI (GOA) | PANIPAT | PATIALA | PATNA | PRAYAGRAJ (ALLAHABAD) PUDUCHERRY | PUNE | PURNIA | RAIPUR | RAJKOT | RANCHI | RATLAM | REWA | ROHTAK | ROORKEE ROURKELA | RUDRAPUR | SAGAR | SAMBALPUR | SATARA | SAWAI MADHOPUR SECUNDERABAD | SHILLONG | SHIMLA | SILIGURI | SIWAN | SOLAPUR | SONIPAT | SRINAGARSURAT | THANE | THANJAVUR | THIRUVANANTHAPURAM | THRISSUR TIRUCHIRAPALLI | TIRUNELVELI | TIRUPATI | UDAIPUR | UJJAIN | VADODRA | VARANASI | VELLORE VIJAYAWADA | VISAKHAPATNAM | WARANGAL

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station

8468022022 WWW.VISIONIAS.IN

JAIPUR | HYDERABAD | BHOPAL | GUWAHATI | RANCHI | LUCKNOW | PUNE | AHMEDABAD | CHANDIGARH | PRAYAGRAJ